खण्ड-344, अंक-4
बुधवार, 18 आषाढ़, शक संवत् 1902
(9 जुलाई, 1980 ई0)

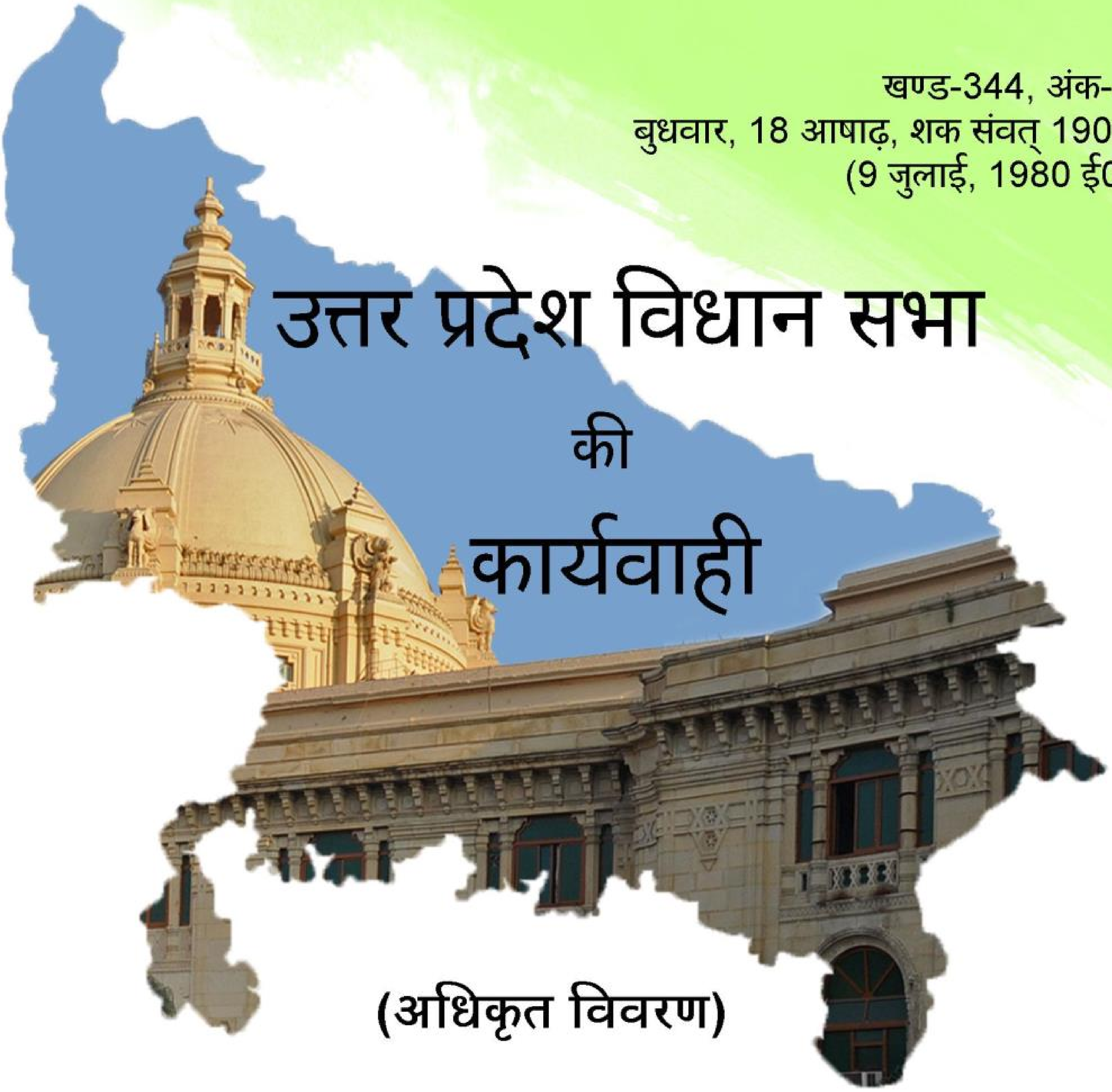

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	229–232
प्रश्नोत्तर	233–237
सदन का फ्लोर क्रास करने पर आपत्ति	237
बस्ती जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनवापुर के निरन्तर बन्द रहने तथा प्रभारी चिकित्साधिकार श्री एस0 सी0 राय के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	237—238
देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों में पशुओं में गलाघोंटू बीमारी के प्रकोप के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	238
गोरखपुर मण्डल के जिला अस्पतालों में कुत्ता काटने की दवा के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	238
बाजार में पुस्तकों एवं कापियों के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	239
प्रदेश के प्रसार शिक्षकों द्वारा अपनी माँगों के समर्थन में आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	239–240
जनता (एस0) (चरण सिंह) दल को लोक दल के नाम से मान्यता दिये जाने की सूचना (जारी)	240
विधान सभा सदस्य, श्री रियासत हुसैन द्वारा जनता पार्टी (जे0 पी0) की सदस्यता ग्रहण करने की सूचना	240
जनता (एस0) (चरण सिंह) दल को लोक दल के नाम से मान्यता दिये जाने की सूचना	240–241
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	241–246
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	246–300
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 (पारित किया गया)	300–309
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	309–310

विधानसभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 1980]

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्रीश्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 339

अकबाल हुसैन, श्री (गोण्डा)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए.सी. ग्राइस, श्री नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (आगरा)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह राँगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमग)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सक्सेना चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी शंकर, एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)

चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोण्डा)
दीनू, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहाँपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परवीन कुमार, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोण्डा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)

ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोण्डा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरली धर मुनीम, श्री (गोण्डा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राजपती देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, श्री (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप, श्री (सहारनपुर)

राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बाँदा)
रिजवानुर्रहमान, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वृद्धि नरायन, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बाँदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बाँदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बाँदा)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेई, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीलशास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बाँदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 9 जुलाई, 1980

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सूखा पीड़ित क्षेत्रों में उर्वरकों पर दिया गया अनुदान

**1—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरकों के दामों में बढ़ोत्तरी से सूखे से प्रभावित किसानों को उवरकों के लिए सब्सिडी (अनुदान) देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो कब तक दिया जायगा ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लघु सीमांत तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों को उर्वरकों के क्रय पर क्रमश: 25 प्रतिशत, 33-1/3 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सूखा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

जब यह आदेश जारी किये गये थे, तो एक रडियोग्राम यहाँ से प्रसारित किया गया था जनपदों में, उसमें यह था कि वह 8-11-79 से लागू माना जायेगा, वह रेडियोग्राम क्या गया था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

रेडियोग्राम की मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

यह रेडियोग्राम 28-11-79 को भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि यह छूट 8-11-79 से लागू मानी जायगी तो इस बीच अर्थात् 28-11-79 और 8-11-79 के बीच में जिन किसानों ने उर्वरकों की खरीद की है क्या यह छूट उनको दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्या मेरी सूचना के आधार पर मंत्री जी इसकी जाँच करवायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसकी जाँच करवा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो आदेश दिये गये हैं वे आदेश मंत्री जी क्या पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैंने कहा कि किसी रेडियोग्राम की मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो आदेश दिये गये हैं, वे क्या हैं, यह मैंने पूछा था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, वह पत्र तो इस समय मेरे पास नहीं है । (व्यवधान) अगर आप चाहेंगे तो वह सूचना मैं आपको बाद में बता दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उस आदेश पर ही तो हम चर्चा करना चाहते हैं और जब वही हमारे सामने नहीं है, तो हम चर्चा क्या करें, प्रश्न क्या पूछें ? इसलिये मान्यवर, इसे आप स्थगित कर दें और कल ले लें, कल मंत्री जी पूरी सूचना के साथ आयें ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जो भी आदेश दिये गये थे वह तो मैंने आपको बता दिये उत्तर में कि छोटे कृषकों को 25 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों को 33 1/3 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के कृषकों को 50 प्रतिशत सब्सीडी दी जायगी। यह सूचना पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, पूरा प्रदेश सूखे से पीड़ित रहा है। यह छूट जिन-जिन जिलों के लिये दी गयी हक्या मंत्री जी उनके नाम बताने की कृपा करेंगे? क्या यह छूट उन किसानों को नहीं दी गयी है, जिन्होंने सहकारिता के जरिये या सहकारी बैंकों के चेक्स के जरिये खरीद की है?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह छूट जो है चाहे वह उन्होंने खाद कोआपरेटिव के जरिये से ली हो, चाहे सीड स्टोर्स के जरिये से ली हो, सभी पर छूट जो है, उनको मिलेगी।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, क्या तरीका इसके अपनाने का है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जनता सरकार और लोक दल की सरकार में फास्फेट और पोटास पर जो 20 प्रतिशत की सब्सीडी पूरे प्रदेश के किसानों को दी गयी थी, उसको लागू करने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमन्, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, जो यह छूट के आदेश शासन से भेजे गये हैं, यह किस तारीख को भेजे गये हैं और किस तारीख से उस आदेश को लागू किया गया है?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, 9 जून को आदेश भेजा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जब तक आदेश की कापी नहीं आयेगी, तब तक न्याय नहीं होगा।

श्री बलराम सिंह यादव--

आदेश आप देखना चाहें, तो देख सकते हैं, आप चैम्बर में आ जायं, आपको सब दिखा देंगे।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का कृषि उद्योग का अगर नुकसान हो रहा है, तो उससे पूरा प्रदेश प्रभावित होगा और वह सारे प्रदेश पर निर्भर करता है।

श्री अध्यक्ष--

यह इससे संबंधित प्रश्न नहीं है। कृपया इससे संबंधित प्रश्न पूछने का कष्ट करें।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी गोदामों में जो पुरानी खाद का स्टाक पड़ा हुआ है, उसको किसानों को पुराने दामों में दिलवाने का कष्ट करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, पुराने स्टाक को पुराने दामों में नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह गोदाम उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। जो गोदाम हैं, उसका मालिक उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार नहीं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जिस कीमत पर अपने माल को बेच सकती है, तो इसमें माननीय कृषि मंत्री को क्या एतराज है कि अपने माल को पुराने ही कीमत पर बिकवायें और इसमें मुनाफाखोरी न करें?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह जो खाद का मूल्य है, इसका निर्धारण केन्द्रीय सरकार करती है, प्रदेशीय सरकार को खाद के मूल्यों का निर्धारण करने का अधिकार नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि कृषकों को जो आपने छूट देने की व्यवस्था की है, यह केवल सरकारी गोदामों से या प्राइवेट डीलरों से भी देने की व्यवस्था है?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह सभी जगह व्यवस्था है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के जो निर्देश आये हैं खाद के दाम बढ़ाने के लिये क्या उस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिछले स्टाक का भी दाम बढ़ाकर बेचा जायेगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने पुराने स्टाक को पुराने दाम पर बेचने को सहमत है।

श्री बलराम सिंह यादव—

जैसे रेट बढ़ा, उसके तुरन्त बाद में एक टेलेक्स कराया कृषि मंत्री भारत सरकार को और उनसे निवेदन किया था कि जो पुराना स्टाक है, उसको पुराने दामों पर बेचने दिया जाय। उसका जवाब यह आया है जो पुराना स्टाक है नये दाम पर बेचा जायेगा पुराने दाम पर नहीं?।

परिवहन निगम द्वारा राजकीय बसों के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बसों में 25 प्रतिशत किराया वृद्धि करने का सुझाव (उ० प्र० राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा भेजा गया) शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो अन्तिम निर्णय कब तक होने की सम्भावना है?

परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बसों का किराया 25 प्रतिशत बढ़ाने के सम्बन्ध में सुझाव, निगम द्वारा शासन के पास आया है और क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को सिद्धान्तः स्वीकार किया है और उसका कार्यान्वयन विचाराधीन है। अगर सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मंहगाई बहुत बढ़ गई है, आदमी संकट एवं असुरक्षा के कारण परेशान हो रहा है, तो क्या शासन इस मसले को पुनः विचार कर उस सुझाव को अस्वीकृत करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, निगम का प्रस्ताव विचाराधीन है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। सब चीजों के दाम बढ़ गय ह, डीजल का दाम बढ़ गया ह, बसों का दाम बढ़ गया ह, चेसिस का दाम बढ़ गया ह। निगम का यह प्रस्ताव है अभी उस पर विचार नहीं किया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस तरह का सझाव गत शासन म आया था जिसे गत शासन ने अस्वीकार कर दिया था?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें सूचना की जरूरत होगी।

श्री राम स्वरुप वर्मा—

क्या सरकार विचार करेगी कि जब प्राइवेट बसों का किराया नहीं बढ़ रहा है, डीजल तज होन के कारण भी वह चल रही है, तो सरकार उस प्रस्ताव को ठुकरा दें और इस आधार पर किराया न बढ़ाया जाय?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने बता दिया वर्मा जी कि अभी विचार नहीं हुआ है।

श्री राम स्वरुप—

मान्यवर, आश्वासन दे दें कि इस आधार पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कहा कि इस पर विचार होना है। कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

इनका कहना सही नहीं है। प्राईवेट बसों की जो यूनियन्स हैं, उन्होंने भी किराया बढ़ाने की माँग की है। उत्तर प्रदेश मोटर आपरेटर्स यूनियन ने 50 प्रतिशत, झाँसी बस आपरटस एसोसियेशन ने 60 प्रतिशत, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स कारपोरेशन ने 100 प्रतिशत और परिवहन संघ, इटावा ने 40 प्रतिशत किराया बढ़ाने की माँग की है। मान्यवर, सन् 75 में किराया बढ़ाया गया था उसके बाद चीजों के दाम काफी बढ़े हैं परन्तु ये उसी रेट से चल रही ह।

श्री मित्रसेन—

प्राइवेट बसें अपना किराया नहीं बढ़ा रही हैं और पिछली सरकार ने निगम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्या मंत्री जी जनता की माँग को देखते हुये सहानुभूतिपूर्वक किराया न बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कहा कि अभी विचार करेंगे।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है लगभग 80 प्रतिशत जनता आज भी बसों में चलने के लायक नहीं है। परिवहन मंत्री जी क्या इस स्थिति को ध्यान म रखते हुये कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता जिससे निगम का काम चल सके। निगम का काम तभी चल सकेगा, मान्यवर, जब निगम का करप्शन दूर किया जाये और ऐसी हालत में किराया भी नहीं बढ़ेगा। क्या परिवहन मंत्री इस पर विचार करने की कृपा करगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही विचार किया जायेगा और साथ ही साथ निगम का भी ख्याल रखना होगा कि कहाँ उसमें घाटा न हो। इस पर ध्यान देना होगा। इसकी जिम्मेदारी आप और हम सब पर है।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी हमारी जानकारी को सही मानते हुए यह महसूस करेंगे कि निगम में घाटा केवल करप्शन की वजह से होता है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया।

श्री शंकर सिंह—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष निगम में कितना घाटा और कितना मुनाफा हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे संबंधित प्रश्न नहीं है।

सदन का फ्लोर क्रास करने में आपत्ति

[समय 11·16 पूर्वाह्न]

श्री अध्यक्ष—

अब यह मेरे पास नियम 301 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं, जिनमें 5 सूचनाएं स्वीकृत हुयीं। पहली है श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था की बात है। इस बार कुछ माननीय सदस्य नये आये हैं और पुराने भी हैं जो फ्लोर को इधर-उधर क्रास करके आ-जा रहे हैं। इसके लिए मान्यवर, कुछ व्यवस्था दे दें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पार्लियामेण्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वह भी फ्लोर को उधर से इधर क्रास करके आ जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने टोक दिया है इतना ही काफी है।

बस्ती जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनवापुर के निरंतर बंद रहने तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी, श्री एस0सी0 राय के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 11·18 पूर्वाह्न)

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मैं आपकी आज्ञा से इस माननीय सदन के माध्यम से शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बस्ती जनपद के प्राथमिक स्वा0केन्द्र मनवापुर, के पिछले 6 महीने से निरन्तर बंद रहने तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी श्री एस0सी0राय के भ्रष्टाचार से वहाँ की जनता त्रस्त है। श्रीमन्, एक दिन भी अस्पताल नहीं खुलता, मरीजों की हालत चिन्ताजनक बनी रहती है। पीलिया एवं कालरा से सैकड़ों मरीज निराश होकर वापस चले जाते हैं। बरसात का मौसम है। आने-जाने की असुविधा हैं। उस स्वा0 केन्द्र की दयनीय दशा से जिलाधिकारी बस्ती एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं चिन्तित हैं। उन्होंने पिछले 3 माह में दर्जनों पत्र संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य, गोरखपुर, तथा स्वास्थ्य निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ एवं उ0प्र0 सरकार को लिखा तथा संयुक्त निदेशक, गोरखपुर ने भी यह माँग की है कि इस प्रा0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ]
स्वास्थ्य केन्द्र पर हम लोगों का कोई कन्ट्रोल नहीं है। कृपया तत्कालिक स्वास्थ्य केन्द्र की दशा सुधारने हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया जाये।

मान्यवर, सैकड़ों शिकायतें शासन में पड़ी हुयी हैं। 50,000 रु0 से कम प्रभारी चिकित्साधिकारी सी0 एच0 वी0 के चुनाव में लिये हैं। इस बात का यह सबूत है कि तीन चार माह पहले 25 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट इन्होंने बनवाकर अपने घर भेजा है जिसका प्रमाण बैंक से मिल जायेगा।

श्रीमन्, सैकड़ों सी0 एच0 वी0 रोज आते हैं और चले जाते हैं उन्हें भत्ता नहीं दिया गया, सब का भत्ता निकाल कर प्रभारी चिकित्साधिकारी खा गये हैं।

अतः मैं माँग करता हूं कि इन प्रभारी चिकित्साधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया जाय तथा जाँच के समय मुझे भी सूचित किया जाय जिससे मैं सभी मामलों के सबूत पेश कर सकूं।

देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों में पशुओं में गलाघोंटू बीमारी के प्रकोप के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ जनपदों में विगत एक पखवारे से लगभग 500 पशु मर चुके हैं और हजारों मरणासन्न की दशा में रोगग्रस्त हैं। देवरिया जनपद में मरने वाले पशुओं की संख्या दो सौ से अधिक है। रोगों की रोकथाम के लिए पशु चिकित्साधिकारी प्रयत्नशील नहीं है। गोरखपुर मण्डल के उप आयुक्त मौन साधे हुये हैं। पशुओं में बढ़ते हुए गलाघोंटू रोग से लोगों में चिन्ता व्याप्त है। जब किसान अपने जानवरों को पशु चिकित्सा केन्द्रों पर लेकर जाता है तो उससे पैसे की माँग की जाती है। वह निराश होकर पशुओं को घर लाता है इसी बीच उसके मवेशियों की मृत्यु हो जाती है। यह रोग कम उम्र के भैंसों, बैलों में व्यापक पैमाने पर फैल गया है।

अस्तु आज इस माननीय सदन में लोक महत्व के प्रश्न को उठाकर माननीय पशुधन विकास मंत्री से माँग करता हूं कि पशुओं में व्यापक पैमाने पर फैल रहे गला घोंटू रोग को रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें।

गोरखपुर मण्डल के जिला अस्पतालों में कुत्ता काटने की दवा के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, गत एक माह से गोरखपुर मण्डल के देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ जनपदों के अस्पतालों के कुत्ता काटने की दवा, सुई उपलब्ध नहीं है। पता चला है कि कुत्ता काटने की दवा मुख्यालय से उपरोक्त जनपदों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं दिया गया है। जिससे अस्पतालों के डाक्टर किंकर्त्तव्यविमूढ़ मति की स्थिति में हैं और दवा हेतु अस्पताल से निराश वापस हो जाते हैं।

अस्तु आज इस माननीय सदन के संज्ञान में इस लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कर माननीय स्वास्थ्य मंत्री से माँग करता हूं कि तत्काल उपरोक्त दवाओं की व्यवस्था करायें जिससे कि मरने वालों को बचाया जा सके अन्यथा हजारों रोज घटनायें हो रही हैं यदि उनकी उचित रोकथाम व दवा का प्रबन्ध नहीं किया गया तो उपरोक्त मौतें होती ही रहेंगी।

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाजार में पुस्तकों एवं कापियों के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर बच्चों के स्कूल खुल गये। किताबों तथा कापियों की दुकानों पर भारी भीड़ है। परन्तु बाजार में न तो सभी किताबें हैं और न उत्तर पुस्तिकायें। कक्षा 6 की पुस्तकें अभी छप कर नहीं आयीं। बेसिक तथा जूनियर हाई स्कूल के पुस्तकों के प्रकाशन का दायित्व सरकार पर है। छात्रों ने बताया कि हमारी दुनियाँ, भूमण्डल, बीज गणित, बेसिक अंगगणित भाग एक से पाँच व बेसिक इंगलिश रीडर उपलब्ध नहीं हैं। कक्षा 7 तथा आठ का पुराना स्टाक ज्यादा मूल्य पर चोरी से मिलता है।

मान्यवर, कापियों का भी यही हाल है। भारत सरकार द्वारा दिये गये रियायती कागज से निर्मित कापियाँ बाजार में नहीं मिल रही हैं और बाजारी कागज की कापियाँ दुगने से अधिक मूल्य पर उपलब्ध हैं। मान्यवर, इस बार कापियाँ बेचने का एकाधिकार सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को दे दिया गया है। लखनऊ से प्राप्त प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर मेरी सूचना है कि अभी यह कापियाँ चोरी से भले ही बिक रही हैं परन्तु खुले रूप से कहीं उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त तथ्य, मान्यवर, आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर आग्रह करूंगा किताबें तथा कापियाँ तुरन्त उपलब्ध कराने हेतु त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही अविलम्ब की जाये।

प्रदेश के प्रसार शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन—

प्रदेश के प्रसार अध्यापकों की माँगों के समर्थन में कल दिनाँक 8–7–80 से प्रसार अध्यापकों का आमरण अनशन शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्रारम्भ हो गया है।

शिक्षकों का यह वर्ग न्याय की माँग करता चला आ रहा है किन्तु शिक्षा विभाग तथा शासन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। इस श्रेणी के अध्यापक 1954 में स्नातक तथा पूर्वस्नातक वेतन क्रम में भर्ती किये गये थे पिछले 26 वर्ष में यह सभी अध्यापक अपने उसी मूल वेतन क्रम में कार्य करते चले आ रहे हैं। कोई पदोन्नति कभी किसी को नहीं दी गयी जिसके फलस्वरूप इस वर्ग के शिक्षकों में गम्भीर निराशा एवं रोष व्याप्त है।

प्रसार अध्यापक देहाती क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्रों को कृषि शिक्षा देने का कार्य करते हैं। शिक्षा में शारीरिक परिश्रम जिसे कोठारी आयोग ने कार्यानुभव की संज्ञा दी है, पाठ्यक्रम का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग माना गया है तथा संसार के सभी उन्नत देशों में प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का देहाती क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है इस दृष्टि से भी छात्रों को उत्पादन की शिक्षा देना महत्वपूर्ण है। उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना शासन का दायित्व है।

प्रसार अध्यापकों के आमरण अनशन से सभी वर्गों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों में गंभीर चिन्ता एवं क्षोभ व्याप्त है। प्रदेश के समस्त विद्यालय खुलने जा रहे हैं तथा इस भूख हड़ताल से सभी प्रभावित हैं। शिक्षक समुदाय इस वर्ग की सहानुभूति में कठोर कदम उठाने जा रहा है जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़े।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैंने एक नियम 301 की सूचना दी थी....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, वाल्टरगंज चीनी मिल बन्द होने जा रही है । अगर सीजन आ जायेगा तो किसान और .....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, किसान और मजदूर दोनों परेशान हो जायेंगे, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण करें ।

जनता (एस) (चरण सिंह) दल को लोक दल के नाम से मान्यता दिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 4 की कुछ सूचनाएं माननीय सदन को देनी हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने यह सूचित किया है कि जनता (एस0) (चरण सिंह) के सभी सदस्य लोक दल के सदस्य हो गये हैं । अतएव उन्होंने यह निवेदन किया है कि सदन में उनके दल को लोक दल के नाम से मान्यता दी जाए और यह घोषणा सदन में कर दी जाए । मैंने माननीय नेता विरोधी दल का उक्त निवेदन स्वीकार कर लिया है और अब जनता (एस0) (चौधरी चरण सिंह) को लोकदल के नाम से मान्यता दे दी गयी है ।

(बधाई-बधाई की सामूहिक आवाजें)

(तालियाँ)

एक सदस्य—

यह लोग यह वायदा करें कि फिर नाम नहीं बदलेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें ।

विधान सभा सदस्य, श्री रियासत हुसैन द्वारा जनता पार्टी (जे0पी0) की सदस्यता ग्रहण करने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री रियासत हुसैन, सदस्य, जिला मुरादाबाद, जो कि अभी तक निर्दलीय सदस्य थे, ने सूचित किया है कि उन्होंने जनता पार्टी (जे0 पी0) की सदस्यता ग्रहण कर ली है । अतः श्री रियासत हुसैन को जनता पार्टी (ज0 पी0) का सदस्य माने जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

(शोर)

जनता (एस) (चरण सिंह) दल को लोक दल के नाम से मान्यता दिये जाने की सूचना (क्रमागत)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । उनका दल अब लोकदल कहा जायेगा । श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जबकि चुनाव आयोग ने लोक दल को मान्यता नहीं दी है, क्या ऐसी मान्यता सदन के अन्दर आप दे सकते हैं ? अगर इस प्रकार की मान्यता एलेक्शन कमीशन से नहीं है तो सदन में कैसे हो सकती है ?

एक सदस्य—

जब आप लोग काँग्रेस (आई) हो गये राष्ट्रीय काँग्रेस से तो हम यहाँ लोक दल के नहीं हो सकते ।

(शोर)

(चुनाव कमीशन से हुए की आवाजें)

(बाद में हुए की आवाजें)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (समय 11.28 पूर्वाह्न)

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 6। इसमें आज नियम 56 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई थीं वे सभी अस्वीकृत हुईं।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बागपत काण्ड की जो न्यायिक जाँच की माँग है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण कर लें। किसको मैं बुलाऊं आप सभी लोग तो खड़े हैं।

श्री सत्य पाल सिंह—

रोजाना बलात्कार की घटनायें हो रही हैं। आप नियम 56 के अन्तर्गत तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन.....

(शोर)

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, बाढ़ के बारे में आपको दिया है। संपूर्ण प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका है। घाघरा नदी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसके बारे में कोई संकेत नहीं है। कल माननीय नियोजन मंत्री ने भाषण दिया था उसमें भी बाढ़ के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। मैं चाहता हूं कि आप चर्चा करा दें कि शासन की इस पर क्या नीति है। विश्वविद्यालयों में पानी भरा है परीक्षायें नहीं हो रहीं है। बाराबंकी में भी यही स्थिति है। संपूर्ण प्रदेश एक-दो-दिन में जल प्लावित होने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अविलम्ब शासन की ओर से एक वक्तव्य दिया जाय और माननीय सदन में चर्चा हो जाय, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे सुन लिया जाय।

श्री कुबेर—

मान्यवर, बड़ा गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

मेरे क्षेत्र में युवक काँग्रेस के लोगों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया है।

श्री अध्यक्ष—

जितने आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिये थे नियमों के अन्तर्गत मैंने उन पर विचार किया और मैंने निर्णय दिया कि सब अस्वीकृत हैं।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

मान्यवर, अब तक की परम्परा रही है कि जो भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते हैं वह पढ़े जाते रहे हैं। मैंने उन्नाव के एक मामले के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव भेजा है। उन्नाव में 5 तारीख को एक पासी की लड़की के साथ नवाबगंज में 2 सब इन्सपेक्टर्स ने रेप किया। यह बहुत गंभीर मामला है। उसने माननीय मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव को लिखा है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

व्यवस्था का प्रश्न है। जिस पर हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य बोल रहे हैं वह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं, मैं यह जानना चाहती हूं?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, यह उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देना इनके अधिकार में नहीं है बल्कि यह चेयर का काम है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

एक व्यवस्था के प्रश्न के बीच में दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। आप बैठें। मैं खड़ा हूं, आप बैठें।

श्री कुबेर--

मान्यवर, सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है। मुझे मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, जब माननीय प्रेमवती तिवारी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो उसके बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। माननीया तिवारी ने यह प्रश्न उठाया है कि यह कार्यस्थगन प्रस्ताव जो आये वह सब अस्वीकृत हो गये तो श्री मुख्तार अनीस किस नियम में और किस कायदे पर बोल रहे हैं। सब प्रस्ताव अस्वीकृत हो गये और मुख्तार अनीस जी खड़े हो गये कोई भी सदस्य अगर खड़ा होता है और अध्यक्ष की दृष्टि उन पर पड़ती है तो वह बोलने के लिये कह सकते हैं, इसमें किसी नियम या उपनियम की आवश्यकता नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट।)

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नवाबगंज थाने के अन्तर्गत गुरुप्रसाद नामक पासी की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। पिछले 6 महीनों में 16 रेप हुये हैं महिलाओं के साथ। मान्यवर, यह सदन निरन्तर चलता जा रहा है इसलिये आज ढाई घंटे का समय निश्चित करें, शांति और व्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये। उन बलात्कारियों का कहना है कि हमारा प्रतिनिधि चुन कर वहाँ पहुंच गया है इसलिये हमको खुली छूट है, रेप करने की। इसलिये इस पर मान्यवर, चर्चा का समय निश्चित करें।

(व्यवधान)

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सदन की यह परम्परा रही है कि कोई भी कार्य स्थगन प्रस्ताव जो आते रहे ह उन पर आपकी ओर से निचोड़ सुना दिये जाते रहे हैं, जो महत्वपूर्ण होते ह उन पर। मित्रसेन यादव और मैंने आज कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था कि प्रदेश में बलात्कारों की घटनायें बढ़ रही हैं जैसे बाराबंकी, देवरिया और बुलन्दशहर में। मान्यवर, चिन्ता का विषय है कि हमारा प्रदेश ही नहीं केन्द्र सरकार के लिये भी यह चिन्ता का विषय बना है। हम देख रहे हैं कि लोक सभा और राज्य सभा में हमारे प्रदेश में जो बलात्कार की घटनायें घट रही हैं उन पर वहाँ चर्चा होती है, लेकिन हमारा सदन चुप रहता है। तो यह हमारे लिये और सब के लिये बड़ी लज्जा की बात है। इसलिये कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में मान्यवर, पुनर्विचार कर लें और इस पर चर्चा करा दें। यदि ऐसा नहीं होता है तो बाहर चर्चा होती रहेगी और यहाँ हम चुप बैठे रहेंगे जो कि अच्छी बात नहीं है।

*श्री राम सागर--

मान्यवर, बाराबंकी में हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद उस महिला की हत्या कर दी गयी। इसकी सूचना यहाँ सदन में दी गयी और कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया, लेकिन इस तरह के मामलों में भी कोई सुनवाई सदन में नहीं हो रही है। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि महिलाओं के लिये यह मामला महत्वपूर्ण ह और इस देश और प्रदेश की इज्जत का सवाल है। इसलिये आप इस तरह के मामलों में जरूर सुनवाई करें अन्यथा महिलाओं, देश और प्रदेश के साथ अन्याय होगा। मान्यवर, मैं उस महिला का क्षत-विक्षत फोटो आपको दे रहा हूं जिसके साथ बलात्कार हुआ है।

(फोटो सहित पेपर की कटिंग मा० अध्यक्ष को दिया।)

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, आपको कार्य स्थगन का प्रस्ताव मैंने दिया, लेकिन मुझे बोलने का मौका आप नहीं दे रहे हैं। यह हमारे और हमारे दल के साथ अन्याय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक सदस्य को बुला लिया है तो उनको बोलने दें और बाद में अगर जरूरी होगा और मैं समझूंगा तो आपको भी बुला लूंगा।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं बड़े अफसोस के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि बलात्कार के इश्यू को इतनी गैर संजीदगी से हाउस में लिया जा रहा है और खास तौर से वह सेक्शन जो प्रदेश की नुमाइन्दगी कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

आपके शासन में एक महीने में पचास रेप हुये हैं, डकैती हुई हैं, महिलाओं को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता था.....

(व्यवधान)

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक अन्य सदस्य--

इस हाउस को [× × ×] या और भी कुछ चल रहा है ....(व्यवधान)..... (शोर) .... (घोर व्यवधान) .... (कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

(महिला सदस्याएं भी एक साथ बोलने लगीं)

श्री अध्यक्ष--

मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य ..... (व्यवधान) मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया....

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह--

आपने एक लाइन का निर्णय दे दिया। अखबारों में बलात्कार .....

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें। उसके बाद समय मिलेगा.... (व्यवधान) ..... कृपया बैठें। माननीय सदस्य, आप बैठ जायं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें.....

(व्यवधान तथा शोरगुल होने पर।)

यह सही है कि आप सभी सदस्यों की यह आकांक्षा होगी कि जब इस तरह की घटना घटे जो लोक महत्व की हो जिसमें हर तरह से समाज का कल्याण निहित हो उसको आप सदन में लावें। आप उसको सदन के नियमों के माध्यम से यहां लाते हैं। उसमें आप बीच में व्यवधान भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवधान करने के पहले आपको यह समझना चाहिये कि ऐसा करना उचित है या नहीं। आपके सौजन्य से मैं अध्यक्ष हूं इसलिये जब मैं निवेदन कर चुकूं तब आप लोग खड़े हों और जो कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं, अनुमति लेकर।

इससे पहले मैंने श्री मोहन सिंह को बुलाया था। उसके बाद मुहम्मद आजम खां कुछ कहना चाहते थे उनको मैंने बुलाया। वह अपनी बात समाप्त नहीं कर पाये, इस बीच में बहुत से लोग खड़े हो गये। मुहम्मद आजम खां अपनी बात समाप्त कर लें। आवश्यकता देख कर आगे कार्यवाही होगी और उसमें आप भाग ले सकेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं यह कह रहा था कि बलात्कार जैसे अहम मसले पर हाउस में बहस नहीं हो सकेगी अथवा इजहार खयाल नहीं हो सकेगा तो यह देश तथा प्रदेश की बदकिस्मती होगी। मैं पुरजोर तौर पर कहना चाहता हूं कि यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह औरतों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। अगर नहीं कर सकती तो यह निहायत शर्मनाक बात है.....

(शोरगुल तथा व्यवधान)

श्री दीनानाथ--

विरोधी दल के नेता जब यहां थे तब आपको रेप दिखाई नहीं दिये थे और आज एक महीने के अन्दर ही आपको रेप दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में खून की होली जली तब कानून व्यवस्था की हालत खराब नहीं थी, आज हालत खराब है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरी बात समाप्त होने दीजिये तभी मैं बैठूंगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन वाकयात का मैंने जिक्र किया वे रजिस्टर्ड वाकयात हैं, मनगढ़न्त नहीं हैं।

नोट--(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

थानेदारों को या तो मुअत्तल कीजिये या आप इस्तीफा दें। अफसोस तो यह है कि यह सब उधर बैठी हुई महिलाओं की तरफ से आना चाहिये था, वह जो जिम्मेदारी आपकी थी उसे हमको निभाना पड़ रहा है। अगर आपकी तरफ से गैर जिम्मेदाराना बातें होंगी तो हम चुप नहीं बैठें रहेंगे।

(शोरगुल तथा व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

बलात्कार की बात तो सुनी जायगी, लेकिन झूठे बलात्कारों की बात नहीं सुनी जायगी।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

एक सदस्य--

इस तरह से व्यवधान विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं उन्नाव की घटना के सिलसिले में सदन को बताना चाहता हूं। वहां पर एक मकान में एक महिला की इज्जत लूटी गई और पुलिस बाहर से पहरे पर खड़ी रही। (व्यवधान) सच बात को सुनने की आपमें हिम्मत नहीं है तो कैसे आप प्रदेश का शासन चलायेंगे? यह बड़े शर्म की बात है।

श्री मित्रसेन--

मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें हम देते हैं उन्हें आप हमेशा पढ़कर सुना देते हैं.....

श्री सुरेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नम्र निवेदन है कि यदि इस तरह से बिना किसी नियम के आप माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दते रहेंगे तो उससे व्यवधान होगा.....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें हम आपको देते थे उनको आप अपने स्तर से पढ़कर सुना देते थे और विषय की गम्भीरता को देखते हुये उसे स्वीकार करत थे। उसमें आप हमें मोका दें या न दें यह तो आप के ऊपर है। मान्यवर, हम लोगों ने निर्णय सूचना दी है। प्रदेश और देश आज इस बात से चिन्तित हैं, लोक सभा में भी यह प्रश्न उठा है और मैं उम्मीद करता था कि सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए था कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है उस पर बहस हो। ऐसी घटनायें आपके सामने पेश की गई हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में इस बात को देखते हुये कि प्रदेशों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन भी बुलाया गया है और देश के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह न भी कहा है कि यह प्रदेश का मसला है, यहाँ पर ही उसकी चर्चा होनी चाहिए। आज पूरा सदन बैठा हुआ है और आप ऐसे गम्भीर मसले पर मौका नहीं देते है। मान्यवर, इस पर बहस हो जाने से प्रदेश की स्थिति को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा और शासन को भी कुछ सुझाव मिलेंगे। श्रीमन्, आप विवेकशील हैं। ऐसे गम्भीर व्यक्तित्व के पीठासीन होने पर हम अपेक्षा करते हैं कि प्रदेश की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर आप बहस करने का मौका देंगे।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री रियासत हुसेन--

श्रीमन्, मेरा विषय दूसरा है जिसके बारे में माननीय मोहन सिंह जी ने थोड़ी सी बात कही थी। श्रीमन्, मेरा निवेदन ह कि यह वर्षाकालीन सत्र है और अब दूसरा सत्र जो बैठेगा वह बरसात के बाद ही बैठेगा। नदियों में बाढ़ शुरू हो गयी है। इसलिये आप दो घन्टे की, नियम 52 में, बाढ़ के ऊपर चर्चा करा दें तो कम से कम यह मालूम हो जायगा कि सरकार बाढ़ की रोकथाम और उसके लिये क्या-क्या प्रबन्ध कर रही है।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत जो कार्यस्थगन प्रस्ताव आये थे वे सब अस्वीकृत हो गये हैं। नियम 52 में यदि कोई एसी सूचना आयेगी तो उस पर विचार करेंगे।

श्री मोहन सिंह--

दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर दिया हुआ है तो विचार होगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

[समय 11-55 बजे पूर्वाह्न]

श्री अध्यक्ष--

अब आईटम नम्बर 7 श्री संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ--

मान्यवर, कल जो नाम दिय थे उनमें से बोलने से कुछ लोग रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

नाम देने की कोई बात नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, कल इस सदन में सत्ता पक्ष की ओर से इस सरकार के नम्बर दो के मंत्री श्री ब्रह्मदत्त जी ने अपना भाषण दिया ।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, नम्बर दो से इनका क्या मतलब है? नम्बर दो तो आप लोग हैं

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह नम्बर दो क्या होता है ?

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

तो मान्यवर, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था कि माननीय ब्रह्मदत्त जी जो इस सरकार में नम्बर दो हैं.....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, उन्होंने नम्बर दो का क्या अर्थ लगाया उधर के लोग जरा बता दें ?

---

†दिनांक 8 जुलाई, 1980 की कार्यवाही से।

श्री मुख्तार अनीस—

मैंने उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना। मैं इस प्रदेश के पिछड़ेपन और उसके आर्थिक विकास के सम्बन्ध में सबसे पहले कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इस बात का दुख है यह जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है और अपनी नयी सरकार के कार्यक्रमों की घोषणा की है इसमें कोई दिशा नहीं दी गई है। जो काम पिछली सरकार ने किये है और जो प्रदेश के विकास के बारे में योजनाएं तैयार की थीं उन्हीं का इशारा इसमें है और उसका श्रेय यह नयी सरकार लेना चाहती है। जिस क्षेत्र में भी आप देखेंगे पिछली सरकार के कार्य नजर आयेंगे लेकिन जब नियोजन मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारयों को गालियां देने की कोशिश की। आपने सत्ता में आने के बाद सारे कार्यक्रम और विकास की योजनायें ठप कर दी हैं। यहां पर ग्राम्य विकास मंत्री बैठे हुए हैं जब दिल्ली के अन्दर आप सत्तासीन हुए तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे कारगर योजनाएं थीं, जिसके कारण 1979–80 हमने उत्तर प्रदेश के अन्दर सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 15 लाख लोगों को रोजगार दिया था "फूड फार वर्क" उसकी जाँच करने के लिए एक टीम भेजी और उसको चलाने से रोक दिया गया। लेकिन बाद में उस स्कीम को लेकर लोक सभा में हल्ला मचा तब फिर उस स्कीम को शुरू किया गया। पिछली सरकार ने जिन सड़कों को बनाने की बात की थी उनके अतिरिक्त एक इंच भी नयी सड़क आप नहीं बनाने जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार ने अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया था।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

अन्त्योदय कार्यक्रम में गाय और भैंस भी बेची हैं, उनका विवरण भी बता दें।

श्री मुख्तार अनीस—

हमने साँड़ भी भेजे हैं। तो मैं कह रहा था कि पिछली सरकार ने 1979–80 में ढाई करोड़ रुपया अन्त्योदय परिवारों को देने के लिए कहा था। इसकी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं है आप उस कार्यक्रम को नजरअंदाज कर रहे हैं। (व्यवधान) आप कहते हैं कि हम हरिजनों के हिमायती हैं, किन्तु कार्य उसके विपरीत कर रहे हैं? अन्त्योदय का आदमी कौन है? हरिजन है। आपने इस कार्यक्रम की उपेक्षा करके हरिजनों को बिल्कुल नजरन्दाज करने की कोशिश की है। हमने एक साल में ढाई करोड़ रुपया इसके लिए दिया था, लेकिन उसके आगे आपने कुछ नहीं किया। आपने हरिजनों को अपना मुस्तकिल वोटर्स मानते है, लेकिन हरिजनों के प्रयोगार्थ पेयजल हेतु कुयें आदि के लिए पिछले शासन ने जो 12 करोड़ रुपया दिया था। किन्तु इसमें उस दिशा में किसी नई योजना की घोषणा नहीं की गई है। इस अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय शासन 5 महीने रहा और एक महीने से आप सत्ता में आए। आपने 17 तारीख को इस विधान सभा को भंग किया। आपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया 16–2–80 को.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आप हरिजनों के हितैषी बनते हैं....

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

इस तरह से कैसे सदन चल पाएगा? श्रीमन्, मेरा अब तो आपसे एक ही निवेदन है.....

श्री अध्यक्ष—

प्रत्येक सदस्य के लिए 10 मिनट का समय हमने निश्चित किया है। किन्तु सदन में इतने अधिक बोलने वाले लोग हैं कि शायद अब मैं सदन से अनुमति चाहूंगा कि अब समय 10 मिनट से कम किया जाए। मगर इस तरह से बीच बीच में व्यवधान होगा तो आप का समय और घटता चला जाएगा और परेशानी होगी। इसलिये जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिये, उनके बीच में आप लोग न बोलिए और बाद में जब आपकी अवसर मिले उसका जवाब दे दीजिएगा।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

श्रीमन्, सुन्दर आदमी को देखकर टोका टोकी हो ही जाती है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

बोलने के लिए स्वागत है, लेकिन बोलने की भाषा संयमित होनी चाहिए।

श्री मुख्तार अनीस—

श्रीमन्, 16-2-80 से 31-5-80 तक इस प्रदेश में अशान्ति की क्या स्थिति रही है? इस अवधि में यहां 1212 डकैतियाँ पड़ी हैं, 2141 लूट की घटनाएं हुई हैं, 1549 लोगों की हत्याएं हुई हैं और 3114 दंगे हुए और 6612 नकबजनी हुई हैं। कुल मिलाकर 53232 वाकयात हुए हैं। तो यह श्रीमन्, ला एण्ड आर्डर की बुरी स्थिति है। इसके अलावा जिस घटना की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। यह बहुत दुःख की बात है यह किसी दल का मामला नहीं है, यह इंसानियत का मामला है। इस घटना से आज उत्तर प्रदेश का दुनियाँ भर में मस्तक नीचा हो गया है कि हम औरतों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। एक-दो महिलाएं सदन में ऐसी हो सकती हैं जो अपनी रक्षा कर सकें, लेकिन आज महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि जो पार्टियाँ वर्गहितों के लिए बनती हैं, उनमें कुछ लोग रेपर्स के हितों के भी समर्थक हो कर आ गये हैं, इसलिए आज ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। मुरादाबाद में 30-6-80 को एक नवयुवक नवयुवती के साथ एक सब इंस्पेक्टर द्वारा बलात्कार किया गया। नौतनवाँ गोरखपुर में 22-6-80 को सामूहिक बलात्कार किया गया। बाराबंकी (कुर्सी) में एक सब इन्सपेक्टर द्वारा उसी दिन एक स्त्री का शीलभंग किया गया। आलमबाग, लखनऊ में एक सब इन्सपेक्टर और तीन सिपाहियों द्वारा 17-5-80 को एक स्त्री के साथ थाने के भीतर व्यभिचार किया गया। बिसौली (बदायूं) में 30-4-80 को एक महिला के साथ और प्रतापगढ़ में 26-3-80 को दो सिपाहियों द्वारा हरिजन स्त्री का शील-हरण किया गया। लखीमपुर खीरी में एक सब इन्सपेक्टर ने बलात्कार करने का प्रयास किया, यह 20-3-1980 को स्वतंत्र भारत में प्रकाशित हुआ, "बरेली (बिरिया) में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार" यह भी स्वतंत्र भारत में दिनाँक 5-3-1980 को प्रकाशित हुआ और बाँदा में एक विवाहित युवती के साथ बलात्कार एक स्टेशन आफिसर और दो सिपाहियों ने किया यह पायनियर में दिनाँक 21-2-1980 को प्रकाशित हुआ।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरठ की बात कर रहे हैं। मैं एक घटना बताना चाहता हूं कि एक तियना गाँव है.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठें। आप बाद में जानकारी दे दीजिएगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, इस तरह से यह बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। यह मामला बड़ा ही गंभीर है और इस मामले पर माननीय सदन को ध्यान देना चाहिए। इन लोगों ने शान्ति

व्यवस्था के नाम पर वोट लिया है, लेकिन शान्ति और व्यवस्था को यह बनाये रखने में असमर्थ हैं। यह नपुंसक सरकार है। इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। इन लोगों ने इस प्रदेश में जाँत-पाँति को बढ़ाने की कोशिश की है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

हमारी सरकार को नपुंसक बता रहे हैं इनसे पूछिए कि इनकी सरकार कैसी थी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मुख्तार अनीस--

इस प्रदेश में कौन मुख्य मंत्री बने, कौन कार्यक्रम को गति दे सकता है, प्रशासन को कौन चला सकता है? वह ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, इस प्रकार के जातिवाद का नंगा नाच किया जा रहा है। आज प्रशासन इनके कब्जे में नहीं है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हुआ और उसके अन्दर बदले की भावना से काम किया गया। तमाम जिलाधिकारियों को हटाया गया। केन कमिश्नर को हटाया गया, लखनऊ के कलेक्टर को हटाया गया।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

समय हो गया है। बैठिए। लाल बत्ती हो गयी है।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मैं इस मंत्रि मंडल के सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोक तंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को बनाये रखें और प्रशासन को स्वच्छ रहने दें और उसको अपने हाथ की कठपुतली न बनायें।

*श्री भोला पाण्डे--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संजय सिंह ने जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने आगे आने वाली प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए जो अपना विवरण प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि उसका गहन अध्ययन करें तो यह सही रूप में इतिहास का एक अध्याय बन जायेगा। कानून व्यवस्था को सुधारने की बात कही गयी है, जिसको पिछले 3 वर्षों में लोकदल के शासन ने अस्त व्यस्त कर दिया। कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ गयी थी कि आम आदमी सड़क पर सही तरीके से नहीं चल पाता था। उसका कारण था कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग सरकार और प्रशासन चलाने में आ चुके थे। उनकी अकर्मण्यता, अक्षमता, और जनता पार्टी और लोक दल के लोगों की अनुभवहीनता के कारण प्रशासन में गैर जिम्मेदाराना तरीके से दखलअन्दाजी के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय को यह कहना पड़ा कि कानून व्यवस्था का सुधार किया जाना चाहिए जो स्वागत के योग्य है।

मैं माननीय नेता विरोधी दल का भाषण परसों सुन रहा था। उन्होंने काँग्रेस के लोगों पर गलत तरीके से आक्षेप लगाया कि पिछले दिनों चुनावों के समय, चुनावों में बूथ कैपचरिंग करायी गयी। मैं नजीर हूं आपके सामने। मैं बलिया जनपद के द्वाबा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आया हूं। पिछली बार जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष [* * *] के नेतृत्व में (व्यवधान) इस कदर हिंसा करायी गयी द्वाबा क्षेत्र में.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--(* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री गौरी शंकर भैय्या तथा अन्य कुछ अन्य सदस्य खड़े होकर साथ-साथ बोलने लगे और घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

एक सदस्य--

माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

(श्री गौरी शंकर भैय्या से) अब आप कृपया बैठें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, पहले वह अपनी जबान से वापस लें।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें। जिन माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा गया है वह बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात वह कहते हैं जो आप समझते हैं कि गलत है तो जब आपको अवसर मिले, तब उसका प्रतिकार कीजिये। जब कोई सदस्य बोल रहे हों तो व्यवधान न करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री रियासत हुसैन--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि इस माननीय सदन के अन्दर परम्परा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो इस सदन के अन्दर मौजूद न हो।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यह चीज बरदाश्त नहीं होगी। यह सदन है। इसका ध्यान रखिए।

श्री रियासत हुसैन--

मैं इस बात पर व्यवस्था की माँग कर रहा हूं कि इस सदन की परम्परा रही है कि जो व्यक्ति इस माननीय सदन के अन्दर मौजूद न हो, जिसको अपने डिफेंस का अवसर न मिल सके, उस व्यक्ति का नाम इस हाउस में नहीं लिया जाना चाहिए। चन्द्रशेखर जी का नाम आया है, वह इस सदन के मेम्बर नहीं हैं। आप उनके नाम को कार्यवाही से निकलवाइये।

श्री अध्यक्ष--

यह इस सदन की मानी हुई परम्परा है कि जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं हैं और अपना पक्ष वह नहीं उपस्थित कर सकते उसके सम्बन्ध में हम नहीं कहेंगे। अतः मैं माननीय भोला पाण्डेय जी से कहूंगा कि वे इसका ध्यान रखते हुए अपना भाषण जारी रखें।

श्री रियासत हुसैन--

कार्यवाही से आप निकलवाने के लिए कह दीजिए, उतना भाग।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही देख ली जायेगी। यदि कोई आपत्तिजनक बात होगी तो कार्यवाही से निकाल दी जायगी।

श्री भोला पाण्डेय--

कानून व्यवस्था पर आप बातचीत कर रहे हैं, जनता पार्टी के लोग तो खुद ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जिसके कारण ही इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ। आज जो लोग इसके लिये काँग्रेस पार्टी पर आक्षेप कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिये। कानून और व्यवस्था के बारें में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जो कछ कहा है

वह स्वागत योग्य है, उसका अभिनन्दन व्यापक तरीके से होना चाहिये और मुझे विश्वास है कि इस सरकार द्वारा शीघ्र ही कानून और व्यवस्था में सुधार होगा, मौजूदा सरकार शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था लायेगी जिससे आम आदमी सुरक्षित तरीके से सड़क पर घूम फिर सकता है. . . .

(शोर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

माननीय बाजपेयी जी, जब आपके ही दल के माननीय सदस्य भाषण कर रहे हों तो बीच-बीच में खड़े होना उचित नहीं है। माननीय सदस्य कृपया शाँति से सुनें।

श्री भोला पाण्डेय––

राज्यपाल महोदय ने किसानों के लिये भी बहुत कुछ कहा है। किसानों का बेटा कहे जाने वाले भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह ने तो अपने काल में किसानों के सर में एक एक कील ही ठोक दी थी। मौजूदा सरकार ने किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझा है, उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है, जो स्वागत योग्य है।

कृषि के क्षेत्र में असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई योग्य बनाने की बात भी अभिभाषण में कही गयी है। हमारे प्रदेश में 172 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है. पर पिछली जनता सरकार की अकर्मण्यता के कारण 55 लाख हेक्टेयर भूमि में खरीफ की फसल नहीं बोई जा सकी। आगे आने वाले समय में मौजूदा सरकार इसकी व्यवस्था करेगी कि सारी जमीन में खरीफ की फसल बोयी जा सके।

विद्युत् के संबंध में भी महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में काफी कुछ प्रकाश डाला है। हमारे यहाँ 38–39 मिलियन यूनिट प्रति दिन का खर्चा है परन्तु 26–27 मिलियन यूनिट ही हमारे यहाँ उत्पादन हो पा रही है। इसका कारण यह रहा है कि पिछली सरकार ने, जनता पार्टी ने, गलत और अक्षम लोगों को, अपने लोगों को, विद्युत् विभाग में उच्च पदों पर नियुक्ति किया। जो बिजली पैदा हुई वह बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ही दी। बिजली की चोरी जोरों से होती रही। वर्तमान सरकार द्वारा इसमें सुधार किया जा रहा है।

बेरोजगारी का भी जहाँ तक सवाल है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने उसके बारे में भी काफी कहा है। आगे आने वाले दिनों में नौजवानों को रोजगार दिये जाने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे।

उद्योगों का जहाँ तक सवाल है, पिछली सरकार ने उद्योग पतियों को ही महत्व दिया, उद्योगों का गला घोंटा। इसके कारण औद्योगिक उत्पादन घटा, कारखानों में अव्यवस्था फैली. . . . . .

(व्यवधान)

कृषि के विषय में भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है। पूरे प्रदेश में खरीफ की कृषि योग्य भूमि 172 लाख हेक्टेयर है परन्तु हम 122 लाख हेक्टेयर में ही खरीफ की फसल बो पाते हैं। वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि पूरी कृषि योग्य भूमि पर खेती हो सके।

प्रदेश में कई विपदायें हमारे सामने हैं–दैविक आपदा, बाढ़ की समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे जनपद में पिछली सरकार के पहले की जो सरकार थी, उसने जो हरिजनों को भूमि वितरित की थी, वह भूमि जनता पार्टी और लोकदल की सरकारों ने हड़प कर ली है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि जो हरिजनों पर अत्याचार किया गया है, जो जमीन उनसे छीन ली गयी है, उनको वह जमीन दी जायगी। पिछली सरकार के पहले की सरकार ने जो कार्यक्रम भूमि वितरण के संबंध में बनाया था। जनता पार्टी की सरकार ने और लोकदल की सरकार ने उसको समाप्त कर दिया था। बलिया क्षेत्र के अन्दर दोआबा के अन्तर्गत बाढ़ का प्रकोप

[श्री भोला पाण्डेय]
जो है उस पर हमारी सरकार ध्यान देगी और इस बात के लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, जो भाषण के बीच-बीच में व्यवधान डालते हैं' उनको इस बात का निर्देश दिया जाय कि वे किसी भी सदस्य की टीका टिप्पणी करने की जुर्रत न करें ।

(व्यवधान)

मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हम हर स्थिति से निपटने की क्षमता रखते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा---

यह नकली पिस्तौल के बल पर जहाज उड़ाना नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने भाषण के अन्त में धमकी दी है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, उन्हें अपने शब्द को वापस ले लेने चाहिए ।

माननीय सदस्य ने थ्रेटेन किया है । मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि इस पर आप अपनी रूलिंग दें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

अगर यह गुन्डागर्दी का अखाड़ा बनाना है, तो हाउस के बाहर होना चाहिए, हाउस के अन्दर नहीं होना चाहिए ।

एक सदस्य--

माननीय भोला पाण्डेय ने जो शब्द कहा है, उसे वह वापस लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वह अपना स्थान ग्रहण करें । इस सदन की मान्यताओं को देखते हुए किसी भी सदस्य को इस तरह की कोई भी बात न कहने का अधिकार है न कहना चाहिये । श्री राम कृष्ण जी, आप अपना भाषण जारी करें ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर नेता विरोधी दल अपने तमाम सहयोगियों के साथ इस सदन में खड़े होकर अपना काम करा लेते हैं और खड़े होने की धमकी से यह काम कराते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठें । माननीय काशी नाथ मिश्र जी, आप भी बैठें । मैंने एक व्यवस्था दी कि कोई भी सदन में धमकी की बात नहीं कर सकता यह सभी सदस्यों के लिये थी उसके पश्चात मैंने राम कृष्ण जी को बुला लिया । उसके बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं था । (काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर) कृपया आप बैठें । मैं पुनः निवेदन करता हूं कि सदन में किसी भी माननीय सदस्य को किसी तरफ के लिये, किसी को भी धमकी देने का अधिकार नहीं है । चाहे इस पक्ष में ऐसा होता है तो भी उचित नहीं है उस पक्ष से होता है तो भी उचित नहीं है ।

*श्री राम कृष्ण--

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं । आज की एसेम्बली चल रही है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे खेद है बड़ा अफसोस है, उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ जनता के जिस सहयोग से हम जन प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं अपनी गरिमा को भूल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बार-2 जिस प्रकार निवेदन किया है, जैसा हनुमान चालीसा में कहा गया है "आपन तेज सम्भारों आपे" कृपया आप अपनी तेजी को अपनी हैसियत को, डेढ़ दो लाख की जनता के प्रतिनिधि बन कर आये हैं अपनी महिमा न भूलें। मैं समझता हूं कोई भी माननीय सदस्य जब कोई बात बोल रहा हो तो उसकी बात को सदन सुने, अध्यक्ष सुने, हम सभी सुने, क्यों, उसकी एक महिमा होती है एक गरिमा होती है। सभी सदस्य बोल गये और किसी ने नहीं सुना न अध्यक्ष ने सुना न माननीय सदस्यों ने सुना। मैं निवेदन करूंगा यह एसेम्बली है आप 10 करोड़ जनता के भाग्य विधाता हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं भी उधर बैठा था मुझे याद है किस तरह से विरोध किया जाता है।

मान्यवर, इनकी 3 वर्षों की सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की कार्य प्रणाली में जिस तरह से जातिवाद और पक्षपात पूर्ण पद्धति से कार्य किया है उसको जनता ने एहसास किया है निवेदन करूंगा कि वह अब भी अपने विचारों में परिवर्तन लावें तो अच्छा होगा। 3 साल की सरकार के बजाय देश के अन्दर मंगलमय पंचवर्षीय योजनाओं को, राहत कार्यों को चलाते, पिछले ढाई साल के शासन में सरकार ने हमारे कांग्रेस की नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी और महान युवक नेता स्व0 संजय गाँधी के पीछे पड़ी रही। जिसको जनता ने पहचाना और आपको आपके दुष्कर्मो के कारण पटक दिया नहीं तो अभी तक आप इस देश और प्रदेश में शासन करते रहते। मैंने देखा पालियामेंट के चुनाव में हिन्दुस्तान के अन्दर, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश विधान सभा में आपकी तादाद बहुत ज्यादा थी। लोगों ने आपको चुन कर भेजा था आप अपने विवेक से अपनी दूर दर्शिता से शासन चलाते देश और प्रदेश का। हमारे देश और प्रदेश की कांग्रेस की एक नीति थी। कांग्रेस का एक रिजीम था उसकी एक नीति थी उस पर न चलकर एक नये रास्ते पर चल कर आपने जो नये रास्ते बनाये जो नयी दिशा खोजी उसी रास्ते को आप भूल गये। उस सही रास्ते पर नहीं चल सके आपसी लड़ाई की वजह से देश और प्रदेश को दिशा हीन कर दिया। तीन सालों के अन्दर देश और प्रदेश की जनता ने देखा, और मैंने भी उस समय बहुत सी बातें देखी। मैं उस समय विरोधी कार्यकर्त्ता था। आप के राज्य में क्या करने को बाकी रहा? छात्रों पर लाठी चार्ज की गयी। महिलाओं, युवकों और नवयुवकों पर लाठी चार्ज की गयी, मिल के मजदूरों को गोली से भून दिया गया। व्यवसायी समुदाय पर लाठी चार्ज हुयी। गुरुजनों की पीठ को भी पूजा की गयी। जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने अध्यापकों पर भी अत्याचार किये। और सारे सिद्धान्तों को भूल गये अपने ढाई-तीन साल के राज्य में इसीलिए जल्दी से बिदा भी हो गये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि श्री मोरार जी जब प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने इमरजेन्सी की बहुत निन्दा की और निभय आन्दोलन चलाने की बात की और निर्भय का नारा दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि देश और पूरे प्रदेश में निर्भय ही निर्भय हो गया हर वर्ग के लोग निर्भय हो गये। चोरी और डकैतियाँ निर्भयता से होने लगीं, व्यापारी लोग निर्भय होकर अपनी गठरियाँ गाँठने लगे। देश और प्रदेश में सारा का सारा निर्भय हो गया। प्रशासन भी निर्भय हो गया। जब प्रशासन की कोई रूप रेखा नहीं रह गयी। जनता और लोक दल की सरकारें जब स्थिति को काबू नहीं कर पाई तो जनता ने आपको बिदा कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि जनता ने आपके कारनामों को देखा, देखकर और महसूस कर हमें सत्ता सौंपी। हमें अभी एक या डेढ़ माह ही हुये हैं, शासन सूत्र मिला है। आते ही हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थिति को देखा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत दी। किन्हीं जिलों में इण्डस्ट्रीज और उद्योग आदि लागने के लिए सर्वे करा रही है। हमें प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश में एक

[श्री राम कृष्ण—]
मजबूत सरकार बनी, जिसे हमारे देश और प्रदेश की जनता देख-देख कर भूरि-भूरि प्रसंशा कर रही है और सौभाग्य से एक कुशल, सक्षम और अनुभवी तथा निष्पक्ष मुख्य मंत्री मिला और पुराने अनुभव वाले मंत्री भी आये। और इस प्रदेश के शासन की बाग-डोर अपने हाथ में ली। इस प्रदेश के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण म जिन बातों का जिक्र किया, उसे सुनकर हमारे प्रदेश की जनता और कार्यकर्त्ता बहुत प्रसन्न ह और यह महसूस कर रही है कि प्रदेश का काम अब ठीक ढंग से चलेगा और प्रदेश का शीघ्र ही उत्थान होगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश की इस समय जो हालत है, उसे कृपया देखें। कई जिले सूखे और ओले से ग्रस्त हैं और मेरा निवेदन ह कि हर जिले में एक राहत कमेटी बनायी जाय, जिसकी समय समय पर बैठक हो। उसके अन्दर अधिकारी काम करें। जो हर मास कार्य की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करे और सारे कार्य जनहित को दृष्टि में रखते हुए करे। और दूसरे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जनपद जौनपर में इण्डस्ट्रीज का बहुत अभाव है। वहाँ उद्योगों की बहुत कमी है। कई बार पिछली सरकार से भी मैंने इस ओर निवेदन किया था, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुयी। अतएव अब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जनपद जौनपुर में एक इण्डस्ट्री की स्थापना की जाय। और मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि टी0 डी0 कालेज को विश्वविद्यालय बनाया जाय और खासकर हमारे विधान सभा क्षेत्र बरसठी में एक डिग्री कालेज बनाने की माँग की गयी है और हमारा ही क्षेत्र है जिसमें 5 नदियाँ पड़ती हैं, जिसमें एक बरना नदी है, जिसके सुरेरी गाँधी घाट पर पुल बनाने की नितांत आवश्यकता है। वह समस्त क्षेत्रों का मुख्य मार्ग ह। बरसात के दिनों में, इस पुल के अभाव की वजह से लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता चक्कर काट कर तय करना पड़ता है जो बहुत ही इन्टीरियर क्षेत्र है।

अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समथन करते हुए और जनपद जौनपुर के टी0 डी0 कालेज को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता तथा बरसठी में एक डिग्री कालेज की स्थापना के निवेदन के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष——
मैंने श्री फखरे आलम को बुलाया है।

*श्री फखरे आलम——
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बात का अवसर दिया कि मैं अपने विचार, अपने ख्यालात, जज्बात को आपके माध्यम से सदन के समक्ष रख सकूं।

श्री भगवान दीन कुशवाहा——
माननीय अध्यक्ष जी, आप सब माननीय सदस्यों से परिचय कर लें ताकि आपको आसानी हो हम लोगों को बुलाने में।

श्री अध्यक्ष——
मैं सभी सदस्यों को पहचानता हूं और आपको आपके नेता पहचानते हैं। इन सब बातों से सामन्जस्य करके मैं आपको बुलाता हूं। अब आप बैठें।

श्री फखरे आलम——
मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहने की ख्वाहिश रखता हूं कि इस प्रदेश में जिसका ला-एण्ड-आर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है और ऐसा मालूम होता है कि हम लोग किस तरफ को चले जा रहे हैं। यहाँ करोड़ों आदमियों के नुमाइन्दे बन कर आये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। हर आदमी हममें से सवा लाख, डेढ़ लाख का नुमायन्दा है। जिन्होंने हमको चुन कर भेजा है उनकी कोई सेवा कर सके हैं? मान्यवर, यह देख कर बड़ा दुख होता है कि हम लोग ऐसी बातों पर झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की स्पीच होते वक्त उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हमारी बातें, विचार, ख्यालात सुनें। अगर आप समझते हैं कि हम गलत कह रहे हैं तो अपनी माँ से कहिये। खुदा ने आपको ताकत दी है, बल दिया गया है तो उसका नाजायज फायदा न उठाइये। जिन्दा रहें और जिन्दा रहने दो।

मान्यवर, हमारे राज्यपाल महोदय ने बहुत सी बातें कहीं, बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। हम यह समझते थे कि राज्यपाल महोदय हमारे इस दुखी परिवार यानी इस प्रदेश के बारे म कोई ऐसी बात रखेंगे जो कोई ठोस बात होगी। बिजली की क्या समस्या है, कहाँ जा रही है, किस जगह जा रही है? मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो उस तरफ बैठे लोग हैं आप भी उन्हीं लोगों की नुमायन्दगी कर रहे हैं जिनकी हम कर रहे हैं। आपके सामने भी वही समस्यायें हैं जो हमारे सामने हैं। आप देखिये बिजली का उत्पादन कितना हो रहा है और बिजली किस तरफ दी जा रही है। इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा। इस प्रदेश को चलाने के लिए जो खेती पर निर्भर है, किस प्रकार बिजली देंगे? खुदा का शुक्र है कि पानी बरस रहा है। बिजली बनेगी और काफी बिजली हो सकती है मगर हमारे बिजली के कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं, अपने एलाउन्सेज, अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं और बिजली की कमी की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कोई ध्यान इस बात की तरफ नहीं दिलाया कि जो यह एलेक्शन हुए उन एलेक्शनों में किस तरह से बूथ कैपचरिंग हुई और क्या क्या कार्यवाहियाँ की गयीं। उस जमाने में प्रेसीडेन्ट रूल था, उसमें एडवाइजर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये था। जो ट्रेजरी बेन्चेज में बैठे हैं जरा इस ओर सोचें, इस पर विचार करें कि गवर्नर के एडवाइजर्स ने क्या किया। एलेक्शन में असुविधा पहुंचाई गयी। चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, बूथ कैपचरिंग कराई गयी। किस तरीके से कराई गयी, मैं यह नहीं कहना चाहता। किसकी पार्टी ने बूथ कैपचरिंग कराया, यह नहीं कहा जा सकता। सभी ने कराया जिसको मौका मिला उसने बूथ कैपचरिंग कराया। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हुई। गवर्नर का शासन था, राष्ट्रपति का शासन था.....

एक सदस्य—

लोक दल का शासन था।

श्री फखरे आलम—

लोक दल का शासन कौन था? लोकदल से मेरा कोई वास्ता नहीं। काँग्रेस (यू0) का हूं। पुराना काँग्रेसी रहा हूं.....

एक सदस्य—

पुराने काँग्रेसी थे तो चले आइये इधर।

श्री फखरे आलम—

मेरे आने का सवाल नहीं है। मैं तो अपने भाई से कहता हूं, अभी मंत्रियों का मामला तय हो जाये मुझे उम्मीद है, 3–4 आकर इधर बैठेंगे।

मैं यह कह रहा था कि बूथ कैपचरिंग हुई। बहुत बड़े पैमाने पर हुई। गवर्नर के एडवाइजर्स ने नहीं रोका। उन्होंने इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं ली।

पुलिस का यह हाल हो गया है कि आज किसी आदमी का निकलना मुश्किल हो गया है। महिला की बात छोड़ें आदमी का निकलना मुश्किल है। पुलिस नाराज हो जाये तो रह नहीं सकते। थानेदार हुकूमत करता है। हुकूमत आप नहीं करते है, पुलिस की

[श्री फखरे आलम]

हुकूमत है, पुलिस शासन करती है। मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि देहातों में जाकर देखें अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर देखें कि किस तरह से पुलिस काम कर रही है। जबरन काम करवा रही है। मेरे भाई बताएं कि मैं गलत हूं। आज जरूरत इस बात की है कि उनके ऊपर चेक रखा जाय। पुलिस अधिकारियों को रोका जाय कि इस प्रकार जबरदस्ती किसी से काम कराने का, किसी को परेशान करने का उनको हक नहीं है। यह भी सही है कि पुलिस अगर किसी मामले में दखल दे सकती है तो नहीं देती। वह जुर्म को रोकती नहीं है, बढ़ावा देती है। जुर्म चाहे जिसपर हो, लिखा जाय, रिकार्ड किया जाय। गरीब आदमी की एफ0 आई0 आर0 लाज नहीं की जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस को इस बात के इन्सट्रक्शन देने चाहिये कि अगर कोई एफ0 आई0 आर लिखाने जाता है तो उसको किसी तरीके से रोका न जाये, फौरन एफ0 आई0 आर0 लिखी जाये। ट्रेजरी बैन्च पर बैठे मेरे भाई माफ करेंगे बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने एलेक्शन में पुलिस के लोगों से मदद लिया था आज उस अहसान का बदला चुकाना है, उनको रोक नहीं पा रहे हैं। पुलिस को मनमाना करने का मौका दिया जा रहा है अगर इसी तरह से पुलिस मनमाना करती रही तो क्या हाल हो जायेगा ला-एण्ड आर्डर का? देश और प्रदेश कहाँ चला जायेगा, क्या होगा और किस तरह से गरीब आदमी इस प्रदेश में रह सकेगा? यह बात सोचने की है। मैं एक छोटा सा वाकया आपके माध्यम से सदन में लाना चाहता हूं। पुलिस की बड़ी-बड़ी ज्यादतियाँ हो रही है मेरे क्षेत्र उसेहत, जिला बदायूं में एक छोटा सा गाँव है, जसवन्तनगर जहाँ पुलिस इन्सपेक्टर के0 पी0 सिंह 4 पुलिस कांस्टिबिलों के साथ 12 मई को पहुंचे। जबरदस्ती गूंगे लाला-श्यामलाल मल्लाह के घर में घुस गये। उस समय घर में मर्द नहीं थे। उन्होंने औरतों से कहा कि बंदूक दो। औरतों ने कहा कि बंदूक नहीं है। इस पर औरतों को नंगा किया गया और उनके प्राइवेट पार्टस में मिर्चे भर दिये गये।

(शेम शेम की आवाजें)

एक सदस्य--

यह लोग.....

श्री फखरे आलम--

तो मैं कहना चाहता हूं कि यह 12 मई का वाकया है और आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज बदायूं की पुलिस में वह आदमी सब इन्सपेक्टर जिन्होंने औरतों के प्राइवेट पार्ट्स में मिर्चे भरे थे आज भी मौजूद है। मुख्य मंत्री जी आज नहीं है? हमारे एक माननीय मंत्री जी जो बरेली के रहने वाले है इस वक्त खुशकिस्मती से मौजूद है। वह इस बात को देखें और गौर करें। यह तमाम वह बाते है जो रिकार्ड पर मौजूद हैं। पुलिस की ज्यादतियों को कोई सीमा नहीं है और इस तरह से गरीब आदमियों को परेशान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री फखरे आलम--

थोड़ा समय दे दें।

एक सदस्य--

मान्यवर, मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। मैं कल से समय मांग रहा हूं।

श्री फखरे आलम--

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन तमाम बातों पर राज्यपाल महोदय को कुछ कहना चाहिये था लेकिन उन्होंने इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, पिछली सरकार खत्म होने के बाद जब नयी सरकार बनी उनके बीच जमाने में असलियत में उत्तरप्रदेश में कोई राज नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी। कानून की हुकूमत नहीं थी, जबरदस्ती की हुकूमत थी। अफसरों की हुकूमत थी। मुझे अफसोस है कि आज भी

अफसरशाही काम कर रही है। मैं शिकायत नहीं करना चाहता लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज भी अफसरशाही काम कर रही है। हालत यह है कि मुख्य मंत्री भी कोई हुक्म देते हैं तो अफसरशाही कोई ध्यान नहीं देती। 30 जून 80 को मुख्य मंत्री ने मेरे सामने अपने एक बहुत बड़े अफसर को इस बात का हुक्म दिया कि यह काम करो, काम यह था कि मेरी पार्टी को जो आफिस दिया गया है, जो कमरा दिया गया है उसमें कुछ व्यवस्था करनी थी। लेकिन काम नहीं किया गया और मुख्य मंत्री के आदेश की अवहेलना की गयी और जरा परवाह नहीं की गयी, यह हालत है ब्यूरोक्रैसी की। ब्यूरो क्रैसी काबू में नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हम पोज कर रही है कि हुकूमत उसके हाथ में है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री फखरे आलम--

मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हरिजनों और मुसलमानों के साथ पिछले समय में जो ज्यादतियाँ होती रही है वह ज्यादतियाँ होती रहेंगी या उनको दूर करने की कोई कोशिश की जायगी ? लेकिन राज्यपाल के भाषण में उन्होंने कोई बात इसके बारे में नहीं कही। बिहार में उर्दू को जब सेकेंड लेंगुएज बना दिया गया है तो क्या वजह है कि यहाँ नहीं बनायी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया और अब श्री दामोदर शर्मा बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मुझे कल से समय बोलने के लिये नहीं दिया जा रहा है। तो क्या शोर करने पर ही समय दिया जायेगा और शराफत से बैठने पर बोलने का समय नहीं दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं। मैंने यह देखकर कि जितने समय है दोनों दलों के जैसे शासक दल के 305 माननीय सदस्य हैं और विरोधी पक्ष के 116 माननीय सदस्य हैं। इसको ध्यान में रखते हुये एक सदस्य विरोधी दल का बोलेगा और 2 सदस्य शासन दल के बोलेंगे।

कई सदस्य तीन-होने चाहिये

श्री अध्यक्ष--

तो यह जानते हुए कि शासक दल को अनुपातत: कम समय दिया गया है, मगर यह सोचकर कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों को कुछ ज्यादा समय देना उचित होगा, इसलिये ऐसा किया है। इस अनुपात में जितने माननीय सदस्य बोल सकते हैं, वह बोलेंगे। लेकिन यह कहना कि शोर करने पर समय दिया जायेगा और शराफत से बैठने पर समय नहीं मिलेगा, यह उचित नहीं है। इसलिये जैसा मैंने कहा उसको ध्यान में रखते हुये माननीय सदस्य उचित शब्दावली का प्रयोग करें। न्यायिक ढंग से समय मिलेगा। न शोर करने पर समय मिलेगा और न चुप रहने से समय मिलेगा। हमेशा समय मिलेगा लेकिन आप हमारी और दूसरो की कठिनाइयों को समझें। अभी विरोधी पक्ष के सदस्य बोल चुके हैं इसलिये अब शासन पक्ष की तरफ के माननीय सदस्य श्री दामोदर शर्मा को हमने बोलने के लिये पुकारा है।

श्री दामोदर शर्मा --

मान्यवर, मैं श्री संजय सिंह द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं नेता विरोधी दल से यह आग्रह करूंगा कि बागपत की घटना जिसका वर्णन उन्होंने पौने तीन घंटे अपने भाषण में किया है उस संबंध में उनके पास तथ्य थे या नहीं लेकिन उसकी एफ0 आई0 आर0 मैं लेकर आया हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि माया त्यागी के साथ बलात्कार 18 जून को दिन के एक बजे हुआ। मान्य-

[श्री दामोदर शर्मा]]

वर, नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में यह भी कहा कि वहाँ पर ढाई या तीन हजार भीड़ थी, उसमें 5–6 सिपाही और एक सब-इन्सपेक्टर सड़क पर रेप करते हुये उस औरत को थाने में ले गये। मैं नेता विरोधी दल को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि उस औरत जिसका नाम है माया त्यागी है वह कत्ली और खूंख्वार डकैत जिसका नाम सुदेश उर्फ माया त्यागी, ईश्वर डकैत की पत्नी है। वह खूंखार डकैत जिस पर लगभग 14 इल्जामों पर सजा हुई है, वह हिस्ट्रीशीटर था और दूसरा डकैत राजेन्द्र गौड़ डकैत था, 302 आई0 पी0 सी0 में कोतवाली बुलन्दशहर सजा याफ्ता है। तीसरा सुरेन्द्र ठाकुर जो सजा याफ्ता है जिन पर 10–20 मुकदमें अदालतों में थे और उन्होंने 10–20 कत्ल किये थे।

मैं बलात्कार की घटना को शर्मनाक मानता हूं और जो विरोधी पक्ष ने बलात्कार की घटनाओं की चर्चा हाउस में की है मुझे उनसे शर्म है। मैं विरोधी दल के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें प्रदेश के पिछड़ेपन की बात, प्रदेश की विकास के कार्यक्रम की कोई बात करनी चाहिए जिससे प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सके न कि बलात्कार की घटना को कहकर भारतीय नारी की रक्षा हो रही है बल्कि और बदनामी हो रही है। एक महिला जिसका नाम सुदेश त्यागी उर्फ माया त्यागी था डाक्टरी जाँच के लिए साढ़े सात बजे अस्पताल लाई गई, प्यारे लाल शर्मा अस्पताल में। मैजिस्ट्रेट के सामने माया त्यागी ने बयान दिया कि मेरे साथ कोई रेप की घटना नहीं की गयी और उसी मैजिस्ट्रेट के सामने माया त्यागी ने कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूं और मुझे पुलिस का संरक्षण चाहिए। दो कान्स्टेबिल.....(व्यवधान) आप सुनते रहिये.....स्वदेश का भाई..... (व्यवधान) आग्रह किया मैजिस्ट्रेट से कि मैं उसे ले जाना चाहता हूं और वह उसे ले गये अन्डर कस्टडी आफ पुलिस। पुलिस के संरक्षण में माया त्यागी को अस्पताल से ले जाया गया। दूसरे दिन मैं स्वयं स्पाट पर गया। वहाँ बागपत के चौपले पर एक व्यक्ति मेहरू ने मुझसे कहा कि आप किस दल के हैं? मैंने कहा दल की बात नहीं है अगर घटना महिला के साथ रेप की हुई है तो यह बड़े शर्म की बात है। मेहरू ने कहा जैसा नेता विरोधी दल ने कहा था कि नंगा किया गया, उसने अपना तहमद उस महिला को दिया और उस को वहाँ से ले गये। ऐसी घटना पर जिस पर विरोधियों ने कल दो-तीन घण्टे चर्चा की है इससे साफ जाहिर होता है कि पिछले तीस वर्ष में माननीय चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र छपरौली, बागपत में किसी गरीब (व्यवधान) मैं यह बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं हुई है।

दूसरा इस महिला के साथ बलात्कार किस स्थान पर किया गया? नेता विरोधी दल ने यह कहा था कि माया त्यागी को थाने ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल को बता देना चाहता हूं कि थाने के अन्दर जिस स्टेशन आफिसर का उन्होंने नाम लिया डी0 पी0 गौड़ वह 18 जून को वहाँ पर उपस्थित नहीं थे जैसा कि इस अखबार में लिखा है और

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

इसमें डेट भी है। 24 जून को पुलिस का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है डी0 पी0 गौड़ उसमें वहाँ थे। 26 तारीख को भी डी0 पी0 गौड़ थानाध्यक्ष वहाँ उपस्थित नहीं थे। जिस रोज 10 महिलाओं का एक ग्रुप जिसमें शासक दल तथा विरोधी दल के एम0 पीज0 थे उनके सामने एक बयान दिया कि ईश्वर त्यागी, सुरेन्द्र ठाकुर तथा राजेन्द्र गौड़ एक बारात में जा रहे थे। उनके एक साथी ने कहा कि उनको शादी में जाने से रोका गया। सही घटना यह थी कि उनकी कार रुकी हुई थी और कार में चौपले पर जो महिला बैठी हुई थी वह शराब तथा बीयर पी रही थी। एक सिपाही ने आकर कहा चूंकि एक सम्भ्रान्त महिला कार में बैठी शराब पी रही है इसलिये गाड़ी को आगे बढ़ा ले जाओ इस पर राजेन्द्र गौड़ ने कहा कि वह

लोग वहीं बैठे रहेंगे और कार वहीं खड़ी रहेगी। जो ड्राइवर उसमें था वह एक डकैत था। उसने कहा कि गोली तुम पर चला देंगे। उस सिपाही को राजेन्द्र गौड़ ने थप्पड़ भी मारा। वह इस पर थाने में गया। डी0 पी0 गौड़ थानाध्यक्ष वहाँ उपस्थित नहीं थे। नरेन्द्र सिंह जो सब इन्सपेक्टर थे उन्होंने एफ0 आई0 आर0 लिखी और दो चार सिपाहियों को लेकर वह वहाँ पहुंचे। मान्यवर, चौपाले पर जो घटना घटी और बागपत काँड तथा बलात्कार का शोर मचाया जा रहा है यह एक विशेष जाति के लोग ही कर रहे हैं क्योंकि तीस वर्ष के बाद वह सीट काँग्रेस को मिली है जो पहले इस विशेष जाति वालों को मिला करती थी।

मैं नेता विरोधी दल को बतलाना चाहता हूं कि छपरौली में क्या हुआ? जो गाँव है दुगोना तुगाना वहाँ के सेवाराम जी की 10 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। उस समय चौधरी साहब प्रधान थे। मैं खुद उसका गवाह हूं। सेवाराम जी जो मेरे जानकार हैं कई बार थाने गये। अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट लाज नहीं की गयी। मैं सेवाराम जी को लेकर एस0 एस0 पी0 से मिला। एक विशेष बिरादरी के लोग उस जिले में थे। कलेक्टर भी विशेष बिरादरी का था। भूतपूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव पत्रिका का विमोचन करने वहाँ गये थे। मैंने उनसे कहा कि सेवाराम जी की 10 वर्ष की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, कोई सुन नहीं रहा है इस पर उन्होंने जवाब दिया मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप एस0 एस0 पी0 या डी0 आई0 जी0 से बात करें। नेता विरोधी दल से मैं कहना चाहता हूं कि वैद्यलिंगम रिपोर्ट में दोषी पाये गये लोगों को गिरफ्तार किया जाय। चौधरी चरण सिंह के दामाद ने साढ़े 8 लाख रुपये का स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में घपला किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? फिर दिसम्बर, 79 में चीनी मिलों के सम्बन्ध में घपला किया गया और उस समय हुकूमत में वही लोग थे जो इस समय विरोध में बैठे हैं। जिन्होंने पहले यह कहा था कि 172 रुपये क्विंटल हम उस चीनी को बेचेंगे मगर उस चीनी का भाव जनरल मैनेजर से मिलकर उसमें घुटाला किया गया और उसे 185 रुपये क्विंटल बेचा गया। मान्यवर, इतना ही नहीं अलीगढ़ सहकारी मिल में भी घोटाला किया गया।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय हो गया। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदर शर्मा--

नेता विरोधी दल ने चुनाव में हिंसा की बात कही है। इसका मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण बताना चाहता हूं। कई गाँवों में हरिजनों से जबरदस्ती वोट डलवाये गये। अंछार और चीतली गाँव में हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया गया। जो लोग इस तरह से बलात्कार की बात करते हैं वे ही प्रतिक्रियावादी और अलोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं जो इसे बढ़ावा देना चाहती हैं।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भाई संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने जब माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव को पढ़ा तो मुझे लगा कि उन्होंने एक उपहासपूर्ण प्रस्ताव रखा है। उस पर मुझे हंसी भी आई। श्रीमन्, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं। वे मेरे ही जिले से आये हैं। मैं और वे सन् 74 में इस विधान सभा में प्रथम बार चुनकर आये थे। उन्होंने अपने संशोधन प्रस्ताव में लिखा है कि ".....जनतंत्र की सामान्य परम्पराओं को ठुकराते हुए नौकरशाही के साथ साठ गाँठ करके हिंसा एवं भ्रष्ट तरीकों से, करोड़ों रुपयों के माध्यम से, वर्तमान सरकार को पदारूढ़ कर दिया गया।"

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र चौहान]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे जनपद अलीगढ़ में जब लोक सभा के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने जो आज नेता विरोधी दल के पद पर सुशोभित है, भरी सभा में कहा था अपनी बिरादरी के लोगों से कि 3 और 6 जनवरी को आप लोग अपना शासन समझो और मनमाने तरीके से वोट डालो। इस तरह से 1000 में से 999 वोट वहाँ पर पड़े। आज वे इस तरह का प्रस्ताव लाये हैं। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और बहुत से माननीय सदस्य जो विरोध पक्ष में हैं उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई प्रतिक्रिया की बात नहीं है। मैं माननीय विरोधी पक्ष के साथियों से कह देना चाहता हूं कि जो वह यह कहते हैं कि उसमें कोई पालिसी या प्रोग्राम नहीं है तो ऐसा लगता है उन्होंने अभिभाषण को पढ़ा नहीं है। यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है यह क्या है क्या यह प्रोग्राम और पालिसी नहीं है ? यह भारत के समाज की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है और उसका आर्थिक ढांचा प्रस्तुत करता है।

आगे आपने कहा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि मामूली छुटपुट घटनाओं को छोड़कर इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हुए। तो इस तरह की घटनाए थोड़ी बहुत होती रहती हैं यह उन घटनाओं को भूल गये जिनमें हरिजनों को वोट डालने से रोका जाता था। यहाँ तक माननीय नेता विरोधी दल के क्षेत्र में ही जबरन वोट डाले गये थे। एक दिन पहले ही बोटिंग होने से बैलट बाक्सेज में वोट डाल दिये गये। जब पोलिंग टीम पहुंचती है तो उनसे जबरदस्ती लेकर वोट डाल दिये गये और सेंटपरसट वोटिंग करवा दिया।

कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि यह अल्पमत की सरकार है और 15 परसेंट टोटल वोटिंग का इनको मिला है। तो यह जो वोट बंटे हैं वह आपही के कारण है, आपने ही उसका सौभाग्य प्रदान किया है इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप एक होकर क्यों नहीं बैठे ? इस प्रदेश और देश की जनता ने भारी बहुमत देकर आपको पदारूढ़ किया था लेकिन आप एक नहीं रह सके और अपने ही भाग्य को कोस रहे हैं। हमारे सीतापुर के भाई ने कहा कि संविधान के साथ अत्याचार किया गया और इस एसेम्बली को भंग किया गया। तो आप 1977 की बात को भूल गये। इसी विधान सभा में मैं भी बैठा हुआ था और चौधरी चरण सिंह ने भंग करवा दिया। इससे तो आप अपने ही किये हुए को भोग रहे हैं इसमें सत्ता पक्ष का कोई कसूर नहीं है। संवैधानिक तरीके से जो आपने किया था जिसे आपने जस्टिफाई किया था वही किया गया। आपने अपने शासन काल में जो हरिजनों के उत्थान की योजनाएं हमने चलाई थी उनको कार्यान्वित नहीं किया.....

(एक सदस्य के फ्लोर क्रास करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सुरेन्द्र सिंह जी, जरा ठहरें। हमारे एक माननीय सदस्य फ्लोर क्रास कर गये उनसे निवेदन करना है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप कृपा करके उनसे कह दें कि वह इस तरह से फ्लोर क्रास न किया करें, भाषण के दौरान। आप अपने स्थान पर जायं तो पीछे से, अगर बात करनी हो, तो पीछे से आयें।

एक सदस्य—

मुझे मालूम नहीं था।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत बड़े स्केल पर लोकसभा चुनाव के बाद लोगों का ट्रांस्फर किया गया। क्या वह भूल गये हैं कि जब निघौली कलाँ में इलेक्शन हुआ था वहाँ पर एक जाति विशेष के सब इन्सपेक्टर को अलीगढ़ से लाया गया ? वह ट्रांसफर यह कह कर किया गया कि वहाँ पर जातिविशेष के लोग हैं इसलिए चुनाव जिताना है। इसलिए उनका ट्रांसफर किया गया। आप अपने किये गये कार्यों को भूल गये। इस बात

को बहुत से साथियों ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा बेईमानी कराई गई, यह बात गलत है, यह दोषारोपण गलत है। हाँ इस बार इतना अवश्य हुआ कि पहली बार यहाँ गरीब लोगों को, हरिजनों को दलित वर्ग को वोट डालने का बहुत अर्से बाद अवसर मिला। अगर इसी तरह से लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा और प्रशासन का काम ठीक रहा तो आप यह निश्चित समझ लीजिये कि आप कभी भी सत्ता बेंचेज में नहीं बैठ पायेंगे। साहब, आप लोगों में बड़ी गुटबन्दी है, तो इसके शिकार तो आप भी रहे हैं। जीवन भर आप गुटबन्दी और घटकवाद से पीड़ित रहे और कोई शासन नहीं कर सके। नौकरशाही की बात आप करते हैं, लेकिन लगाम ढीली करने वाले आप ही हैं। आप लोगों ने कहा था कि पुलिस किसी को छुवेगी नहीं, जनता के लोग निर्भीक हो जाएं, जो यह आज उसी का परिणाम है कि क्राईम्स इतने ज्यादा बढ़े हैं। यह सब आपकी ही देन है। क्या एक महीने के शासन से आप यह उम्मीद करते हैं कि एक दम से वह सारा कार्य कर देगी, तो यह सम्भव नहीं है। हमारी सरकार का निश्चित मत है कि आने वाले थोड़े ही दिनों में हम ला एण्ड आडर की बिगड़ी हुई हालत पर पूर्ण रूप से काबू पा लेंगे। हमारा यह भी कहना है कि हमारे साथ कोई बीमारी नहीं है, हमारी एक और एकमात्र नेता हैं—इन्दिरा गाँधी और उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह और हम सब उनका आदर करते हैं और हम उनके नेतृत्व में पूर्ण रूप से अनुशासनबद्ध हैं। हमारे यहाँ कोई और किसी प्रकार की गुटबन्दी या फ्रैक्शन नहीं है। जहाँ तक यह प्रश्न है मंत्रि परिषद पूरा नहीं बना, तो यह तो सिरदर्द शासकीय पक्ष का है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है। यह हमें देखना है और उसे हम पूरी मुस्तैदी से देखेंगे। देश की 10 करोड़ जनता ने हमारे राष्ट्रीय दल पर एक जिम्मेदारी सौंपी है, उसको पूरा करने के बारे में हमें सोचना है। सन् 77 में जनता को आपको चुनकर भेजा था और सत्तासीन किया था, किन्तु बाद में सत्ताच्युत कर दिया आपके कुकर्मों के कारण। तो हम उससे सबक लेंगे और वह गलती दुहराने वाले नहीं हैं। हमारा मंत्रिमंडल टीम स्तर पर काम कर रहा है।

यहाँ पर बिजली के अभाव की बात कही गई है। हरदुवागंज पावर हाउस बहुत बड़ा भारत का पावर हाउस है। वहाँ का एक पावर हाउस जल गया है, जो 90 मेगा-वाट बिजली देता था। इसके लिए जो जाँच समिति बैठाई गई है, उसके लिए हमारी सरकार को चाहिए कि वह देखें कि उसमें क्या प्रगति हुई है। हमारे क्षेत्र में छोटा शुगर मिल भी है, जहाँ जनता पार्टी और लोकदल पार्टी की सरकारों के समय में वहाँ के जनरल मैनेजर ने एक करोड़ का भारी घोटाला किया था, आज वह घाटा कर बढ़ कर 5 करोड़ में पहुंच गया है.....(व्यवधान) तो हरदुआगंज को तुरन्त ठीक कराया जाए, और 5 करोड़ के घाटे में जो उक्त मिल पड़ी हुई है, तुरन्त ही उसका घाटा दूर किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

हमारे सामने जो नाम आ चुके हैं, उन्हीं के अनुसार हम बुलवाते हैं। मैं एक गुजारिश करूंगा, आप जो कुछ कहें मेरे माध्यम से कहें। मेरी ओर देखें, सामने की ओर न देखें। और जब मैं बत्ती जला दूं, तो उसके बाद एक मिनट का समय और दूंगा, उसके बाद तुरन्त आपको अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए।

श्री मित्रसेन—

आपके सामने दल की लिस्ट आज की है या कल की है?

श्री अधिष्ठाता—

आज जो लिस्ट आई है, उसके हिसाब से काम चल रहा है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

अपने दल की सूची कल मैंने भेज दी थी, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के एक माननीय सदस्य बोलने से रह गये हैं उनको भी समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं बोला है। इसलिए मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुला रहा हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य अलीगढ़ बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। उनकी पार्टी पर बड़ी जिम्मेदारी थी। इस पूरे भाषण को देखने के उपरान्त ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह शासन दिशाहीन शासन है। इस सरकार ने समस्याओं को स्पर्श तक नहीं किया है। इन्होंने जनता के सामने तमाम वायदे किए थे और हम उनको निभाने के लिए जायेंगे। हमें विरोधी पक्ष में बैठकर काम करने का अवसर मिला। हम समझते थे कि इस अभिभाषण से हमको इनकी नीतियों को समझने का अवसर मिलेगा लेकिन जब यह अभिभाषण आया लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं निकली। उधर के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनता रहा कि इस सरकार ने यह यह कार्य किए। सभी लोगों ने यह कहा कि जनता पार्टी की सरकार जब रही तो यह यह गलतियाँ हुईं। थोड़ी देर के लिये मैं मान लेता हूं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी थी कि आप हमारी गलतियों पर चलें आपको तो हमारी गलतियों को देखकर ठीक से कार्य करना था, ठीक से नीति बनानी थी, लेकिन आपने यह नहीं किया। आप की जिम्मेदारी क्या थी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का रिकार्ड बहुत सुन्दर रहा है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसका जिक्र करूंगा। आप बराबर गलती करते रहे हैं। मैं कुछ रचनात्मक सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारी यह दिशाहीन है। एक मंत्री जी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, हमारे पुराने साथी जानते होंगे कि हमारी सरकार में स्थानीय निकायों में मतदाताओं की आयु 18 वर्ष करने का एक प्रश्न उठाया गया था। और जब मैंने इस सरकार से जानना चाहा कि क्या उसे 18 वर्ष कर दिया गया तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से परामर्श कर रहे हैं। मान्यवर, यह स्टेट का सब्जेक्ट है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार को तय करना चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव डाइरेक्ट ही या इनडाइरेक्ट ही इसको आप दिल्ली से पूछ रहे हैं।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैंने जो कहा था कि वह वह पत्र यह था कि अशोक महता रिपोर्ट के सम्बन्ध में कौन सी बातें लागू की जाय क्योंकि उसका सम्बन्ध केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देशव्यापी स्तर पर है? हमने उसका मार्ग दर्शन चाहा था। आयु क्या होगी, चुनाव किस प्रकार से होंगे, निश्चित समय से होंगे या नहीं, इनके बारे में उत्तर प्रदेश शासन पूर्ण रूप से सक्षम है और जब भी समय होगा, निर्णय हम लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस सरकार मेरे ठोकने से कुछ हिम्मत आ गयी। मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा था। मान्यवर, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति शासन था तो 19 मई को उनका बयान निकला था कि हम प्रदेश में मिली जुली सरकार बनने नहीं देंगे। मान्यवर, म कोई आरोप नहीं करता हूं लेकिन यह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया था, मेरा यह निष्कर्ष गलत नहीं होगा। यही नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स किये गये केवल पार्टी को जिताने के लिए। उसके बाद यह सरकार बनी। उस समय संसदीय परम्प-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राओं को स्थापित करने के लिए सबसे आवश्यक यह था कि परम्पराओं का सम्मान होता अगर संसदीय परम्पराओं का सम्मान नहीं होगा तो प्रजातन्त्र जिन्दा नहीं रहेगा, हालाँकि हमें आपातकालीन स्थिति के जनक पर भरोसा कम है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि शायद ठोकर खाने के बाद उनके मन में उन परम्पराओं के प्रति सम्मान पैदा हो जायगा।

माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह का चुनाव मुख्य मंत्री के नाते राज्यपाल ने किया। क्या पार्टी ने भी कोई रेजोल्यूशन उनके पक्ष में पास किया? जहाँ तक मेरी जानकारी है उनकी पार्टी ने यह प्रस्ताव पास किया, श्रीमती गाँधी को आथराइज किया। पहले भी एसा हुआ कि हाई कमाँड ने तय किया। फार्मली यहाँ रेजोल्यूशन होना चाहिए था। सब परम्पराओं को तोड़ा जा रहा है। आपको स्मरण होगा कि जिस समय दिल्ली से वर्तमान मुख्य मंत्री दिल्ली से चल, वहीं से आदेश दे दिया होम सेक्रटरी को आदेश दिया कि तुम इलाहाबाद चले जाओ। क्या कहें? राज्यपाल जी ने उस निर्देश का पालन करने दिया। सब कनवैंशंस का उपहास किया जा रहा है। कभी सुनने में नहीं आया होगा, शपथ ग्रहण के समय, मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री शपथ लेता हैं। जब तक वह पद स्वीकार नहीं करते तब तक शपथ लेने नहीं जाते। लेकिन एक सज्जन शपथ ग्रहण के मंच पर जा कर भाषण करने लगे और उनको भाषण करने की अनुमति दी गयी। यह क्या है? यह संसदीय परम्पराओं का खुला उपहास है। मैं चाहूंगा, प्रजातन्त्र के हित में, मुख्य मंत्री जी केन्द्र को लिख दे कि इन राज्यपाल जी को हमारे प्रदेश से हटा दीजिये। और ऐसा हुआ है। एक बार बाबू सम्पूर्णानन्द और राज्यपाल के बीच मतभेद हुआ तो उन्होंने रिकमेंड किया था और वह चले गये।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

राज्यपाल के समारोह की चर्चा कभी यहाँ होती है? पुराने सदस्य हैं। हमको शिक्षा दे रहे हैं। उनको कहिए कि जो यह परम्परा रही है उसका भी पालन करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस सदन में शान्ति व्यवस्था पर बड़ी चर्चा की गयी। लेकिन मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं। वह यह है कि राज्य सभा में एक प्रश्न का गृह मंत्री ने उत्तर दिया। प्रश्न यह था कि 1979 में पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये बलात्कार के मामले कितने थे, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया था। राज्य सभा में सम्बन्धित मंत्री ने उत्तर दिया—ऐसे नौ मामले हैं जिसमें 11 सिपाहियों पर अभियोग था। पूरे एक वर्ष में आप देख लें, जनता सरकार या लोक दल की सरकार जब थी तो उस वक्त बलात्कार के नौ मामले हुए। अब आठ मामले एक महीने में हो गये। एक महीने में सरकार की दिशा देखने से, उसकी नीतियों को देखने से यह पता चलता है, आगे क्या होगा। इससे इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। मैं लम्बी फेहरिस्त दिखाना नहीं चाहता। सब मामले सामने आ गये हैं। घटनाएं बिलकुल साफ हैं। सामूहिक बलात्कार करने की घटनाएं होती हैं। कल बाँदा की घटनाओं के बारे में कहा था। सदन के बाहर उनके दल के सदस्य है, बेचारे चिन्तित होते हैं। काँग्रेस के विधायक श्री नरेश चन्द्र घटनास्थल पर गये। पीड़ित हरिजन अपनी मानमर्यादा की रक्षा के लिए गाँव छोड़ कर जा रहे है, उनके लोग स्वीकार करते हैं। शान्ति व्यवस्था की यह स्थिति है। बेचारे पूरे हरिजन इतने असुरक्षित हैं कि अपना गाँव छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गये हैं। उनके क्षेत्र के विधायक का वक्तव्य पढ़ा है, आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित है। उन्नाव में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा शून्य प्रहर में अभी आपके सामने हुई। सामूहिक बलात्कार की कई घटनायें आपके समन आ चुकी हैं। गोरखपुर की घटना तथा मुरादाबाद की घटना भी सदन के सामने आ चुकी है। ट्रेनों में आज चलना मुश्किल हो गया है। सुरक्षा नाम

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

की ट्रेनों में कोई चीज रह ही नहीं गयी है। ट्रेन में एक युवती के साथ बलात्कार की भी घटना अभी हाल ही की है।

शांति व्यवस्था के कुछ अपराधों के आँकड़े मेरे पास हैं। 1975 में जिसे राम राज्य कहा जाता है, 2,42,024 अपराधिक घटनायें हुई और 1976 में 2 लाख 167 हुई। इसके मुकाबले हमारे समय में 1977 में 2 लाख 22 हजार 400 अपराधिक घटनायें हुई 1976–77 में 1 हजार 82 डकैतियों की घटनायें हुई। 1978 में 2 लाख 13 हजार 471 हुई। यह उनके अनुशासन पर्व से काफी कम हैं। समय कम है नहीं तो और भी आँकड़े देता।

आज मान्यवर, विधान सभा का सत्र चलते हुये आये दिन बलात्कार की घटनायें हो रही हैं। उसके बाद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, वह चिन्तित नहीं है। कानपुर में करनैलगंज में दिन में भारी भीड़ में एक महिला को लूट लिया गया।

ट्रेनों में जो लोग यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संकेत है कि केन्द्रीय सरकार के निर्देश आये हैं कि आप रेलों में ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था करें। जिस आसन पर आप आज विराजमान हैं, उसी आसन पर माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी विराजमान थे। ट्रेन में उनके अंगरक्षक की पिस्तौल छीन ली गयी यात्रियों को लूटा गया, लुटेरे भाग गये। 281 अप में जो जो घटना घटी वह भी अखबारों में छपी है। किस तरह से यात्रियों को लूटा गया। लखनऊ मेल में डकैती पड़ी। दिन दहाड़े बैंक को लूटा गया।

मान्यवर, लूटमार की अनेकों घटनायें रोज हो रही हैं जिनकी चर्चा हमें अखबारों में पढ़ने को मिल रही हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से होने की बात कही है। माननीय ब्रह्मदत्त जी होते तो वे सुनते, मैं बताता कि किस-किस तरह की चीजें चुनाव में हुई हैं। किस-किस तरह के अत्याचार चुनाव में हुये हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। मैं मान्यवर, उस समय भी अपनी बात को यहाँ इसी तरह कहता था जब पहले जनता पार्टी की सरकार थी जिस तरह आज कहता हूं। पिछली सरकार के जमाने में भी मैंने अकबरपुर पट्टी की घटना का जिक्र यहाँ पर जोरदार तरीके से किया था और कहा था कि सरकार ने समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की।

मान्यवर, राष्ट्रपति शासन के जमाने में जो घटनायें हुई हैं उनकी कोई मिसाल नहीं है। इटावा जिले के पटियाली क्षेत्र के एक उम्मीदवार श्री शिवराम चुनाव लड़ रहे थे। वे भी एक उम्मीदवार थे। उनके साथ उनकी हत्या की जो घटना घटी उसका प्रतिवाद आज तक नहीं किया गया। वहाँ के जो काँग्रेस (आई) के प्रत्याशी भाई मुशीर साहब शिवराम, हरिजन के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि 30 हजार रुपये ले लो बैठ जाओ। जब वह नहीं माने और उनको कोई और रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो मान्यवर, उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन जाकर उसे गोली से मार दिया गया। यह सब अमर ज्वाला अखबार में प्रकाशित है।

(शेम-शेम की आवाजें)

एक दूसरी घटना किसनी कंस्टीट्वेंसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह घटना हमारे मैनपुरी के माननीय सदस्य होते तो अच्छा रहता। वहाँ पर सोतासी पोलिंग स्टेशन पर, काँग्रेस के उम्मीदवार के वास्ते से पिस्तौल निकाल कर मार दिया गया। श्री हुकुम सिंह जब वहाँ पर गये तो अभद्र व्यवहार किया, 28 वर्ष के नवजवान, एडवोकेट श्री सरनाम सिंह को रिवाल्वर निकाल कर हत्या कर दिया गया। उनके भाई भोला सिंह को भी गोली लगी। इस तरह की घटनायें पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के द्वारा की जाय, ठीक नहीं है। मुरादाबाद की घटना बड़ी गम्भीर हो गयी थी, बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया। दोपहर के समय मीरगंज की पोलिंग पर भारतीय जनता पार्टी

के लोगों ने वहाँ पर के कोतवाल से शिकायत किया कि जबरन वोटिंग हो रही है। अगर वहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया होता तो यह शिकायत न होती। वहाँ पर जब पोलिंग का काम हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर खड़े रहे, शहर कोतवाल को संकेत किया कि आप इसको रोकिये। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय महीपाल जी के हरिजन नेता को मार दिया गया। मान्यवर, अगर निष्पक्ष शासन किया होता तो यह कहने की जरूरत न पड़ती।

मान्यवर, आज पुलिस बिल्कुल कब्जे से बाहर हो रही है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। अंग रक्षक आपके नियंत्रण से बाहर हो जायंगे, अनुशासन से बाहर हो जायंगे। मान्यवर, 30 जून को एक घटना प्रकाशित हुई थी कि पुलिस इन्सपेक्टर के घर विदेशी यंत्र का कारखाना पकड़ा गया। पुलिस बिलकुल अनियंत्रित हो गयी है।

अब मैं बागपत के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को स्वीकार कर लेता हूं कि वह असामाजिक तत्व थे कि खुले चौराहे पर पुलिस कोई गोली मार दे, लेकिन यह बात कितनी निन्दनीय है और आश्चर्य इस बात का है कि यह सब होने के बावजूद भी जो सदस्या लोग आई हैं, उधर बैठी हुई हैं, जिन लोगों ने घिनौने कृत्य किये हैं, सरकार की शान पर बट्टा लगाया है, उनका समर्थन करते हैं। एक नरायनपुर काण्ड हो गया, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपील किया कि इसका राजनैतिक लाभ न उठाया जाय, बात बिलकुल सही है, राजनैतिक लाभ न उठाया जाय। बहुत से लोग सिनेमा देखने गये होंगे, सिनेमा में रील दिखाई जा रही है कि जनता एवं चरण सिंह शासन के दौरान हुए अत्याचार को जो बैलछी से लेकर नरायनपुर तक के काण्ड को बड़े ही सुनियोजित एवं मार्मिक रूप से पेश कर हमारे देश की सीधी-सादी जनता के मानसपटल पर एक अमिट छाप छोड़ने का षडयंत्र चल रहा है। क्या यह राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया गया? मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं। अगर हम जनता को जागृत करना चाहते हैं, समाज के कमजोर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों को खत्म करना चाहते हैं, तो आइये, जहाँ पर बेलछी दिखाते हैं, नरायनपुर दिखाते हैं, वहाँ पर 1977 के पहले एवं जनवरी, 1980 के बाद बहड़ा, बकवर, सतियाँ काँड, मग्गल काण्ड तथा पारस बीघा पिपरा, कानपुर, नौतनवाँ और अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के कपलटा काँड को भी पूर्ण विवरण के साथ चलचित्र के माध्यम से जनता के सामने दिखाइये। जब तक मान्यवर आपकी दोहरी नीति रहेगी, तो मान्यवर, यह साफ कहना पड़ेगा कि जानबूझ कर राजनैतिक लाभ उठाने का सरकार प्रयास कर रही है।

मान्यवर, अब न्यायिक जाँच का जुडीशियल इंक्वायरी का बयान दिया है। मेरा कहना है कि इसमें न्यायिक जाँच की क्या जरूरत है। न्यायिक जाँच के टर्म आफ रेफरेंस क्या है। आप मान्यवर, न्यायिक जाँच के टर्म्स आफ रेफरेन्स को देखने का कष्ट करें मेरे पास गजट की कापी नहीं है। मान्यवर, 3 जुलाई का अखबार है उसमें निकला है न्यायिक जाँच के टर्म्स आफ रेफरेन्स श्रीमती माया त्यागी के साथ किया गया दुर्व्यवहार क्या था और किस के द्वारा तथा उपरोक्त के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करता, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं उसके लिए सुझाव देना। मान्यवर, जाँच की जा रही केवल दो तथ्यों की। इतनी घोर घटना है क्या इसकी जाँच करने की जरूरत नहीं है कि किन परिस्थितियों में घटना घटी। पुलिस ने गोली क्यों मारी और मान्यवर, इस बात की जाँच क्यों नहीं होनी चाहिये कि एक सफेद पोस महिला कार में बैठी हुई है और उसे एक सफेदवर्दी दरोगा छेड़ता है और बाद में उनको गोली मार दी जाती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनको जानकारी थी कि वे बदमाश थे। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि गौर नामक लड़का हाथ जोड़ कर खड़ा था कि हम आपकी गऊ हैं उसने आत्मसमर्पण किया था उसको पकड़ा क्यों नहीं गया। कहा जाता है कि भीड़ थी भीड़ उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किये गये है क्या एफ0आई0

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]
आर0 में उनका नाम दर्ज है। जैसे 11 तारीख को कोई घटना हो गई तो रिपोर्ट में दो आदमियों की नामजद रिपोर्ट लिखा ली जाती है और 3 जगहें खाली छोड़ दी जाती है जो बाद में भर दी जाती है। ऐसे कितने मुकदमे इस सदन में तथा माननीय सदस्यों की जानकारी में आये हैं। मान्यवर, मेरा कहना कि इन सब तथ्यों की भी जाँच होनी चाहिये। और जो भी दोषी आदमी हों उनको छोड़ा न जाय। जो टर्म्स आफ रेफरेन्स है जाँच को करने के लिये कोई उचित नहीं है। अब एक दूसरी बात है। जाँच कराई गई गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आ गई। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, थोड़ा समय और चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट में आप अपनी बात कह कर समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं सरकार के जो तत्कालीन मुद्दे हैं उस पर कहना चाहूंगा आज मैंने प्रश्न किया था कि परिवहन विभाग की बसों का किराया बढ़ाने जा रहे हैं तो माननीय मंत्री ने जवाब दिया था कि किराया बढ़ाने पर अभी विचार किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी में इस बात को लाना चाहता हूं कि राज्य परिवहन की जो बसें चल रही है उसमें 2 करोड़ रुपये का घाटा लगा है और कांट्रेक्ट बेसिस पर जो बसें चलती है मलकानी जो निदेशक हैं उसका जो बयान अखबार में छपा है 13 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति सरकार को हुई है जिसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा हुआ है उसमें 13 करोड़ का लाभ होता है और जहाँ इतना भारी भरकम खर्चा है वहाँ पर 2 करोड़ का लाभ हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी तो हैं नहीं। हमारे छात्रों के बहुत से छात्र नेता काँग्रेस (आई) में जीत कर आये हैं लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ये विधायक जो युवक हैं वह युवकों की समस्याओं पर मौन क्यों? इतिहास उनको क्षमा नहीं करेगा, यहाँ की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। लखनऊ छात्र संघ को क्यों भंग कर दिया गया, शासन को इसकी जानकारी होनी चाहिये और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी एक जवाब दें हमारा विद्यार्थी छात्रसंघ कोर्ट में गया था हाईकोर्ट का जजमेंट है के0 एम0 मिश्र ने लिखा है जब तक छात्र संघ का अगला चुनाव नहीं हो जायेगा तब तक यह छात्रसंघ कार्य करता रहेगा। यह बिल्कुल साफ बात थी फिर छात्रसंघ को क्यों भंग कर दिया गया। प्राइवेट और रेगुलर विद्यार्थियों की परीक्षा की व्यवस्था अलग-अलग क्यों की जा रही है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दहेज के बारे में बहुत कहा जा रहा है। मेरी माँग है कि डावरी को हस्तक्षेपीय अपराध घोषित कर दिया जाय। दहेज को खत्म करने के लिए जो सरकार की ओर से मान्यवर बात कही जा रही है। मान्यवर, मेरी इस सिलसिले में माँग है कि हस्तक्षेपी अपराध घोषित कर दिया जाये तभी समाज की समस्याओं का उत्थान हो सकेगा वरना मैं समझूंगा कि यह केवल जबानी जमा खर्च की बात है और केवल सामाजिक संस्थाओं के बीच उपदेश मात्र हैं। मान्यवर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। अल्मोड़ा में एक किरौली गाँव है, जहाँ मैग्नीसाइट का कारखाना टाटा और राज्य सरकार के कोलाबोरेसन से लगा रहा है। मान्यवर, वहाँ के विस्थापितों को जबरदस्ती वहाँ से खाली कराकर विस्थापित करा दिया गया और उन लोगों को सितारगंज जेल के निकट एक एक एकड़ जमीन देकर केवल टाला जा रहा है मान्यवर. मेरी माँग है कि उन विस्थापितों को कम से कम वहाँ मकान बनाने के लिए उन्हें पैसा दिया जाये, उनकी सहायता की जाय।

एक सदस्य—

अधिष्ठाता महोदय, इनका समय समाप्त हो चुका है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, समय की पाबन्दी आवश्यक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जैसा कि अभी देहलवी साहब ने भविष्यवाणी की मैं उस तरह का भविष्यवक्ता तो नहीं हूं फिर भी एक बात कहे देता हूं कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं और इनका एक गोल है जो सदन के अन्दर और सदन के बाहर एक आतंक फैला रहा है और विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहता है।

मान्यवर, केवल कुछ समय आपका और चाहूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा आगरे में कांग्रेस आई के युवक और नवयुवक कार्यकर्ताओं, मा0 सदस्यों तथा अराजक तत्वों ने नगरमहापालिका पर धावा बोल दिया और बड़ी बदतमीजी से पेश आये, जिसके नतीजे में वहाँ के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। काँग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मान्यवर, पिस्टल की नोक पर कमरों का कब्जा जबरदस्ती लिया गया है। और जबरदस्ती ताले तोड़ दिये गये। मान्यवर, मैंने तो सोर्स कोड कर दिये हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, इसकी जाँच आप कराय। और वहाँ की जनता को सूना जाये और उनके साथ न्याय किया जाय।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

[×××] अपने राज्य में जो किया वह सब भूल गये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बात बिलकुल सही है। मैं उस अधिकारी के पास गया था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य यह सभी जानते हैं कि जब अधिष्ठाता या अध्यक्ष महोदय खड़े हों तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिए। और अगर कोई माननीय सदस्य किसी दूसरे पर आक्षेपात्मक बात कह रहे हों तो जब आपको मौका दिया जाये आप कहें। इस तरह बीच-बीच में व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहिए। आप को अपनी बात कहने का हक है तो दूसरे की बात को सुनने का भी हक है। माननीय सदस्य अब आपका समय समाप्त हो गया है। माननीय सदस्य अब अपना भाषण एक शब्द में खत्म करने की कोशिश करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी एकता प्रबल है हम संगठित है लेकिन मुझे शंका है कि यह एक पार्टी की सरकार नहीं है दो पार्टियों की सरकार है। अगर यह न होता तो मान्यवर तो मेरे पास दो. . . .

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें। मैंने श्री विमल प्रसाद तिवारी को बुला लिया है।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, उधर से माननीय सदस्य बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारी तरफ से हम लोग उसका जबाव देने की कोशिश करते है लेकिन वास्तविकता अगर देखे तो पहला मौका इस बार चुनाव में था जब प्रदेश के हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक मतदान का अवसर प्राप्त हुआ है जिसके फलस्वरुप काँग्रेस (आई) के लोग भारी तादाद में जीत कर आये।

(व्यवधान)

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]

खिसयानी बिल्ली खंभा नोच रही है, इसके अलावा दूसरी बात नहीं है। किन्तु अजीब बात है उस तरफ से कहा गया कि हमने जात-पाँत की राजनीति फैलाकर के शासन में आने की कामयाबी हासिल की। हमारी नेता, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी का नारा था कि जात पर न पाँत पर, इंदिरा जी की बात पर. मोहर लगेगी हाथ पर. . . . .

(शोर)

(श्री मोती लाल देहलवी के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

श्री मोती लाल जी से भी कहूंगा कि जब आप बोलेंगे, चाहे जितनी कड़ुवी बात कहें, उधर से कोई नहीं बोलेगा। आप लोग बैठें। सदन आपको ही चलाना है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मोती लाल जी ने जो बात कही उससे मुझे तकलीफ नहीं है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि लोकदल के शासन काल में जिस प्रकार से जात पांत का राक्षस खड़ा किया गया उसको श्रीमती इंदिरा गाँधी ने समाप्त किया।

अभी कहा गया कि ब्रह्मदत्त जी नम्बर 2 के मंत्री हैं। क्या माने हैं? माननीय ब्रह्म दत्त जी वह मंत्री हैं जिन्होंने काउन्सिल के नेता की हैसियत से आपको सरकार को कईबार धाराशायी किया था। वह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जिन्होंने फाइव हेडेड मास्टर किताब लिख कर लोगों को हालत को खोल कर सामने रख दिया था। आप आज उन्हें 2 नम्बर का मंत्री कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। माननीय सदस्य आप को जो कुछ कहना है, जब आपको मौका मिलेगा तब आप कहियेगा।

श्री धर्मपाल—

माननीय सदस्य अभिनन्दन ग्रन्थ कह रहे हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

आप आलोचना ग्रन्थ कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान्यवर, मंत्री बनने की तमन्ना में जो सरकार 5 साल के लिए थी तीन साल में ही चली गयी। वह हमको टोंक रहे हैं। यह तो तीन साल तक केवल टूट-फूट करते रहे। मान्यवर, फर्रुखाबाद क्षेत्र से आता हूं। 25 अक्टूबर, 1979 को छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोली वर्षा की गयी। 2 छात्रों की मौत हो गयी, 5 छात्र गम्भीर रूप से घायल हुए। कोई मंत्री वहाँ पर नहीं गया। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा काण्ड हो जाये और कोई मंत्री न जाये। आपके प्रशासन ने एक पुलिस के चूहे का भी ट्रांसफर नहीं किया।

(शोर)

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं [×××]

श्री अधिष्ठाता—

कोई मंत्री जब बोलते हैं तब स्पष्टीकरण होता है। माननीय सदस्य के बोलने पर नहीं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। उन दिनों यह हुकूमत में थे। 40 लोगों को जो पुलिस की गोली काण्ड के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जेल भेज दिया

नोट—(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गया। इनकी सरकार में दम नहीं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद ने 24-11-79 को प्रासीक्यूशन के खिलाफ पेश किया एक महीने के अन्दर जब उन्होंने केश डायरी माँगी। जमानत की दरख्वास्त पर रोक उन्होंने नहीं दी। इनकी सरकार का प्रशासन अस्फल रहा है। यह अपने जमाने की बात नहीं करते हैं जब चारों ओर से जुर्म ही जुर्म था हमारे जमाने की बात करते हैं। तीन साल जनता पार्टी की हुकूमत रहीं आर०एस०एस० के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जुर्म किये। इन्होंने मान्यवर, अपनी पार्टी में ही एक दूसरे पर दोष लगाये। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके सरताज चौधरी चरण सिंह ने स्वयं आर०एस०एस० पर दोष लगाकर सरकार तोड़ दी है। अभी एक महीने हुए हैं हम लोगों को आये हुए हमारी बात आप क्या करते हैं।

बूथ पर कब्जे आपने किए। अगर बूथ पर कब्जा करने में कांग्रेस के लोग माहिर होते तो सन् 77 में कांग्रेस की पराजय न होती। निबौली कलाँ में और दूसरी जगहों पर बूथ पर कब्जा करके आपने कामयाबी हासिल किया था। इस बार राम नरेश यादव की हार हुई यह आपके सामने हैं।

कुछ बातें और कहना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में काम के बदले अनाज योजना में जो सड़कों का जिक्र है उसके सम्बन्ध में तस्करा किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सड़कों बनाने का काम लिया गया उससे रोजगार तो मिला लेकिन बड़े पमाने मे गड़बड़ियाँ हुई हैं। जनता पार्टी की सरकार, लोक दल की सरकार में सड़कों पर कवल मिट्टी पड़ी है। मैं निवेदन करूंगा कि उन सड़कों को पक्का कराया जाये जिससे यह काम टिकाऊ हो सके।

[समय 2.00 बजे अपराह्न]

बदकिस्मती यह है कि आप कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। हमें आप लोगों से कोई शिकायत भी नहीं है। आप स्वप्न देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में शासन करना है लेकिन जनता ने आपको विरोध पक्ष मे इतनी कम तादाद में बैठा दिया है इसलिये आप नाराज हो। जनता की अदालत में आप मात खा गये हैं। जब आपकी सरकार थी तो आपने वायदा किया था घोषणापत्र में कि सेल्स टैक्स माफ कर दिया जायेगा। लेकिन जब आप सरकार में आये तो व्यापारियों पर गोली चलायी, यह तोहफा दिया सेल्स टैक्स माफ करने की जगह। लेकिन म अपनी सरकार से दरख्वास्त करता हूं, सेल्स टैक्स माफ करना वाजिब नहीं है क्योंकि राजस्व का सवाल है लेकिन आप एसी व्यवस्था निकालें जिससे व्यापारियों को सेल्स टैक्स अदा करने से राहत मिल सके और उनकी कठिनाई दूर हो सके। कोई सामंजस्य करके, व्यापारियों के साथ बैठकर कोई रास्ता निकालें जिससे हम उनको यह बता सकें कि जिन्होंने बहुत बातें की थीं उन्होंने आपको गोलियाँ दी लेकिन हम आपकी कठिनाईयों को दूर करने के लिये सजग हैं और दूर करना चाहते हैं।

(मेजों की थपथपाहट।)

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक बहुत अहम बात कहीं है। वह है दहेज को दूर करने की। मैं समझता हूं और कांग्रेस के सब लोग, प्रदेश और देश के सब लोग इस प्रथा के उन्मूलन के लिये जागरूक हैं। बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि प्रति वर्ष प्रदेश में मजबूर होकर महिलायें आत्महत्या कर लेती हैं। उसका कारण यह होता है कि वह दहेज कम ला सकीं। केवल कानून बनाने से दहेज प्रथा का उन्मूलन नहीं होगा, सामाजिक चेतना भी कारगर नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि जहाँ महिलाओं की आत्महत्या का मामला आये, कानून में प्राविधान हो कि उसको हत्या का मामला मानकर उसकी जाँच की जाय तब जाकर लोगों के दिमाग दुरुस्त होंगे और लोग महसूस करेंगे कि उनके ऊपर अंकुश है। महिलायें आत्महत्या अपने मन से नहीं करती हैं। जब वह मजबूर हो जाती है आत्महत्या करने को,

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]
तब आत्महत्या करती हैं। इसको हत्या मानकर विवेचना होनी चाहिये तब कहीं जाकर दहेज प्रथा को दूर कर सकते हैं जो समाज के लिये अभिशाप बनी हुयी है। चूंकि लाल बत्ती हो गयी है, मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। इतनी काफी टोका टाकी हुयी है जिससे मेरा काफी समय निकल गया है।

श्री अधिष्ठाता--

इसीलिए एक मिनट दे रहा हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। विद्युत विभाग में इतना भ्रष्टाचार इन 3 सालों की जनता पार्टी और लोकदल की सरकार के जमाने में पनपा है उतना कभी था नहीं। आज हालत यह है कि मेरे क्षेत्र में सबवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर कोल्ड स्टोरेज के लिये शासन ने आदेश दिया कि 18 घंटे बिजली दी जाय लेकिन बिजली विभाग के अफसर मोटी-मोटी रकम लेकर भी बिजली नहीं दे रहे हैं। इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ-साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करता हूं और इस आशा से समर्थन करता हूं कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, जो गड़बड़ियां इस प्रदेश में जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने छोड़ी हैं उनको निश्चित रूप से ठीक कर के प्रदेश को आगे ले जाने में कामयाब होगी।

*श्री राम जी राम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत मशकूर हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये सुअवसर दिया। मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता ने यह फैसला कर दिया, जिसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण म 15 प्वाइन्ट्स में संकेत है कि मजबूत और टिकाऊ सरकार कांग्रेस पार्टी ही बना सकती है और यह साबित हो गया और इसका श्रेय युवा कांग्रेस को है, उसके ही बल पर उत्तर प्रदेश में टिकाऊ और मजबूत सरकार कायम हो सकी। मैं विरोधी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि जनता ने आपको बता दिया कि--भटक रहा जो खुद वादियों म, वे क्या करेंगे रहबरी हमारी। आपको एक बार मौका मिला और आपके नेता चौधरी चरण सिंह को एक बार मौका मिला तो उन्होंने लब्बैक पुकारा कि--दुश्मनों हाथ उठाओ कि जिऊं वर्षों क्योंकि दोस्तों ने मेरे मरने की दुआ मांगी है। यह उनकी पुकार थी। जिसपर हमने उनको मदद दिया कि विरोधी पार्टी मजबूत सरकार बनाती जिसमें हिन्दुस्तान के हरिजन और गरीब लोग महसूस कर सकते कि समाजवाद में उनको बराबर उन्नति करने का मौका मिला लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुये। इसलिये मान्यवर, मुझे कहना पड़ता है कि जब यहां कोई विकास और ला एन्ड आर्डर की बातें की जाती हैं तो आप उनको सहयोगात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपना विध्वन्सात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। इसलिये साफ तौर पर आप समझ लें कि ला एन्ड आर्डर का जो मामला है, शांति व्यवस्था का मामला है, जो बलात्कार का मामला ह और जो हरिजनों को सताये जाने का मामला है उसमें आप और पूरा समाज दोषी है, इससे आप इंकार नहीं कर सकते हैं।

इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का साफ एलान किया है, 15 प्वाइन्ट्स में, कि हम अपने प्रदेश के विकास के लिये कृतसंकल्प हैं और किन तरीकों से प्रदेश का विकास होगा उसका संकेत दिया है। इसलिये हम लोग सभी मिलकर इन दोषों का निदान करें जिससे उत्तर प्रदेश का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वोत्मुखी विकास हो। वरना यहाँ बलात्कारों और हरिजनों की बात उठाकर आप अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकते हैं। आप हरिजनों और बलात्कारों में हमारी जिम्मेदारी की बात करते हैं लेकिन आप खुद फजिहत है और दूसरों को नसीहत देते हैं, तो यह कहाँ तक उचित है। उत्तर प्रदेश को आप 3 सालों में कहाँ ले गये यह किसी से छुपा नहीं है। आँकड़े मैं नहीं पेश करना चाहता हूं लेकिन सत्य यह है कि गाँव-गाँव में समाजवाद के आप हामी है, नारा लगाते हैं, समाजवाद के लिये हरिजनों को कथा कहते हैं किन्तु आप स्वयं सोचें, महसूस करें कि इसका कारण क्या है। आपने साबित कर दिया कि आप गरीबों, हरिजनों और अक्लियतों की समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं, इसीलिये आप शासन करने में असफल हुये। जनता ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया, यह आपका सम्मान है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों का स्वयं मैं भुक्तभोगी हूं। इनके गाँवों में क्या कारनामे हैं, उनको देखें तो वह उल्टे कारनामे हैं, चाहे इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे सिंचाई में नहरों का मामला हो उसको देखें तो विरोधी गाँवों में जाकर नहरों को काट देते हैं और हरिजनों को फंसा देते हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से हमने जाँच करा कर यह चीज देखी है। मैं कहना चाहता हूं कि सभापति महोदय आपके माध्यम से कि आज मौका है उत्तर प्रदेश के सर्वोत्मुखी विकास के लिए। विकास के लिए हमें वातावरण तैयार करना है। एक स्वस्थ परम्परा कायम करनी है। हमारा और आपका कम्पटीशन है। देखना है आप लोग इसमें कितना सहयोग देते हैं। हमें मतदाताओं ने यह मौका दिया है कि हम उत्तर प्रदेश के सर्वोत्मुखी विकास के लिए आगे बढ़े। हमारे कदम से कदम बढ़ाने में कितना सहयोग आप देना चाहते है यह तो भविष्य बतलायेगा। इसमें बहुत सी बातें कही गयी है। एक बात मैं कहना चाहता हूं.....

एक सदस्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, टोका टोकी बंद करा दीजिए.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप भी कृपा करें।

श्री राम जी राम—

अधिष्ठाता महोदय, इसमें स्पष्ट रुप से इशारा किया गया है निर्बल वर्ग के व्यक्तियों विशेषकर हरिजनों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार को बरदाश्त नहीं किया जायगा। साफ तौर से इसमें इशारा है निर्बल वर्ग की ओर। बलात्कार करते कौन हैं। कितने आप ने गाँवों में, अपने क्षेत्रों में सत्याग्रह किये, कितने घेराव आप ने किये और आप यहाँ चिल्लाते है हरिजनों में अत्याचार के बारे में.....(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि यह मौका है। लेक्चरबाजी से काम नहीं चलेगा। बलात्कार क्या है। यह एक कोढ़ है, सदियों का कोढ़ है, बड़े-बड़े लोगों का कोढ़ है, जबरदस्त लोगों का कोढ़ है जिसे चाहे आप का शासन हो या किसी का हो उसमें संरक्षण मिलता है। इस लिए आइये हम सब मिल कर इसे दबायें, इसका मुकाबला करें और तब यह जाकर खत्म होगा। सिर्फ लेक्चरबाजी से, आँकड़े देने से यह खत्म होने वाला नहीं है..... (व्यवधान) भाइयों..... (व्यवधान) बैठ जाइये समय खत्म हो गया, बैठ जाइये लेट हो रहा है, अधिष्ठाता जी बैठाइये.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य राम जी राम अब आप जल्दी समाप्त करें....

श्री राम जी राम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसका समर्थन इसलिए करता हूं कि इसमें भाषा के बारे में और खास कर उर्दू भाषा की तरक्की के बारे में बात कही गयी है। उर्दू भाषा एक समृद्धशाली भाषा है इसका सहयोग लेना चाहिए, इसे उपयोगी भाषा बनाना

[श्री राम जी राम]

चाहिए, राज-काज की भाषा, सरकारी भाषा में भी इसका उपयोग होना चाहिए। मैं यह अपनी एक तरह से राय पेश करना चाहता हूं। सभापति महोदय मैं कुछ बात इण्डस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं. . . अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत गाँवों में जो पैसा दिलाया गया उसमें हरिजनों की प्रगति के लिये किसको क्या मिला यह सभी जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

बत्ती जल जाती है तो आप ज्यादा से ज्यादा एक मिनट ले सकते हैं। अगर अपनी तकरीर को बढ़ायेंगे तो और साथी रह जायेंगे। मैं चाहता हूं कि अब आप समाप्त करें।

श्री राम जी राम—

अधिष्ठाता महोदय, मैं फैजाबाद जिले में जहाँगीरगंज क्षेत्र से आया हूं। वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। इस ओर सरकार ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

कायम मुकाम अध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कल से मुसलसल कोशिश के बाद मुझे आज मौका मिला है कि राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में फरमाया है उसके मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज कर सकूं। मैं निहायत अफसोस के साथ यह कहूंगा कि इस मुल्क में रहने वाली अकलियतों को अगर एक जगह जोड़ लिया जाय तो वह गालिबन इस मुल्क की अक्सरियत बन जायेगी लेकिन आज जो लोग हुकूमत में हैं न उन्होंने और न गवर्नर साहब ने इस बात की जहमत गवारा की कि उनके बारे में उतना कहा जाता जितने उनके मसायल हैं। मैं आपके द्वारा उनकी तवज्जह कई कमजोर व दबे हुए तबकों की ओर दिलाना चाहता हूं। जिनके बारे में सारे दिन बहस होती रही है, क्या यह बात मान लेने की नहीं है कि देश में रहने वाले 12 करोड़ मुसलमान और करोड़ों हरिजन जुल्म के शिकार हुए हैं। 32, 33 साल की आजादी के बाद भी अगर उन जुल्मों के खिलाफ जो अकलियतों पर होते रहे हैं की आवाज उठाई जाती है तो वो लोग जो अकसरियत में बैठे हैं उस आवाज को सुनने तक को तैयार नहीं है। जो हुकूमत में बैठे हैं वे अगर हमारी तकलीफों को दूर नहीं कर सकते तो कम से कम अखलाकी फर्ज यह होना चाहिये था कि अकसरियत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से हुई हर गलती को वह तसलीम कर लेते। मैं मानता हूं कि लोक दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार से भी गलतियाँ हुई होंगी गलतियाँ न हुई होती तो सीटें न बदल गयी होती। लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं कि गलती आप करेंगे तो सजा आपको भी मिलेगी, हमारी गलती की सजा हमको मिल चुकी। अगर अकलियतों के मफादात को कुचला गया, हरिजनों तथा मुसलमानों के मफादात को कुचला गया तो यह सरकार भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अकसरियत की तरफ से उर्दू के सम्बन्ध में कुछ बातें यहाँ कही गयी। जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो चाहे दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो आपने बड़े नारे लगाये थे, बड़ी बातें की थीं अपने मैनिफेस्टो में अकलियतों तथा कमजोर तबकों को फायदा पहुंचाने के लिये कहा था। लेकिन आज क्या हो रहा है? मैं पुरजोर तौर पर कहता हूं कि हमारी लिसायत हाउस के अन्दर कुछ और हाउस के बाहर कुछ और है। जब वोट लेना होता है तब अकलियतों को भड़काया जाता है, तब अलीगढ़ मुसलिम युनिवर्सिटी की बात की जाती है और उनके लिये परसनल ला और नौकरियों की बात की जाती है। आप अपने मैनिफेस्टो में कहते है कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाया जायेगा और यही कांग्रेसी उसी मैनिफेस्टो की मुखालिफत करते हैं। मैं बड़े जोरों के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह तबका जो अवाम से उर्दू के नाम पर वोट मांगता है वह आज कुर्सी पर बैठने के बाद उसे तसलीम नहीं करता। यह बड़े अफसोस

की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अकलियत की तकलीफों को नहीं समझेंगे, उनके मसायल को हल नहीं करेंगे तो जिन खताओं की सजा अपोजीशन को मिली है उसी तरह की सजा आपको भी मिलेगी। इसमें कोई दो रायें नहीं है। आप यह जान लीजियेगा कि इतने बड़े तबके के साथ आपने विश्वासघात किया है, जो आपने वायदे किये थे उनको पूरा नहीं किया तो वही सजा आपको भी मिल सकती है।

मैं आज यह भी कहना चाहूंगा कि जिस हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किये जाने के बारे में यहाँ पर कहा गया था उन वाकेयात की मेरे पास फेहस्ति है। यह वह रिपोर्ट है जो थाने में दर्ज के लिये दी गई थी। यह काबिलेशर्म बात है। इसको किसी शख्स की बुराई न कह कर इसकी समाज की बुराई कहना चाहिए। यह समाज की बुराई है और यह बुराई खत्म होनी चाहिये। अगर कोई भी सदस्य किसी बुराई को बढ़ावा देता है, कत्ल को सही कहता है, डकैती और राहजनी को सही कहता है तो वह समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, वह हाउस में बैठने का हकदार नहीं है और वह मुल्क के साथ गद्दारी करता है। अगर कोई अवाम से बेवफाई करता है तो वह मुजरिम है। अगर यह बलात्कार की रिपोर्ट सही है. और इसके बारे में यहाँ टेलीग्राम भेजे गये है तो गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिये। इस हाउस में बैठकर तंगदिली का इजहार नहीं किया जाना चाहिए और इसको खत्म होना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान इस देश के एक गरीब शहर रामपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। रामपुर हिन्दुस्तान की एक ऐसी रियासत थी जिसके बारे में मैं नहीं समझता कि इसको कोई नहीं जानता है। सन् 1947 में हिन्दुस्तान आजाद हुआ। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो यह बदनसीबखित्ता नवाबों का गुलाम हो गया क्योंकि हिन्दुस्तान अंग्रेजों के हाथ में था और यह शहर रामपुर दोहरी गुलामी का शिकार था लिहाजा अंग्रेज तो चले गये लेकिन आज भी नवाबों का गुलाम है। 33-34 साल तक मुसलसल इस शहर में ऐसे लोगों को आप टिकट देते रहे हैं जिन्होंने इस खित्ते की खुशहाली, बहबूदी और उसकी किस्मत के लिये कुछ नहीं सोचा। जो यहाँ पर पुराने मेम्बरान मौजूद हैं उनको याद होगा रामपुर के लोगों के बारे में आज तक कुछ भी नहीं कहा गया। यह इस हाउस के लिये काबिले अफसोस बात है। वहाँ के कारखाने बन्द करवा दिये गये, शुगर फैक्टरी खत्म कर दी गई इंक फैक्ट्री खत्म कर दी गयी। गन मैच फैक्ट्री बन्द कर दी गयी और भी कई फैक्ट्रियाँ बन्द कर दी गयी। कुछ जिम्मेदार लोग ऐसे थे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने कहा कि रामपुर एक छोटा पाकिस्तान है। मैं कहता हूं इसमें किसकी साजिश थी, मुल्मों को किस जुर्म की सजा आज 32 साल तक इस शहर को दी गई। इस शहर की गरीब लड़कियाँ 9 साल से लेकर 90 साल तक की बूढ़ी औरतें बीड़ी बनाती हैं और अपना गुजर बसर करती हैं। आज तक किसी ने इस समाज के लिये नहीं सोचा। उस 19 साल की लड़की की क्या सुहागरात होगी जब उसके शौहर को यह मालूम होता होगा कि उसकी बीवी बीड़ी बनाती है और एक 90 साल का बूढ़ा जब रिक्शा चलाते हुये गिर कर मर जाता है तो उसकी बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो जाते हैं। मुझे कहने का मौका दिया जाय कि पिछली सरकार ने जनता पार्टी की सरकार ने, वहाँ से आये हुये एम0पी0 श्री राजेन्द्र शर्मा ने केन्द्र सरकार से सवा सौ करोड़ रुपये की मालियत का एक कारखाना वहाँ दिया उसे सरकार बदलते ही वहाँ से हटा दिया गया। मैं पूछता हूं कि क्या रामपुर उत्तर प्रदेश का खित्ता नहीं है? मुझे बताया जाय कि आखिर वह खित्ता कब तक जुल्म सहता रहेगा। आखिर क्या वजह थी कि उस सौ सवा सौ करोड़ के कागज के कारखाने को श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा रामपुर से हटाकर लालकुंआ में लगा दिया गया? क्या यह सिर्फ इसलिए हुआ कि उसे कहा जाता है कि वह छोटा पाकिस्तान है? तो यह इलजाम कब तक लगा रहेगा और रामपुर के साथ यह जुल्म कब तक होता रहेगा? रामपुर को भी कम से कम उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा माना जाय, वहाँ की बेरोजगारी और भुखमरी के बारे में भी सोचा जाये।

[श्री मुहम्मद आजम खां]

मैं अपने अजीज साथियों से अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी जमात में ऐसे लोग भी हैं जो कफेपोसा के मुल्जिम हैं। मैं जिस कैंडिडेट को हरा कर आया हूं क्या वह कफेपोसा का मुल्जिम नहीं था ? मैं ईमानदारी के साथ यह बात कहता हूं कि अगर यह बात गलत हो तो मैं यहाँ की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मैं उस समय बनारस जेल में बंदी था वह भी उस समय कफेपोसा में बंदी किये गये थे। अगर कोई बात गलत है तो उसको मान लेना चाहिये अगर नहीं मानेंगे तो गलतियों का सुधार नहीं होगा। आपने 75 से 77 तक गलती की तो आपको बदल दिया गया। (व्यवधान) मेरी बात का जवाब देने का आपको पूरा मौका मिलेगा। मुझे बोलने दें। तो मैं कह रहा था कि आपने गलती की तो अवाम ने उसकी सजा आपको दी और जब जनता पार्टी ने गलती की तो उसको भी सजा मिली। लेकिन हैरत उन लोगों पर है जिनके मकानात तुर्कमान गेट पर बुलडोजरों से गिरा दिये गये और उन्होंने ही फिर कांग्रेस को कुर्सियों पर बैठा दिया और उस कार्य को सही ठहरा दिया गया। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को किस तरह मस्जिद में मारा गया और उनका कत्ल हुआ फिर भी उन्हीं को वोट देकर सरकार बनाई है (व्यवधान) मैं दुआ करूंगा कि अगर आप अच्छे काम करेंगे और आप अवाम की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करेंगे तो मुल्क का भला होगा।

आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि कफेपोसा के मुल्जिम आपकी सरकार में बंदी बनाये गये थे वह आज सदस्य बने हैं। उनकी आपको मुखालफत करनी चाहिये और उनको इस्तीफा देना चाहिये। अगर यह गलत हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार

(व्यवधान)

हूं। आज कुछ आवाजें उधर से आती हैं गोया साँडे का तेल बेचने वाले आ गये हों तो इस किस्म की आवाजों को रोका जाय। मैंने बगैर नाम लिये यह बात कही ताकि किसी साहब के जजबात को ठेस न लगे फिर भी अगर ऐसा हुआ हो तो मैं उसके लिये माजरत करता हूं। मैं कह रहा था कि इस हाउस की गरिमा को बरकरार रखकर हम इस बात को सोचें कि हम करोड़ों लोगों की नुमायंदगी करने इस हाउस में बैठे हैं। हमको इस देश की तकदीर बनानी है। हो सकता है कि हमारा सोचना गलत हो और हम बिलकुल बेबुनियाद सोचते हों लेकिन आप तो ईमानदार तबके से ताल्लुक रखते हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं।

शुक्रिया।

*श्री राम गोविन्द—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि दो दिनों की मेहनत के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोधी दलों की तरफ से जो संशोधन पेश किये गये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैंने ध्यान से महामहिम राज्यपाल के भाषण को पढ़ा है और देखा है कि इसमें दो दिन से बहस हो रही है, इस अवसर पर दो दिनों से आक्षेप और प्रत्याक्षेप के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से जो लोग कल और आज बोले हैं उन्होंने सिवाय जनता पार्टी और लोकदल के शासन काल में क्या हुआ इसी को दोहराया। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में क्या नीति निर्धारित की है, उन्होंने प्रदेश की प्रगति की दिशा में क्या सोचा है, उन्होंने इस प्रदेश की गरीबी मिटाने की दिशा में क्या सोचा है या जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग बेकार हैं, उनके लिये क्या सोचा है, इसके ऊपर ट्रेजरी बेंचेज की ओर से—चाहे युवक कांग्रेस के लोग रहे हों या पुराने रहे हों, किसी ने कुछ नहीं कहा है। अभी मेरे साथी बलिया के सदस्य कह रहे थे कि कानून व्यवस्था हम ठीक कर देंगे। उनकी तरफ से ठीक हो जाएगी यह मैं मानता हूं। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बारे में किसी मन्त्री ने कुछ नहीं कहा है। जो कानून व्यवस्था ठीक करने की बात कह रहे हैं वह कैसे करेंगे, यह मैं जानता हूं, वह ठीक हो जाएगी। मैंने इस किताब को बड़ी निगाह से पढ़ा है। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, और इसके पूर्वांचल के जिले विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि हम प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने के लिए कृतसंकल्प हैं। लेकिन यह कैसे होगा यह कहीं नहीं बताया गया है।

सन् 69 में ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले लोग एक बड़ी मेजार्टी में यहाँ पर और पूरे देश में चुनकर आए थे और उन्होंने कहा था कि हम गरीबी मिटा देंगे, लेकिन वह कतई मिट नहीं सकी। जनता पार्टी की सरकार जब शासन में आई, तो उसने भी गरीबी दूर करने की बात कही थी और साथ ही उसने इसके लिए कुछ कर भी दिखाया। उसके प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई ने कहा था कि हम 10 वर्ष में देश से गरीबी दूर कर देंगे और केवल कहा ही नहीं था उस दिशा में उसके दोनों दलों की सरकारों ने काम भी किये थे। उसने ग्राम ग्राम में उद्योग धंधों का जाल बिछाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया था।

पिछली काँग्रेस सरकारों ने बी0 टी0 सी0 के प्रशिक्षित बेकार व्यक्तियों की एक कतार खड़ी कर दी थी, लेकिन जनता सरकार ने दो–तीन किश्तों में उन सबको नौकरी देने का काम किया है लेकिन अब फिर आदेश निकले हैं कि बी0 टी0 सी0 लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। अब बी0 टी0 सी0 लोगों को आगे रोजगार देने की इसमें कोई बात नहीं है। युवक काँग्रेस के लोग बोल रहे थे कि यह काँग्रेस सरकार युवक काँग्रेस के कारण से बनी है। उनका कहना ठीक है, उनके कारण नौजवान बहुत आए हैं और और साथ ही 90 साल के लोग भी कुछ उनके बल पर आए हैं। लेकिन आज करोड़ों नौजवान जो भुखमरी के शिकार हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट बेकार सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको उनके समर्थन में राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करना चाहिए, जो उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। इसमें कहीं बेरोजगारी दूर करने की बात, सोचने की बात नहीं कही है। कैसे यह नौजवान हैं जो कह रहे हैं कि यह अभिभाषण बहुत ठीक है। आज पूर्वांचल के लोग गरीबी से हताश हैं। हिन्दुस्तान में ही नहीं, पड़ोस के दूसरे दूसरे तमाम देशों में अपनी जीविका चलाने के लिए रोजगार की तलाश में बलिया, देवरिया और गाजीपुर आदि के लोग चले जाते हैं। आप किसी भी देश में जायेंगे आपको भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लोग मेहनत मजदूरी करते मिल जाएंगे। उनकी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं लिखा है। वह लिखेंगे भी कैसे? हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो लोकतंत्र की सरकार बनी और आज न लोकतंत्र की सरकार है और न प्रजातंत्र की सरकार है बल्कि इन्होंने पुनः राजतंत्र कायम कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी एक भूतपूर्व राजा हैं। राज्यपाल महोदय जिन्होंने यह अभिभाषण पेश किया है वह भी भूतपूर्व राजा हैं और उस अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह भी राजकुमार हैं। अपनी नीतियों के समर्थन करने के लिए एक पुराने सदस्य काशीनाथ मिश्र से समर्थन करा दिया। इस प्रकार से इन्होंने अपने काले कारनामों पर परदा डालने का प्रयास किया है। जो पहले कुछ गाँवों के राजा थे वह आज 56 जिलों के राजा हो गये हैं। माननीय सदस्य जिन्होंने धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि बिजली की बड़ी समस्या है। 1974 से 1977 तक बिजली की इतनी कमी हो गयी थी कि किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल सका। जब हमारी सरकार आयी तो उसने किसानों को 19 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की, दूसरी जगहों की बिजली की कटौती की और जब जनता पार्टी का शासन समाप्त हो गया तो बिजली भी समाप्त हो गयी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका दो मिनट का समय रह गया है। शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री राम गोविन्द—

यह तो बिजली की बात रही। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय खाद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जब आपका शासन आया तो खाद के दाम बढ़ा दिए। हमारे शासन काल में खाद के दाम कम किए गए थे। हमने उनको राहत दी और आपने उन पर बोझ डाला। आपने यह घोषणा की है कि जहाँ तक 50 प्रतिशत खरीफ की फसल और पूरी की पूरी रबी की बोवाई नहीं हो सकी है वहाँ पर सब्सीडी दी जायगी। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर रबी की बुआई कुछ न कुछ न की गयी हो। हर एक किसान चाहे कुएं से ही सींचना क्यों न पड़े कुछ न कुछ बुआई अवश्य करता है। कोई भी किसान ऐसा न होगा जिसने एक इंच भी बोआई न की हो। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सब्सीडी नहीं मिल पायेगी।

मान्यवर, एक मिनट में अब मैं अपने जिले की बात कह देना चाहता हूं। बलिया जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मैंने बलिया में एक चीनी मिल खोले जाने की आवश्यकता को महसूस किया था और सौभाग्य से जनता पार्टी के शासन काल में वहां के मंत्री भी गन्ना विकास मंत्री हुए और उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि बलिया में एक चीनी मिल खोली जायेगी। लेकिन मान्यवर, आज तक वह मिल नहीं खोली गयी है। इसलिए बलिया में एक चीनी मिल की व्यवस्था की जाये। बलिया जिला हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता है और लाखों एकड़ भूमि की फसल भी नष्ट हो जाती है। नदियों के किनारे बाँध की एक योजना बनायी गयी थी और जो पानी बाहर का होगा उसे नदी में फेंके जाने की योजना थी। लेकिन इस सम्बन्ध में भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि बलिया में जल जमाव और जल निकासी की व्यवस्था निश्चित रूप से करें नहीं तो तबाह हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री संजयसिंह द्वारा रखे हुए प्रस्ताव का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे सामने राज्यपाल के अभिभाषण में जो नीति निर्देशन आया है उसपर हमारे विरोधी पक्ष के लोगों ने अन्यन्य प्रकार के कटाक्ष किये। मेरी समझ में नहीं आया क्या वह अपने जमाने में दिये हुए राज्यपाल के अभिभाषण को भूल गये। मैं कोई विषयान्तर नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो हमने ला ऐण्ड आर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात कही, वह क्या थी? आपने देखा होगा पिछले सालों में मेरठ, मुजफ्फरनगर में जो आज हरिजनों और अकलियतों की बहुत बड़ी नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरा स्वयं का अनुभव है, वहाँ पर अकलियत जमात और हरिजनों को बैलट पेपर देखने तक को नहीं मिला था। सबसे पहला मौका है हरिजनों ने वहाँ पर बैलट पेपर को देखा। मेरा कई लोगों से इस बारे में साक्षात्कार हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि चौधरी साहब के जमाने में मैंने बैलट पेपर को देखा ही नहीं था। मेरे बहुत से नौजवान दोस्त विरोध पक्ष में हैं। वह शायद इसका अनुभव भी करते होंगे। मेरी बात पर उनको यकीन न हो तो वह वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने मित्र मोहन सिंह जी से कहूंगा कि वह मेरठ जायं और वहाँ पर देखें, वहाँ पर पूछें क्या वहाँ पर कभी हरिजनों को बैलट पेपर देखने का भी मौका मिला था। यह बिलकुल वाकया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह—

मैं अपने बड़े भाई दीक्षित जी से पूछना चाहता हूं केवल एक चुनाव श्री चरण सिंह के नेतृत्व में हुआ था इसके पहले चुनाव किसके नेतृत्व में हुए थे ?

श्री राम औतार दीक्षित—

यह पहला मौका है कि हमने स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार लोगों को दिलाया ।

श्री मोहन सिंह—

यानी आप अपनी हुकूमत की भी निन्दा कर रहे हैं।

श्री राम औतार दीक्षित—

हमारे मित्र इस मामले में ज्यादा परेशान न हों। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ला ऐंड आर्डर सिचुएशन को कन्ट्रोल करने की जो बात कही गयी है उसका पहला उदाहरण रखा ।

जहाँ तक दूसरी बातों का सवाल है, बूथ कैपचरिंग की परिपाटी जिन लोगों के शासन में रही है उसकी भी जिन्दा मिसाल हमारे पिछले जमाने में लोगों ने देखी होगी। मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं निधौली कलाँ गया था। मैंने देखा था। पिछले मुख्य मंत्री ने किस तरह से निधौली में बूथ कैपचरिंग कराया था और बूथ कैपचरिंग का ही परिणाम था कि वह निधौली से विजयी हुए थे अन्यथा कदापि विजयी नहीं हो सकते थे। इस बार आपने देखा होगा कि बड़े स्वतंत्र रूप से चुनाव हुआ। हमारे मित्र इस बात के साक्षी हैं। उनका इस बारे में स्वयं बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा, देखा होगा कि उन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनायी ।

जहाँ तक ला एंड आर्डर की हालत का सवाल, है, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसकी चर्चा है, आप धैर्य रखें, निकट भविष्य में ही उसको ठीक किया जायगा। पिछली सरकार की कुरीतियों को सुधारने में कुछ समय तो लगेगा ही। मैं यह दावा तो नहीं करता कि सारी सिचुएशन हमारे कन्ट्रोल में है, लेकिन मैं विरोध पक्ष को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह शीघ्र ही ठीक हो जायगी। विरोध पक्ष यदि ठीक तरह से अपनी भूमिका अदा करेगा और हमें विरोध पक्ष का सहयोग मिलेगा तो प्रदेश की उन्नति भी होगी और ला एन्ड आर्डर की हालत भी ठीक होगी। विरोध पक्ष की भूमिका इतनी ही नहीं होती कि केवल अखबारों में छप जाय इसलिये वे यहाँ पर मिथ्या और अनर्गल प्रलाप करें। आपका यह भी फर्ज है कि आप अपनी बातों को मर्यादित ढंग से कहें और ठोस सुझाव दें ताकि सरकार को उससे बल मिले। मैं यहाँ पर यह देख रहा हूं कि विरोध पक्ष की भूमिका केवल विरोध करने तक ही सीमित रह गयी है। जितने भी विरोध पक्ष के सदस्य अब तक बोले हैं किसी ने भी कोई ठोस सुझाव नहीं रखा ।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ बातों की चर्चा नहीं की गयी है जिसकी ओर संकेत करना चाहता हूं। पिछली सरकार के जमाने में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की जमीनों की खरीदारी में जो जो घपला हुआ उसकी जाँच के लिये इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। उसमें सरकारी धन का तरह तरह से दुरुपयोग हुआ था। सहकारी क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी भी जाँच कराने के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। वेयर हाउसिंग की जमीनों को मंत्रियों ने खुद अपने रिश्तेदारों को दिलवा दी जिसकी जाँच होना चाहिये थी।

यह कहा गया कि गुन्डागर्दी बढ़ रही है। मैं इटावा जिले की बात बताना चाहता हूं। वहाँ पर एक भूतपूर्व मंत्री जब चुनाव प्रचार के लिये जाते थे तो अपने साथ एक नामी

[श्री राम औतार दीक्षित]

डकैत को साथ लेकर जाते थे। (व्यवधान) वह डकैत उनका प्रचार करता था। इस देश में गांधी जी का नाम लेकर गुन्डों और डकैतों से चुनाव प्रचार करवाना कितने शर्म की बात है। फिर जो लोग ऐसा करते हैं वे ही कह रहे हैं कि गुन्डागर्दी बढ़ रही है। मेरे मित्र अगर अपने को ही सुधारने की नीयत बना लें तो प्रदेश का बड़ा हित हो सकता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि "पर उपदेस कुशल बहुतेरे।" दूसरों पर टीका करना बहुत आसान है। इस प्रदेश के सुधार के लिये आवश्यक है कि हमारे मित्र हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिलायें। जिससे प्रदेश का कल्याण हो सकेगा, प्रदेश का सुधार होगा। साथ ही साथ पिछली सरकार के हमारे मित्र मोहन सिंह जी ने एक बात कही थी, वह अपने हृदय को टटोलें। हमारा विश्वविद्यालय के जीवन में उनसे बहुत संबंध रहा है। वह देखें कि पिछली सरकार में भाई, भतीजावाद, कुनबापरस्ती तथा क्षेत्रीय वाद का क्या बाहुल्य नहीं था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने भाई भतीजावाद, क्षेत्रीयवाद को जो प्रोत्साहन दिया है, उसी का कारण है कि आज हमारे सारे सरकारी तंत्र के अन्दर एक तरह की विडम्बना पैदा हो गयी है जिससे मुक्ति दिलाने के लिए हमें कुछ समय चाहिए, तभी हम उसका सुधार कर सकते हैं।

मान्यवर, इसी के सन्दर्भ में आप से यह कहना चाहता हूं कि किसानों को तकावी का वितरण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य मुकदमें को निपटाने की बात श्रमिकों की भागीदारी, विकेन्द्रीकरण, समाजवाद, जनतंत्र एवं धर्म निरपेक्षता की बात जो हमारे महामहिम राज्यपाल ने कही है, उसको पूरा करने के लिये सतत प्रयत्न करेंगे और हम विरोधी पक्ष से इस बात की अपेक्षा करेंगे कि इन चीजों को कामयाब करने के लिए, इन चीजों में प्रदेश की तरक्की और बहबूदी के लिए वह हमारे कंधा से कंधा मिलायें, ताकि इस प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने में कारगर हो सके। एक बात और कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जहाँ तक पार्टी के ऊपर बहुत बड़े-बड़े कटाक्ष और आरोप लगाये जाते हैं। "सदियों से वह रहे हैं एक नदी की तरह, रुक गये होते तो झील बन जाते।" यह कांग्रेस पार्टी गंगा जी की तरह है। नदी के बहाव की तरह है। अगर आप लोगों की तरह रुक गये होते, तो वही झील बन जाते। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो हमारे माननीय सदस्य श्री संजय सिंह ने रखा है, उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। हमारे देश की जनता पिछली सरकार के कार्यक्रमों से इतनी तंग आ चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी और उसे विश्वास था कि देश में एकमात्र माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ऐसी नेता हैं, जो इस देश की गरीब जनता का भविष्य सुधार सकती हैं और इस देश को एक सुदृढ़ सरकार दे सकती हैं। इस भावना को जनता ने हाल में हुए लोक सभा चुनाव और विधान सभा चुनाव में अपना मत देकर व्यक्त किया है। मैं जनता के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। केन्द्र में एक सुदृढ़ सरकार बनने के पश्चात्, प्रदेश में एक सुदृढ़ सरकार बनी। ऐसी सुदृढ़ सरकार जो कि प्रगति में कार्यरत हो, न कि पिछली सरकार की तरह हो, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना। हम लोग तेजी से जो समस्याएं हमारे देश और हमारे प्रदेश की थी उसको सुलझाने में लगे थे कि अचानक हमारे बीच से हमारे युवा नेता श्री संजय गांधी चले गये। उनका व्यक्तित्व जो था उसने सिर्फ इस देश को नहीं पूरे संसार को प्रभावित किया था। संजय आज हमारे बीच में नहीं हैं और सबसे ज्यादा कष्ट इसका हमारे युवा वर्ग कोउ नके न रहने से

हुआ। हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि उनके अधूरे सपनों को हम पूरा करें और जिस रूप में वह नये भारत को देखना चाहते थे इस देश का निर्माण करना चाहते थे। उसमें हम लोग दिल से लग जायं और इस देश को उस तरह का बनायें जिस तरह की श्री संजय गांधी चाहते थे। हमारी सरकार उनके बताये 5 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में पीछे नहीं रहेगी।

माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी विश्व में सबसे अधिक प्रजातंत्र और समाजवाद को मानने वाली नेता हैं और यही कारण था कि उन्होंने भारत की गरीब जनता की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया था। 11 वर्षों में उन्होंने इस देश को संसार के महान देशों के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया था लेकिन पिछले 3 वर्षों में जनता पार्टी की सरकार और लोकदल की सरकार ने हमारे देश को दिन प्रति दिन पिछाड़ दिया और आज जब हमारी पार्टी फिर सत्ता मेंआयी है तो हमारी सरकार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा इस प्रदेश और देश को प्रगति के रास्ते पर लाने के लिये बचनबद्ध है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हम सबके सामने जो उपलब्धियाँ हैं, वह सामने हैं। उपलब्धियों में महत्वपूर्ण उपलब्धि है हरिजनों को भूमि का आवंटन, खेतिहर मजदूरों को खेती और मकान बनाने के लिये भूमि उपलब्ध कराना आदि।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में कहा है। अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये नये तरीके अपनाने होंगे। मान्यवर, 79–80 में खरीफ की पैदावार में 1–04 करोड़ टन की पैदावार और रबी की पैदावार में लगभग 30–40 लाख टन की क्षति हुई थी। इसे दूर करने के लिये हमें उन्नतिशील बीज और उर्वरक कारखानों को बिजली उपलब्ध कराना है जिससे की रासायनिक खादों का उत्पादन बढ़े और हमारे किसान भाईयों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और तेजी से उत्पादन बढ़े। उपज बढ़े। बाढ़ और सूखा की गंभीरता को देखते हुये हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 12 सूत्रीय कार्यक्रम दिया है। इस 12 सूत्रीय कार्यक्रम को केन्द्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों में भेज दिये हैं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हर जिले में एक पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति होगी साथ-साथ खाद, रोजगार और भुखमरी का लेखा जोखा (स्टैटिस्टिक्स) रखा जायगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बफर स्टाक के गोदाम खोले जायेंगे और दो हजार व्यक्तियों पर एक फेयर प्राइस शाप खोली जायेगी। काला बाजारी और जमा खोरी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। और मान्यवर, फूड फार वर्क जिसके अन्तर्गत हर सप्ताह मजदूरी दी जायेगी। वृक्षारोपण का कार्य तेजी से किया जायेगा और प्रत्येक पंचायत मण्डल में बच्चों और उनकी माओं को भोजन एवं दूध की व्यवस्था की जायेगी। पानी की कमी को दूर करने के लिये लिए टैंकर, ट्रक तथा ड्रम्स का प्रबन्ध किया जायेगा और उपलब्ध पानी को जमा करके डिसइन्फेक्ट किया जायेगा। कुओं की खुदाई एवं बोरिंग का कार्य युद्धस्तर पर लिया जायेगा तथा पानी के निकट कैटिल कैम्प्स और रिलीफ कैम्प खोले जायेंगे।

हमारी केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में अपने बजट में बेरोजगारी के लिए एक बहुत बड़ी रकम अलग से रखी है। जिसका वितरण प्रदेशों की सरकार में होगा। और हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रकम वहाँ से लायें और बेरोजगारी दूर करने में लगायें। अभी एक माननीय सदस्य विपक्ष की ओर से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी देसाई ने 10 वर्षों में बेरोजगारी दूर करने की शपथ ली थी। उनके साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने पहले यह कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया था बाद में इसकी अवधि 10 वर्ष कर दी क्योंकि वह इसका कारण जानते थे कि उनकी सरकार दुबारा नहीं वापस आयेगी। लेकिन अफसोस है कि वे लोग 3 साल के अन्दर ही विपक्ष में आकर बैठ गये। विद्युत की गम्भीरता को देखते हुए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी हाल ही में 3

[श्री सुनील शास्त्री]

जल परियोजनाएं तथा 6 थर्मल पावर स्टेशन्स के लिए केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्लान प्रस्तुत किये हैं। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी को इसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और केन्द्रीय सरकार इन प्लान्स को स्वीकार कर लेगी और हमारे प्रदेश में शीघ्र ही थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हो जायेंगे।

मैं मान्यवर, एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सन् 71 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके एक बड़ी पूंजी हमारे देश की गरीब जनता को उपलब्ध कराई थी और अभी हाल में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर बहुत बड़ी पूंजी गरीबों के लिए उपलब्ध किया तथा साथ ही साथ ग्रामीण बैंकों की भी स्थापना की, जिससे कृषकों एवं गाँवों की गरीब जनता की भलाई के लिए ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधा सुगमता से प्राप्त हो सके और लीड बैंड की जिम्मेदारी भी सौंपी जिससे कि जनता की आर्थिक प्रगति भी सम्भव हो सके। केवल एक माह ही हुए अभी हमें शासन करते हुए। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि जो प्रगतिशील कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार के लिए बने हैं, उनसे हमें विश्वास है कि जो विश्वास हम पर देश की जनता ने प्रकट किया है, उसे हम शीघ्र ही पूरा कर दिखायेंगे। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता श्री मोहन सिंह जी ने मुख्य मंत्री जी से सबंधित जो बात कही और उनके ऊपर कीचड़ उछाला उसी सिलसिले में कहना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, इन्होंने वर्षों पहले एक बड़ी सम्पत्ति सर्वोदय योजना के अन्तर्गत दान की थी और माण्डा स्थित राजमहल जो उनका है उसका उन्होंने एक-तिहाई हिस्सा श्री लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन को दिया है। ऐसे समाजसेवी, कर्मठ कार्यकर्त्ता आज हमारे बीच मुख्य मंत्री के रूप में आये हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश दिन-प्रति-दिन तरक्की के पथ पर चलता जायेगा। अन्त में माननीय सदस्य श्री संजय सिंह के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के हर कोने में प्रगति, प्रगति, प्रगति ही लायेगी।

श्री महेश चन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता श्री राजकुमार संजय सिंह के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बागपत से मैं विधायक हूं। बागपत क्षेत्र की जो वास्तविकता है उसको मैं सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। बागपत क्षेत्र म गरीबों और एक जाति विशेष के लोगों को छोड़ कर कोई आजादी नहीं है। सारे देश में है पर बागपत क्षेत्र में नहीं है। मैं सबसे पहले, हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार और राज्यपाल जी ने पहली बार ऐसी व्यवस्था की कि गरीब लोगों ने राय डाली वरना होता यह रहा है कि गरीब लोगों की राय 4–5 गुण्डा तत्व पोलिंग बूथ पर वोट डालते रहे हैं।

यह बागपत काण्ड जो है यह वास्तव में राजनीतिक काण्ड बनाया जा रहा है। झगड़ा कहाँ से शुरू होता है। इसको मैं बताना चाहता हूं। नरेन्द्र सिंह के बारे में बार बार उल्लेख किया जाता है। सरुरपुर गाँव में जिसमें चौधरी चरण सिंह के भाई मान सिंह की लड़की ब्याही है वहाँ पर नरेन्द्र सिंह ड्यूटी पर मौजूद थे और वहाँ पर बूथ कैपचरिंग करने में पूरन सिंह को रोका। इसमें उन्होंने नाराजगी प्रकट की और पूरन सिंह बूथ पर कब्जा नहीं कर सके। उस गुण्डागर्दी को रोका और उसके बाद चौधरी चरण सिंह दिल्ली से भागते हुए सुरुरपुर आये, क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी जागीर जा रही थी। बागपत में उन्होंने सरुरपुर पहुंच कर कहा कि उस दरोगा का दिमाग सही हुआ है या नहीं? माननीय चौधरी चरण सिंह के रिश्तेदारों, उनके समधी ने आग लगा दी गरीब

की झोपड़ी में। उसके तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें वे जेल गये। इस प्रकरण से नाराज होकर चौधरी चरण सिंह बागपत थाने पर नाराज हैं।

(शोर)

वहाँ के लोगों को कोई बोलने की ताकत नहीं दी जा रही है और मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूं मुझे यहाँ भी कहने नहीं दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में हर दिन ये लोग बलात्कार करते हैं, लोक दल के लोग हर सड़क पर, खेत की मेड़ों पर क्या कर रहे हैं? ये बलात्कार की घटना को उठाने वाले लोग कितना बलात्कार कर रहे हैं? [× × ×] मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस बात की इन्क्वायरी कराई जाय। चौधरी साहब ने 1957 में सरदार प्रीतम सिंह जी के मुकाबले चुनाव लड़ा था। उनका कत्ल करवा दिया गया। मुझे इस बात का भय है, मैं पहली बार बागपत से चुनाव जीत कर आया हूं [× × ×]

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप नाम लिये बगैर अपनी बात कहें।

श्री महेश चन्द्र—

मोदीनगर काण्ड में मजदूरों को कत्ल करवाया गया। [× × ×] कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो गुण्डा गर्दी को दबाना होगा।

(शोर)

(कई सदस्य खड़े होकर लगातार शोर मचाने लगे)

श्री अधिष्ठाता—

नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते हैं, सुन लें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

आप जो कहते है हम सुन लेते हैं। आप क्यों नहीं सुन रहे हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह—

चौधरी चरण सिंह का नाम ले रहे हैं।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठ जाइये, बैठें आप। माननीय नेता विरोधी दल आप कहें। इनकी बातें सुनें यह क्या कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

चौधरी साहब का नाम ले रहे हैं, बार बार।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि उन्होंने चौधरी साहब का नाम लिया। अगर नाम लिए बगैर आप अपनी बात कहें तो ठीक होगा।

(कई सदस्य खड़े होकर लगातार शोर मचाने लगे।)

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं। आप लोग बैठें। माननीय नेता विरोधी दल क्या कह रहे हैं, सुन लें।

(शोर)

नोट—[× × ×] यह अंश, श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अधिष्ठाता]

माननीय नेता विरोधी दल अगर कोई बात कहते हैं, व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो बैठ जायें आप लोग नियमावली देख लें। नेता विरोधी दल व्यवस्था के प्रश्न पर कुछ कहना चाहते हैं, सुन लें।

(शोर)

आपका वक्त जो जायेगा वह मिल जायेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अधिष्ठाता जी, मैंने निवेदन किया। यह नियम है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके नाम को नहीं लिया जा सकता। यह रिपोर्टेडली नाम ले रहे हैं चौधरी साहब का। दसियों बार यहाँ नाम लिया गया है। आपको सुनना चाहिये था, आपसे भूल हो सकती है, कोई बात हो सकती है। आप कार्यवाही से निकाल दीजिये। घुमा कर कोई बात कही जा सकती है तो कोई एतराज नहीं है, हम सुनेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिये, नाम से टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिये। इसको कार्यवाही से निकाल देना चाहिये।

एक सदस्य—

कल यहाँ पर उस तरफ से सी० पी० एन० सिंह का नाम लिया गया था।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें। जहाँ तक मैंने सुना है, नाम लिया गया है। माननीय नेता विरोधी दल को मालूम होना चाहिये कि मैंने कहा कि आप नाम लिये बगैर अपनी बात कहें।

एक सदस्य—

कल नारायण दत्त तिवारी जी का नाम लिया गया था।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें।

श्री बदन सिंह—

इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे यह कहना है कि अगर ऐसा है तो वह मैं विचार करके देखूंगा और नाम निकाल दिया जायगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है अगर नाम हटाये जायं तो माननीय नारायणदत्त तिवारी का कल नाम लिया गया था और सी० पी० एन० सिंह का नाम लिया गया था, यह भी निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अगर ऐसा है तो कार्यवाही में ऐसी बात भी की जायगी।

श्री मुख्तार अनीस—

मैं माननीय श्याम लाल बाजपेयी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं। यह बार-बार कार्यवाही में रुकावट डालते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप लिखकर भिजवाइये।

श्री महेश चन्द्र—

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरदार प्रीतम सिंह हरिजन नेता रहे हैं जो छपरौली से चौधरी चरण सिंह के सामने चुनाव लड़े थे।

(शोर)

एक सदस्य—

फिर नाम लिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कोई इल्जाम न लगायें जिसका वह यहाँ आकर जवाब न दे सकें।

श्री महेश चन्द्र— —

चुनाव लड़ने के कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने सरदार प्रीतम सिंह की हत्या कर दी। सरदार प्रीतम सिंह उस क्षेत्र से चुनाव हारे थे और मैं उस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आया हूं। नहीं मालूम यह लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पर, इनके नेता लोग, इनके कार्यकर्ता लोग मुझे जीतने पर किस तरह की सजा या किस तरह का इनाम देने वाले हैं यह म नहीं जानता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र बड़ौत में निजामुद्दीन नाम से अखबारों में पब्लिसिटी हुई थी, इनकी पत्नी खुरसेदा बेगम जब थाने गयीं, क्योंकि इनके पति को पुलिस थाने ले गयी थी, तो बड़ौत के थानेदार होशियार सिंह ने तथा पुलिस के दूसरे लोगों ने इस महिला के साथ बलात्कार किया। यह घटना उस समय की है जब चौधरी चरण सिंह, गृह मंत्री, भारत सरकार के थ। हम लोगों ने उस गरीब औरत के बारे में जब आवाज उठायी, शाही इमाम ने आवाज उठायी कि सी0 आई0 डी0 जाँच इस संबंध में की जाय या कोई जुडीशियल इंक्वायरी इस बलात्कार कांड में की जाय। अब म जानना चाहता हूं कि उस दिन यह सत्याग्रह करने वाले लोग कहाँ गये थे। हमने अपोजीशन के लोगों को दावत दी थी कि बड़ौत में जाकर इस कांड को देखें लेकिन कोई नहीं गया और न कोई इंक्वायरी कमीशन ही बैठा।

मान्यवर, इसी तरह की तमाम घटनायें हुईं लेकिन उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी हैं। मान्यवर, सेवाराम की एक 10 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। उसने सभी के दरवाजे खटखटाए लेकिन कोई सी0 आई0 डी0 जाँच नहीं करायी गयी। किन्तु हमारे प्रगतिशील मुख्यमंत्री ने सी0 आई0 डी0 जाँच के आदेश दिये हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार कितनी जागरूक है और कितनी जल्दी कार्यवाही करती है। मान्यवर, बागपत कांड में जो 3 लोग मारे गये वह डाकू थे। यह सभी लोग जानते हैं। इसके बाद जो दो लोग भागे हैं उनको क्या माया त्यागी को पेश नहीं करना चाहिये था। यदि वह सज्जन थे तो पुलिस और जज के सामने पेश होना चाहिये था।

मान्यवर, मेरा एक और निवेदन है कि अपने बागपत क्षेत्र में बागपत कस्बे में एक पुल हमारी पिछली कांग्रेस ने स्वीकार किया था लेकिन भूतपूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह ने उसको वहाँ से हटाकर नेथला गाँव में कर दिया जिससे कि गाँव से 12 मील दूर तक सड़क बनानी पड़ेगी और इससे बागपत का विकास कार्य रुक जायेगा। इसलिये निवेदन है कि बागपत में कस्बे में ही पुल बनाया जाना चाहिये।

मान्यवर, तीसरी बात गन्ने की जो दुर्दशा हुई है उसके संबंध में राज्यपाल महोदय ने अपने कार्यक्रम में रखा है। इस दुर्दशा का मुख्य कारण यह था कि गन्ने की मिलें समय पर नहीं चलायी गयीं। इससे गन्ना खेत में खड़ा रहा और उसको जलाना पड़ा। मान्यवर, दूसरी मेरी अपील यह है कि हमारे क्षेत्र बागपत में, बड़ौत में एक चीनी मिल की स्थापना की जानी चाहिये।

मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने के लिये मेरा एक सुझाव है कि ड्रग कंट्रोल विभाग स्वास्थ्य विभाग से अलग होना चाहिये। यदि ड्रग इंस्पेक्टर चीफ मेडिकल आफिसर के अन्डर में रहेगा तो वह सारी दवाओं का सेम्पिल नहीं भर सकते हैं। इस प्रकार से वह जनता को दी जाने वाली दवाईयों का सेम्पुल भरेगा यदि नहीं भरेगा तो इन जीवन रक्षक दवाओं की सही रूप से जाँच नहीं हो पायेगी।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव के संबंध में जो संशोधन का प्रस्ताव आया है उसके संबंध में मुझे बोलने का अवसर दिया है।

मान्यवर, आज तीन दिन से महामहिम के अभिभाषण के संबंध में जो विवाद चल रहा है उसको सुन कर मुझे ऐसा लगा कि आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं उनमें अन्य सम्मानित सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्यायें उठाई हैं और मेरा ही क्षेत्र ऐसा है जो आज तक उत्तर प्रदेश के मानचित्र में एक ऐसा स्थान है जिसने स्वतंत्रता के तीस-बत्तीस वर्ष के बाद भी स्वतंत्रता के सूर्य के दर्शन नहीं किये। मान्यवर, मानवता के आधार पर इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि वह क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर एक इंच कंकड़ की सड़क नहीं है, वहाँ पर सिंचाई के कोई साधन नहीं है, जहाँ पर एक घर में भी बिजली की रोशनी नहीं होती, जहाँ पर कोई स्कूल भवन नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ग्यारहवें पृष्ठ पर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने का संकेत दिया है और उसी के संबंध में मैं यह बात कह रहा हूं। मैं केवल एक चीज की माँग इस सरकार से करना चाहता हूं और वह यह कि अपने 32 वर्ष के शासन में वह यदि इस क्षेत्र में कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं रही तो कम से कम अब उस क्षेत्र को सर्वे करा कर उस इलाके के लाखों लोगों के जीवन को देखे और यह जाने कि 30–32 वर्ष में जो कर्त्तव्य काँग्रेस सरकार का था उस का क्या उस कोने पर भी कोई दृष्टिपात हुआ।

(इस समय 3 बज कर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से उस क्षेत्र की एक रूप रेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। दो नदियों के बीच में दोआबा क्षेत्र है जहाँ पर पुलिस स्टेशन तो है लेकिन आप को आश्चर्य होगा कि वहाँ पर विकास खण्ड होते हुए भी हरिजनों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यदि यह बात गलत हो जाय तो मैं आप के समक्ष कोई बात इस सदन में कभी कहने के लिये तैयार नहीं हूंगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के सजग प्रहरी समाचार पत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सुन लें कि उत्तर प्रदेश के मानचित्र में ऐसा भी एक क्षेत्र है धुरियापार जिस की स्थिति मैं आपके सामने वर्णन करता हूं गोरखपुर जिले में धुरियापार क्षेत्र है और एक विकास खंड बेलघाट है। उसमें 80 गाँव सभाओं में रहने वाले लोग एक इंच कंकड़ की सड़क पर नहीं चलते, उनकी एक इंच भूमि पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। वहाँ एक बस तथा एक रिक्शा नहीं चलता और एक हरिजन के लिय वहाँ कुवाँ नहीं बनाया गया। खाद्यान्न योजना में भी वह क्षेत्र अछूता रहा। उस क्षेत्र की गर्भवती महिलायें 60 किलोमीटर दूर गोरखपुर आती हैं तो रास्ते में गर्भपात हो जाते हैं। इतनी ही दूर चल कर डीजल तथा मिट्टी के तेल के लिये गोरखपुर उन लोगों को आना पड़ता है।

माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में क्षेत्रीय असमानता को दूर कर पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने की ओर संकेत किया है। 32 साल की आजादी के दौरान क्या इस समृद्धि में वहाँ के लाखों लोगों का हिस्सा नहीं होना चाहिये था जबकि वहाँ के लोग टैक्स तथा मालगुजारी देते हैं। क्या वह समृद्धि का एक अंश भी पाने के मुस्तहक नहीं है? पानी, डीजल, शिक्षा, दवा, कुवें आदि की समस्याओं के अलावा वहाँ के लोगों को 60 किलोमीटर दूर जाकर एक बोरी सीमेंट को मांगना पड़ता है लेकिन वह भी उनको उपलब्ध नहीं होती। वहाँ दवा, अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ कोई कुटीर उद्योग नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में क्या कोई दूसरा ऐसा क्षेत्र है? अगर है तो आपसे

भूल हो गई होगी। अगर नहीं है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र के साथ अन्याय किया गया है। जो असमानता दूर करने की बात की जाती है वह केवल कागज तक सीमित है। अगर असमानता दूर करने की बात सही है तो इस पिछड़े क्षेत्र का नक्शा आपके सामने होना चाहिये। मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी को बधाई देना चाहूंगा कि अपने मंत्रित्वकाल में उन्होंने जब गोरखपुर मंडल की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कुवानो नदी पर सोपाई घाट पर पुल बनाने की आज्ञा दी थी लेकिन इस पुल का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ। मुझे आशा है सरकार मेरे द्वारा कही हुई बातों पर ध्यान देगी।

आज इस प्रदेश में सबसे अधिक क्रान्तिकारी कदम सहकारिता के माध्यम से उठाया गया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई भी संकेत इस बात का नहीं है कि जो साधन विहीन लोग हैं वे अपने साधन को एकत्रित करके आमदनी बढ़ा सकें। उनको ऋण देने की बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जहाँ ऋण की आवश्यकता हो, जहाँ साधन नहीं है वहाँ पर अगर बैंक नहीं है तो किस प्रकार से उन गरीबों को, किसानो को साधन मुहइया किये जायेंगे, इसका कोई संकेत इस अभिभाषण में नहीं है। सूखे के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर जो कार्य यहाँ किये गये हैं उनमें खाद्यान योजना के अन्तर्गत शासन के लोग यह कहते हैं कि सड़कें बनाई गयी हैं लेकिन लाखों लाख रुपया खर्च करने के उपरान्त भी अगर इस सड़कों को पक्का करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो सारा काम बेकार हो जायगा। पुलिस की ज्यादतियों का जहाँ तक सम्बन्ध है मैं स्वयं उन ज्यादतियों का शिकार हूं। मेरे क्षेत्र में चार चार प्रधानों की हत्याएं हुईं। मैंने उनकी आवाज जब शासन में उठायी, केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार के पास प्रार्थना-पत्र देकर उसको दंडित करने के लिये कहा तो उनको सही पाया गया और तब वहाँ के थानेदार का स्थानान्तरण बस्ती और दुबारा झाँसी किया गया। इस चुनाव के दौरान कुछ नेता लोगों ने सोचा कि उस थानेदार की वापसी हो जायेगी तो वह उनको जिता देगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दो महीने के बाद उस थानेदार का स्थानान्तरण गोला बाजार में पुनः करवा दिया गया और हमारी मीटिंग्स में अव्यवस्था पैदा की गई, लाठी-चार्ज किया गया और फर्जी रिपोर्ट लिखाकर दो दिन तक हमें जेल में बन्द करवा दिया गया ताकि जनता प्रभावित हो सके। लेकिन जब मैं पैरोल पर निकला तो क्षेत्र की जनता ने हमारी आवश्यकता को महसूस किया। मैंने कई प्रार्थना पत्र दिये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी वह थानेदार वहाँ पर रह कर मेरी हत्या की धमकी दिया करता है। पुलिस को यदि इस तरह का प्रश्रय दिया गया तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लोग इससे पीड़ित हो जायेंगे, सामाजिक कार्यकर्त्ता पुलिस के जुर्म के शिकार होते हैं। इसलिये उनके ऊपर अंकुश लगाया जाय। श्रीमन्, मैं देखता हूं कि इस समय कोई मंत्री सदन में नहीं हैं .....(व्यवधान) है तो अच्छा है। अगर यहाँ से आप महिलाओं की रक्षा नहीं करेंगे.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री मारकन्डेय चन्द्र—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लें। इस बारे में मैं आपको लिख चुका हूं. अपनें सरक्षा की माँग करता हूं लेकिन, शासन ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी वह थानेदार उस थाने में विराजमान है और धमकी देता है। अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि यदि शासन क्षेत्रीय असमानता को दूर करना चाहता है तो मैंने जो क्षेत्र घुरियापार आपको बताया है उसका सर्वेक्षण करा लिया जाय। आपको तब मालूम होगा कि आजादी के बाद एक नये पैसे का काम भी वहां नहीं हुआ है। सर्वेक्षण के बाद यदि आपको ऐसा मालूम हो जाय तो ठीक

[श्री मारकण्डेय चन्द्र]
है अन्यथा मैं मांग करता हूं कि उस क्षेत्र के लिए योजनायें बनायी जाय ताकि लाखों लोग जो वंचित रहे हैं उनको सहायता पहुंचाई जा सके। एक पैसा भी वहाँ के लिये खर्च नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से समाचार पत्रों जो जनतंत्र के सजग प्रहरी हैं उनको भी दावत दूंगा कि वे भी इस क्षेत्र के दर्शन करें जो सत्यता हो उसको न छिपायें। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का समय दिया।

श्री त्रिवेनी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, दो दिन से सदन में चर्चा हो रही है राज्यपाल जी के भाषण पर। माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव दे रहे हैं। प्रदेश के पिछड़ेपन पर और प्रदेश के विकास पर कोई चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण के समय हमारे माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं। यह परम्परा रही है कि जब राज्यपाल के भाषण हुआ करते थे तो हमारे माननीय सदस्य जब उस भाषण के सिलसिले में अपना समर्थन या विरोध करते तो कुछ सुझाव भी देते थे। हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में चाहे वह उद्योग धन्धों के क्षेत्र में हो चाहे वह बिजली का क्षेत्र हो चाहे सड़कों का या कृषि का क्षेत्र हो उसमें अपने अपने सुझाव पेश करते थे। आज माननीय सदस्य जिस तरह से आलोचना कर रहे हैं उसमें इस हाउस की जो मर्यादा है वह कायम नहीं रह रही है। मैं अपने साथियों से अपील कर रहा हूं कि इस हाउस की एक मर्यादा होती है और हमारी भी इसमें एक मर्यादा होती है उसी के अन्दर हम अपनी बात कहें तो उसके बाहर जनता में आपकी इज्जत बढ़ेगी।

श्रीमन्, हमारा प्रदेश देश में सबसे पिछड़ा हुआ है और हिन्दुस्तान में इसकी सबसे ज्यादा आबादी है। 1974 और 1972 में हम लोगों ने आवाज उठाई थी कि केन्द्र सरकार जो अनुदान देती है वह आबादी के आधार पर मिलनी चाहिये, उस पर आज भी यहाँ पर हम लोग बहस करते तो कितना अच्छा होता। आज ढाई करोड़ के सूबे को और 10 करोड़ के सूबे को एक ही तरह अनुदान मिलता है। इससे हम किस प्रकार प्रगति कर सकेंगे। चाहे हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे वह बुन्देलखंड हो या पहाड़ हो वह अन्य प्रदेशों से काफी पिछड़ा हुआ है। कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पंजाब, हरयाणा, महाराष्ट्र, बंगाल या मैसूर के मुकाबले में बहुत कम प्रगति हुई है इसी तरह खेती की पैदावार की बात है। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रगति की राह दिखाई गयी है। अगर हम एकजुट होकर किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो मजबूती आयेगी।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं जब हमारी काँग्रेस सरकार थी तो उस समय रिहेन्ड डैम के लिए एक कनहर योजना बनाई गई। कनहर नदी से नहर निकाल कर रिहेन्ड में पानी आना था जिससे उसका पानी कम न होने पाये और बिजली का उत्पादन बढ़ जाय तो उस योजना को जो तीन वर्ष पिछली सरकार आई, मेरे भाई माफ करेंगे, उन्होंने खतम कर दिया। उस सरकार का बिजली से कोई मतलब नहीं था, उसका सड़कों के निर्माण से कोई मतलब नहीं था उसका सिर्फ मतलब था कि काँग्रेस सरकार ने जो कार्य किये उनकी जाँच करवाई जाय। उन्होंने तीन वर्षों में प्रदेश का दिवाला निकाल दिया। मैं समझता हूं कि कोई भी प्लानिंग माइंडेड आदमी जो देश और प्रदेश का भला चाहता हो वह महसूस करेगा कि इन तीन वर्षों में उन्होंने देश को 25 वर्ष पीछे कर दिया। और प्रदेश को 30 वर्ष पीछे कर दिया। चाहे कृषि के क्षेत्र को देख लीजिये, चाहे बिजली के क्षेत्र को देख लीजिये, चाहे निर्माण के क्षेत्र को देख लीजिये इन्होंने प्रदेश को गड्ढे में ढकेल दिया है। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि आप इन स्कीमों पर विचार करें और चाहे हमारी गलती हो या उनकी गलती हो उसको महसूस करना चाहिये। प्रदेश का भला

करने के लिए हम यहाँ आये हैं कोई अखाड़े में नहीं आये हैं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जितनी योजनायें थी चाहे वह शारदा कैनाल हो चाहे पावर हाउस की हो . . . .

चाहे वह सड़कें हों, चाहे वह कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने की योजना हो, सब खत्म हो गई है। जैसा पहले कह चुका हूं, दोहरीघाट जो पावर हाउस है वह पहले से स्वीकृत है, लेकिन 3 वर्षों में उस पावर हाउस को बिजली उत्पादन में कोई नाम नहीं आया है। मैं जिस जनपद से आया हूं, वह प्रदेश के सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। पूर्वी इलाके के 11–12 जिले तो बिलकुल पिछड़े हुए हैं, बाद में चार जिले प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद उसमें और जोड़ दिये गये। यह योजना थी कि इसका पूरी तरह से विकास किया जाए, लेकिन आज तक उन योजनाओं में से किसी का कोई पता नहीं चला। पहले तो कुछ चली भी थी, लेकिन इन तीन वर्षों में उन योजनाओं का कागज भी उड़ गया और फाईलें भी गायब हो गई। मैं आपके माध्यम से यह सूचना देना चाहूंगा कि हमें अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए विशेष रूप से बल देना चाहिए।

बुन्देलखंड में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थी, लेकिन उनका भी 3 वर्षों में कोई कार्यान्वयन नहीं किया गया है। राज्यपाल का अभिभाषण हमें उस प्रगति की ओर लिये जा रहा है, जिसकी ओर हमें जाना चाहिए। जहाँ तक जिले में काम करने की बात है, क्षेत्र में काम करने की बात है, वहाँ चाहे विरोधी सदस्य हो या रूलिंग पार्टी का हो, हर एक को चाहिए कि हमारे क्षेत्र में काम हो और क्षेत्र की प्रगति हो। नेता विरोधी दल हमारे पुराने मित्र हैं, वह सामने बैठे हैं। वह उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद् में रहे हैं और शायद कृषि मंत्री रहे हैं, वह भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं, उनके ऐसे मंत्री के रहते हुए उस पूर्वी क्षेत्र में कृषि का कोई भी काम नहीं हुआ है। वह बता दें तो मैं समझूंगा कि वह कृषि मंत्री रहे हैं। हमें तो आए एक महीना भी नहीं हुआ है और सरकार की तमाम आलोचनायें हो रही हैं, मालूम पड़ता है 3 साल में जो कुकर्म हुए हैं, उनकी उत्तरदायी भी यही सरकार है। ऐसी बात कहने से वातावरण बिगड़ता है। मैं अपने आजमगढ़ जनपद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसके जिस विधान सभा क्षेत्र लालगंज से मैं आया हूं, वह क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। पटेल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भी वह सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ सड़कों का और बिजली का घोर अभाव है, कृषि साधनों का अभाव है और ट्रांसपोर्ट का साधन कोई नहीं है। यह बहुत जरूरी है, बिना इसके किसी क्षेत्र की प्लानिंग या डेवलपमेंट नहीं होता है। बिजली का अभाव इसलिए है, क्योंकि हमारी दो बड़ी-बड़ी योजनाएं ओबरा और रिहन्ड की प्रगति बहुत धीमी रही है। अब इसका कारण तो जनता सरकार के लोग ही बता सकते हैं। वहाँ की चौथी भट्ठी शुरू करने जा रही थी हमारी सरकार, लेकिन जनता सरकार ने उसमें व्यवधान पैदा कर दिया। हम लोग तो अंधकार में हैं। कनहर योजना के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, यह एक नदी है और बिहार के बार्डर पर है। इस पर नहर निकालने के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने मान लिया था। इससे सोन नदी पर जो फ्लड आता है वह भी कम हो जायेगा। यह योजना बिहार सरकार से मिल कर बनायी गयी थी, लेकिन जनता शासन के समय में उस पर कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना पर काम तुरन्त प्रारम्भ किया जाये। इस योजना के पूर्ण होने से बिजली मिलेगी और बिजली की कमी पूरी होगी तथा बड़े-बड़े उद्योग धन्धे चल सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं आपने मुझे जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। एक बात अन्त में मैं मान्यवर, कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो अनुदान केन्द्रीय सरकार से आता है वह पापुलेशन के आधार पर आना चाहिये तभी हमारे प्रदेश का कल्याण हो सकता है और भला हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव के समर्थन में श्री संजय सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं। राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि वह चीनी मिलों की दशा को सुधारने के आवश्यक कदम उठायेंगे। मैं कहना चाहती हूं कि बस्ती के वाल्टरगंज में नारंग की एक चीनी मिल है। इनकी एक दूसरी मिल बस्ती में भी है। इनके मालिक यह प्रयास कर रहे हैं कि वाल्टरगंज की मिल को धीरे-धीरे बन्द कर दिया जाये, लेकिन समय के पहले यह सरकार आ जाने के कारण वह बन्द नहीं हो पायी है। इसमें नारंग ग्रुप की चाल है कि बस्ती और वाल्टलरगंज की मिल को मिलाकर चलाना चाहते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि वहाँ जो 1200 मजदूर हैं वह बेकार हो जायेंगें, अगर यह मिल बन्द हो जायेगी। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई समाप्त हो जायेगी और वह लोग गरीबी के दलदल में फंस जायेंगे। मैं सरकार से यह आशा करती हूं कि पिछली सरकार ने जो गलत नीतियाँ अपनायी थी उनके कारण बहुत सा व्यापार ठप हो गया है, वाल्टरगंज की चीनी मिल बन्द होने वाली थी लेकिन हमारी किस्मत है कि वह बन्द नहीं हो पायी है। मैं आशा करती हूं कि सरकार इसको बन्द नहीं होने देगी। एक बात स्वच्छ, कुशल और चुस्त प्रशासन दिलाने की राज्यपाल महोदय ने कही है। जब इन्दिरा जी की सरकार थी तो उसने ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए तैयार थी और उसको कार्यान्वित करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार और लोक दल की सरकार आयी तो उसने उस योजना को समाप्त कर दिया। उस सरकार की गरीबी से कोई प्रेम और मित्रता नहीं थी। बड़े-बड़े काश्तकार भूतपूर्व जमींदार और धनीलोग का काम वह सरकार करती थी, क्योंकि यह सही है कि ग्रामीण मजदूरों ने उनको वोट नहीं दिया था। इस लिए उनकी दिलचस्पी उनसे नहीं थी। उनकी न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए इंदिरा जी ने यह तय किया था कि पूर्वी जिलों में 5 रुपये, मध्य के जिलों में साढ़े पाँच रुपये और पर्वतीय जिलों म 6 रुपये तथा पश्चिमी जिलों में साढ़े 6 रुपये। लेकिन शायद इसको करने के लिए बीच वाली सरकार तैयार नहीं थी। आज भी पूर्वी इलाके में सुबह से शाम तक काम करके शाम को दो रुपये लेकर घर जाने वाले मजदूर आज भी हैं। अगर न्यूनतम मजदूरी निश्चित हो जायगी तो कायदे से खाना खाएंगे, कपड़ा पहनेंगे और अपने बच्चों को थोड़ा-सा खिलायेंगे पिलाएंगे, उनको शिक्षा देने का अवसर मिलेगा।

इंदिरा जी ने राशन कार्ड से सस्ता कपड़ा देने का भी इन्तजाम रखा था। आज देहातों में सस्ता कपड़ा या मिट्टी का तेल या चीनी कोई भी मेरे क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर को नहीं मिलती है। पिछली सरकार ने जो अन्याय किया है, जो कुछ गलती की है, कारण असल में उनके पास प्रशासन करने का समय नहीं था, आपस में मारकाट करके बिगड़ गये, उसी का पाप गरीब किसान, मजदूर भोग रहे हैं। इसलिए इस सरकार से आपके द्वारा कह रही हूं कि जो जो गलतियाँ हुई हैं उसको देखना चाहिए। इसके साथ साथ इंदिरा जी ने ग्रामीण मजदूरों को ट्रेड यूनियन का हक दिया था। ग्रामीण मजदूरों ने उसके द्वारा एक संगठन बनाया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा गाँव सभा की और सीलिंग की जमीन को इंदिरा जी ने, जिसके पास एक बिसुआ जमीन नहीं थी, उसको देने का प्रोग्राम रखा था। तमाम लोगों को पट्टे भी मिले थे और कब्जा भी मिला। लेकिन पिछली सरकार जब आ गयी तो उनको जमीन से बेदखल कर दिया। उनके ऊपर केस भी चलाये। जो उनको जमीन मिली थी वह भी हाथ से चली गयी है और उनको कचहरी म और दौड़ना पड़ा। इंदिरा जी का जो कार्यक्रम था उससे गरीब किसान को यह विश्वास हो

गया था कि अब मैं मालिक हूं जमीन का, मैं गुलाम नहीं हूं। जब बीस सूत्री कार्यक्रम इंदिरा जी का नहीं आया था तो अगर किसी गरीब किसान से पूछा जाता था कि वह कौन है, तो वह कहता था हम फलाँ बाबू के मनई हैं। अब वह कहते हैं कि हम भी एक आदमी हैं। फसल जब कटती है तब अनाज का दाम कम रहता है, किसान उस समय सस्ता अनाज बेचता है। लेकिन हमारा ग्रामीण मजदूर उस समय खरीद करके अनाज रख नहीं सकता, उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए सस्ते गल्ले का प्रबन्ध उनके लिए होना चाहिए यह सब कानून कागज पर रह गये हैं अमल में नहीं हैं। जिन गरीब मजदूरों को कब्जे से हटाया गया है, उनको फिर से कब्जा वापस देना बहुत जरूरी है। और उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उनको भी वापस करना है। यह मैं आशा करती हूं, आपके माध्यम से हो जायगा।

पेय जल के बारे में महामहिम राज्यपाल ने कहा है। इंदिरा जी के शासन में गाँवों में जहाँ जहाँ हरिजन रहते हैं वहाँ कुआँ बनाने का इंतजाम था। लेकिन पिछली सरकार जब आयी तो उसने इन कामों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जो प्रोग्राम थे यूं ही रह गये। पोखरे और तालाब बने पर पानी नहीं मिला। हमारी सरकार को अब हरिजनों के लिए पीने के पानी का इन्तजाम करना चाहिये।

[समय 4 बजे अपराह्न]

एक योजना काम के बदले अनाज देने की बनी। हमारे यहाँ कितने ही मजदूर ऐसे हैं जिन से काम तो ले लिया गया मगर आज तक उसके बदले में न तो उसको मजदूरी दी गयी, न अनाज ही मिला। मैं उन लोगों को कलेक्टर के पास भी लेकर गयी, उनसे कहा, लेकिन अभी तक उनको अनाज नहीं दिया गया। उनको पैसा मिलना चाहिये।

पिछली सरकार ने बिजली की व्यवस्था बिलकुल चौपट कर दी थी। न किसानों को उसके समय में बिजली मिली न ही उद्योगों को मिली जिसके कारण उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं चाहती हूं कि काश्तकार को बिजली मिलना चाहिए।

सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग के बिना हमारी कोई योजना ठीक तरह से नहीं चल पायेगी न ही कोई काम पूरा हो पायगा। हम चाहते हैं कि ज्यूं ही मंहगाई 8 प्वाइन्ट बढ़े, सरकार तुरन्त अपने कर्मचारियों को मंहगायी भत्ता दिये जाने की घोषणा करे और वह दिलवाये।

हमारे यहाँ बस्ती में 6 अस्पताल हैं पर कहीं पर भी न तो एक्स-रे मशीन है और न ही अच्छे डाक्टर हैं। जिला अस्पताल में एक एक्स-रे मशीन है जो काफी दिनों से खराब पड़ी है, उसे भी अभी तक ठीक नहीं कराया गया है। उसे तुरन्त बनवाया जाए और वहाँ डाक्टरों की व्यवस्था की जाये। लखनऊ के अस्पतालों में तो व्यवस्था है, पर वहाँ नहीं है।

पिछली सरकार ने जो गलत काम किये हैं उसको एक महीने में हमारी सरकार ठीक नहीं कर सकती। उसमें कुछ टाइम लगेगा। मैंने जो सुझाव दिये हैं उनपर सरकार आशा है ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस अभिभाषण में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे प्रदेश की जनता को उत्साह मिले।

श्रीमन्, जिस समय यह देश आजाद हुआ, इस देश के अन्दर एक मामूली ग्रामोफोन की सूई नहीं बनती थी। एक मामूली टार्च हम विदेश से मंगाते थे। इस देश की जनता ने किसानों और मजदूरों ने आजादी के बाद से आज तक अपनी मेहनत के जरियें उत्पादन बढ़ाया है और हमारे देश और प्रदेश के अन्दर उत्पादन बढ़ा है। हमारे मंत्रिगण

[श्री विद्या सागर नौटियाल]

इस बात पर परेशान हैं कि उनको सुझाव नहीं मिलता कि इस देश की क्षमता कैसे बढ़ाई जाय। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बिड़ला सेठ हिन्दुस्तान के सबसे बड़े सेठ थे और बिड़ला सेठ की कुल पूंजी उस समय श्रीमन् 45 करोड़ रुपय थी। आज बिड़ला सेठ हिन्दुस्तान के सबसे बड़े सेठ हैं और बिड़ला सेठ की कुल आमदनी 1 हजार 300 करोड़ रुपये है। हमारे देश का श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से वह कौन सा व्यक्ति है जिसकी आमदनी इस हिसाब से बढ़ी हो। कांग्रेस के भाइयों ने बड़े जोर के साथ इस बात को कहा है कि विरोधी दल के लोग इस बात का सुझाव नहीं देते हैं।

हमारा यह प्रदेश जो बद्रीनाथ से सारनाथ तक फैला हुआ है और गंगा-यमुना की बाहों में खेलता है। इसके सामने आज बहुत बड़ा संकट पैदा है। थोड़े दिनों के अन्दर श्रीमन् बाढ़ पैदा होने वाली है और इससे पहले सूखा रहा है। भयानक सूखा रहा है। यह सूखा क्यों हुआ और यह बाढ़ क्यों आती है। इसका एक ही कारण है श्रीमन् कि हमने अपने वनों को काट दिया। हिमालय को क्रुद्ध कर दिया है। इस ओर हमारी सरकार की पिछले दिनों उपेक्षा रही है। हिन्दुस्तान के तमाम पूंजीपतियों ने वन सम्पदा को लूटा है और पहाड़ों को नष्ट किया है। मैं लगातार पहाड़ों के अन्दर घूमा हूं। मैं उस समय वहाँ के इलाके में गया था जहाँ से वह बाढ़ पैदा हुई और श्रीमन् मैं कहना चाहूंगा कि कुदरत को हमने छेड़ दिया है। कुदरत को हमने बहुत बुरी तरह से परेशान कर दिया है। जैसे किसी वृद्ध पुरुष को ढीले मार-मार कर तंग कर देते हैं उसी तरह से हमने कुदरत को तंग किया है। यहाँ एक नया विभाग खुला है पर्यावरण तथा परिस्थिति विज्ञान यह विभाग जो कि मुख्य मंत्री के पास है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश के अन्दर जब बाढ़ आती है और यहाँ पर जब गंदा पानी बहता है तो वह पहाड़ रक्त का होता है। 26 तारीख को ज्ञानसू में भू-स्खलन हुआ। 45 व्यक्ति जान से मर गये और 4 व्यक्ति घायल हुए। हम चार विधायक माननीय बलदेव सिंह आर्य, माननीय शिवानन्द नौटियाल आदि ज्ञानसू में गये। माननीय खुशहाल सिंह रागड़ कांग्रेस विधायक वहाँ पर पहुंच चुके थे। वहाँ पर जो साइट है, जहाँ पर वह भू-स्खलन शुरू हुआ, वहाँ पर हमारा कोई अधिकारी नहीं गया था। जब हम गये, तो हमने जिलाधीश से बात की। हमने वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी से बात की मैंने कहा कि ज्ञानसू में 3 की. मीटर की ऊंचाई पर बहुत बड़ी दरार है। प्रभागीय वन अधिकारी कहते हैं वहाँ कोई दरार नहीं है। मान्यवर, डेढ़ किलोमीटर की वह इतनी बड़ी दरार है जिसमें 4-4 आदमियों को दबाया जा सकता है। वहाँ कैसे काम हो सकता है हमारे प्रभागीय वन अधिकारी कहते हैं वहाँ कोई दरार नहीं है। यह प्रकृति को नहीं देखना चाहते। मान्यवर, 14 तारीख को एक आँधी आई जिसमें एक ही रात कम से कम 10 हजार पेड़ गिर गये। ये वे पेड़ हैं जिससे लगातार जंगलात विभाग बड़े बड़े मालदारों के जरिये, बड़े-बड़े ठेकेदारों के जरिये से पैसा कमा रहा है लीसा निकलवा रहा है। ऊपर से नीचे तक 5 फिट इतने छेद उसमें कर दिये गये की एक रात में 10 हजार पेड़ गिर गये आप जाँच करवा लें मान्यवर, मेरा दावा है कि यह पेड़ एक रात में टूट कर गिर गये। 15 हजार फिट की ऊंचाई से टूटा हुआ मामूली पत्थर नीचे आता है तो प्रलय आ जाती है और उस प्रलय से लोगों को बचाने के लिये फौज भेजनी पड़ती है। इस बाढ़ को रोकना है तो इस पहाड़ के पर्यावरण रक्षा करना पहाड़ पर जो रहने वाले इंसान हैं, इस पहाड़ की और इस पहाड़ के पेड़ों और उसकी हरियाली की आप रक्षा करें इस देश और प्रदेश के लिये इसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। यही एक काम है जिसको आज तक की सरकारों ने नहीं किया।

मैं कहना चाहूंगा जो लकड़ी 8 आना टन स्टार पेपर मिल को दी जाती है आज वह 25 रुपये में मुहइया नहीं हो रही है। उत्तर काशी में गंगोत्री और जमुनोत्तरी का क्षेत्र है जहाँ हिन्दुस्तान के लाखों यात्री जाते हैं। हमने तीर्थयात्री को लकड़ी के अभाव में प्लास्टिक के जूते जलाकर खाना बनाते हैं। चूने का पत्थर सकलाना के अन्दर, मसूरी के अन्दर और देहरादून के अन्दर है जिसकी लूट अब तक हो रही है। आज जहाँ से यह चूने का पत्थर निकाला जाता है वहाँ का गाँव त्रस्त है वह खतर में है वह गाँव है रंगड़ गाँव। रंगड़ गाँव मैं गया था 15 मील इधर से चला और 15 मील उधर से। उसमें दूर-दूर तक दरारें पड़ गई मैंने उसको जाकर देखा है। जहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता है, कोई मंत्रीगण नहीं जा सकते वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है, कोई अधिकारी नहीं जा सकता है। म आप से यह गुजारिश करता हूं मंत्रिमंडल से गुजारिश करता हूं कि यह जो चूने का पत्थर वहाँ से निकाला जा रहा है वहाँ के गाँव को खतरा है। 15 मील के अन्दर गाँवों को खतरा है और 15 मील के अन्दर 40 से ज्यादा जगहों पर चूने का पत्थर निकाला जा रहा है और ब्लास्टिंग हो रही है। वहाँ पर काम जारी है और दरारें पड़ गई, दरार बढ़ रही है पहाड़ टूट रहा है गाँव को खतरा बढ़ रहा है लेकिन हमारी सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

मान्यवर, आज तक पर्वतीय विकास का रास्ता गलत रहा है। पहाड़ में जो भी अधिकारी जाते हैं वह पहाड़ की सेवा करने को नहीं जाते हैं बल्कि सैर करने के लिये जाते हैं। हम लोगों ने यह आवाज उठाई श्रीमन् कि हमारा पृथक पर्वतीय कैडर बनाया जाय चाहे कोई केरल का आदमी हो या बनारस का आदमी हो अगर वह पहाड़ की सेवा करना चाहता है तो उसका स्वागत है किन्तु उसे पता रहे कि मुझे पहाड़ में रहना है। वे पहाड़ के ही लोग हों ऐसी बात नहीं है वे आयें तो यह निश्चित करके आएं कि हमें पहाड़ के अन्दर काम करना है। लेकिन आप ऐसे अधिकारियों को भेज देते हैं जो वहाँ काम करने के इच्छुक नहीं होते। इसलिए वे किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेते। सड़कें बन रही हैं किसी तरह बनायी जा रही हैं, उन सड़कों के बीच में हरी भरी खेतियाँ और क्यारी आ रही है और खत्म की जा रही हैं उनका कोई देखने वाला नहीं है। पी0 डब्ल्यू0 डी0 वाले रोड के लिए हरी भरी क्यारियों को खत्म कर रहे हैं और बडियारगढ़ इसकी ज्वलन्त उदाहरण है। अफसरों को उसकी कोई जानकारी नहीं है। श्रीमन् हमारे जिलों के अन्दर उन अधिकारियों को भेज दिया जाता है जो वहाँ जाकर आराम करते हैं। ज्ञानसू में बाढ़ आई। हमारे पर्वतीय विकास मंत्री जो वहाँ गये थे।

मैं सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया गौर करें और खासकर स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना है उत्तरकाशी के सिविल अस्पताल की एक बात कहनी है। मान्यवर, वहाँ एक एस0 डी0 एम0 हैं श्री नरेन्द्र खुल्वे। मंत्री जी की अचानक उत्तरकाशी में तबियत खराब हो गयी। एस0 डी0 एम0 अस्पताल गये डाक्टर के सहित जनानी वार्ड में गये। वहाँ उन्होंने अस्पताल के महिला मरीजों के साथ के लोगों तथा अन्य स्टाफ को बाहर कर दिया और डाक्टर भी बाहर चले गये। एस0 डी0 एम0, खुल्वे वहाँ पड़ी एक मरीज 18 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। मान्यवर, जब मामले की जानकारी मुझे मिली तो मैं, बल्देव सिंह आर्य, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा शिवानन्द नौटियाल वहाँ गये। मामले के बारे में वहाँ के लोगों से बातचीत की तो मारे शर्म से हम लोगों के सिर झुक गये। और वहाँ के डी0 एम0 साहब से इस संबंध में बात की कि उनके प्रति कोई कार्यवाही अभी तक की गयी अथवा नहीं तो यह सुनकर हम लोग अत्यन्त चकित हुए कि डी0 एम0 साहब हंस कर कह रहे थे कि वह उस समय शराब पिये था। यह है मान्यवर, एक जिम्मेदार अधिकारी की बात। खैर जब इन्क्वायरी इस मामले की होगी तो जो होगा वह सामने आ जायेगा, परन्तु डी0 एम0 साहब का क्या होगा जिन्होंने खुल्वे के प्रति कोई तुरन्त ऐक्शन नहीं लिया बल्कि हंसकर यह कहते हैं कि

[श्री विद्या सागर नौटियाल]
वह शराब पिये था। मैं शासन से यह पूछना चाहता हूं कि वह डी0 एम0 साहब उस एस0 डी0 एम0, खुल्वे को तत्काल हटा नहीं सकते थे. या उसे सस्पेन्ड नहीं कर सकते थे या उसके प्रति अपने अधिकारों का कोई प्रयोग नहीं कर सकते थे ? कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मैं पुन: आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि . . .

एक सदस्य—

मान्यवर, श्री बाजपेयी जी को इतना समय दे दें कि वह अपने मन की सारी भड़ास निकाल लें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों से एक बात पूँछना चाहता हूं कि क्या बलात्कार का उन पर भूत सवार हो गया है कि हर सदस्य हर बात में बलात्कार की बात करते हैं ?

श्री लालसा—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण यहाँ प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, यह दु:ख का विषय है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि गत तीन वर्षों म हमारे देश और प्रदेश में राजनीतिक मूल्यों में भारी गिरावट आयी है और प्रशासनिक मामलों में गिरावट आयी है। इससे बढ़कर और दुर्भाग्यपूर्ण विषय नहीं हो सकता कि हमारे केन्द्र और कुछ प्रदेशों में सन् 77 में जनता पार्टी को दिशाहीन सरकार का गठन हुआ था। जनता पार्टी की दिशाहीन और सिद्धान्तहीन सरकार के समय में देश का बड़ा नुकसान हुआ और जनता ने महसूस किया कि वे बिल्कुल दिशाहीन थे और कुर्सी हथियाने के एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुये थे, केवल कुर्सी हथियाना उनका एक मात्र काम था। और उनका कोई सिद्धान्त नहीं था। इधर उधर के लोग विभिन्न दलों का एक गठबन्धन करके एक सरकार कायम किये थे। इसलिए वह लोग भटक रहे थे। एक पूरब चलता था तो एक पश्चिम, एक दक्षिण चलता तो एक उत्तर। इसलिए 3 साल के अन्दर ही पार्टी टूट गयी और सरकार भी चल बसी। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश की जनता ने बहुत जल्द फैसला दिया मैं महान जनता को धन्यवाद प्रकट करता हूं कि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी। इसीका नतीजा है कि हमारे देश में एक मजबूत सरकार बनी और उसी से प्रदेश में भी स्थाई और मजबूत सरकार बनी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र में जो इनकी सरकार थी उसने लाखों रुपये बदले की भावना से बरबाद किये हैं। हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी पर जो आयोग बैठाये हैं जो लाखों रुपया बरबाद हुआ है इसकी सारी जिम्मेदारी चौधरी चरण सिंह की सरकार की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शाह आयोग और जितने भी आयोग बैठाये गये थे उसका क्या परिणाम निकला ? मैं पूछना चाहता हूं नेता विरोधी दल से।

मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह राजनीति से सन्यास ले लें और उनके दल के लोग यहाँ पर जो गरीबों, हरिजनों का नाम लेते हैं, महात्मा गाँधी की जय बोलते हैं सबसे बड़े अपराधी हैं । हरिजनों को वोट तक डालने नहीं दिया गया। उनके जिलों में बूथ कैपचरिंग की गयी।

एक सदस्य—

अब तो इनकी सरकार है जाँच कराकर देख लें वोट तो इस बार . . . .

(शोर)

श्री लालसा—

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके जिले में सन् 71 के लोक सभा चुनाव में हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी ने हरिजनों को वोट मोबाइल सिस्टम से डलवाया और इसका नतीजा यह था कि सन् 71 में चौधरी चरण सिंह हार गये। हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं 1977 में हमारी सरकार थी लेकिन हम यह गलत काम नहीं कर सकते हैं। हम बूथ कैपचरिंग नहीं कर सकते हैं। जनता ने अपने आप फैसला कर दिया और उन्हें निकाल बाहर कर दिया।

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंहगाई की बात ये कहते हैं। जब केन्द्र में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने वित्तमंत्री की हैसियत स बजट प्रस्तुत किया था तो उस बजट को कितना भार बजट की संज्ञा दी गयी। वहीं से मंहगाई बढ़ी है। मंहगाई बढ़ाने की देन तो चौधरी चरण की है। हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसकी कितनी सराहना हुई है। अभी जो 80-81 का बजट पेश हुआ है उसकी सराहना समाचार पत्रों में भी जोरदार शब्दों में हुई है। आप खुद इस बात को बढ़ावा देते हैं हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं।

मान्यवर, मैं इसे दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि चौधरी चरण सिंह को, एक किसान के बेटे को भारत का प्रधान मंत्री बनने का मौका मिला। जैसे ही इन्होंने वहाँ पैर रखा हमारे देश में वैसे ही भयंकर सूखा आया। किसान के बेटे का यह हाल है। 67 में भी जब वह मुख्य मंत्री हुए थे भयंकर सूखा आया था। किसान के बेटे से धरती माता भी नाराज हो गयीं और इन्द्र भगवान भी नाराज हो गये।

एक सदस्य—

किसान के बेटे के ऊपर व्यापारी, पूंजीपति और आप तीनों नाराज हैं, तीनों मिलकर जुर्म कर रहे हैं।

(शोर)

श्री लालसा—

मान्यवर, मैं आजमगढ़ जिले के सरायमीर क्षेत्र से चुनकर आया हूं। वहाँ की जनता ने भारी बहुमत से हमें विजयी बनाया है। वहाँ के श्री राम बचन यादव हैं। एक मुख्य मंत्री भी इस क्षेत्र के रहे हैं श्री राम नरेश यादव जी जो बाद में उप मुख्य मंत्री भी यहाँ पर रहे हैं। जब श्री राम नरेश यादव जी यहाँ थे उनके कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ उसका थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूं। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सबसे जबरदस्त घोटाला लाखों रुपये का हुआ है। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत आपने सड़कों का निर्माण किया है। पोखरा आदि भी बनवाया है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पोखरा पहले से मौजूद थे किनारे-किनारे की मिट्टी निकाल दी गयी। चकिया बहेरवा गाँव दरियापुर ससना है, खेता पट्टी गाँव है। इसमें सड़क का निर्माण किया गया लेकिन सड़क पल्थी से वैरगडिह पहले से ही बनी हुई थी तथा कुसलगाँव से रसाँवा में सड़क के मामले में काफी धन का दुरुपयोग किया गया। लोक दल की सरकार थी उसके कार्य-

[श्री लालसा]

कर्ताओं ने गरीबों का खून चूस कर नई-नई मोटर साइकिलें खरीदीं। लोक दल के कार्यकर्त्ता घूम रहे हैं उन पर मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

(शोर)

कृपया जाँच करावें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य शान्ति रखें।

श्री लालसा--

मैं नाम बता रहा हूं। एक तो राजबली यादव, ग्राम सेवक हैं। रुपये लेकर गरीबों का खून चूस कर मोटर साइकिल से घूम रहे हैं। एक प्रधान हैं, लालन यादव, रामपति यादव हैं।

वहाँ के बहुत से लोग मोटर साइकिलों पर घूम रहे हैं। मान्यवर, 2 मिनट और दे दें यह पिछली जो सरकार रही है इसके समय में आजमगढ़ डिपो में, परिवहन विभाग में जो हुआ उससे सम्बन्धित सूचना देना चाहता हूं। सन् 79-80 में 1 लाख 34 हजार का घाटा वहाँ हुआ है। उसके पहले भी वहाँ पर घाटा हुआ है। आजमगढ़ डिपो में परिवहन विभाग में सन् 77 के पहले कभी घाटा नहीं हुआ है। लेकिन इनकी सरकार ने सब चौपट कर दिया, बरबाद कर दिया। इनकी वजह से हमारे प्रदेश और देश की प्रतिष्ठा दुनिया में गिरी है। मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल से केवल एक बात कहना चाहता हूं, नेता विरोधी दल ने बीसियों बार एक ही बागपत काण्ड को दोहराया। लेकिन नारायणपुर काण्ड, बेलछी काण्ड सबसे बड़ा काण्ड था जिसने देश के लोगों के दिल दहला दिए। यह लोग इस तरह की बातें करते हैं। इनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री लालसा-

अन्त में माननीय संजय सिंह जी द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका हृदय से समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करता हूं कि यह बेसलेस, निरर्थक संशोधन जो है इसको वापस ले लें। धन्यवाद।

डाक्टर धर्मपाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए इजाजत दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय संजय सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे विरोधी दल के नेता चले गए वह अगर यहाँ पर होते तो मैं उनका स्वागत करता और उनके सामने मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उनका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र जिला अलीगढ़ में मिला हुआ है। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि बूथ कैपचरिंग की गयी। मैं आपसे और आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि घाटमपुर से लेकर सहारनपुर तक के बीच के क्षेत्र में क्या हरिजनों को और क्या ब्राह्मणों और अन्य लोगों को माननीय मुलायम सिंह, माननीय राजेन्द्र सिंह ने वोट डालने से रोका और खड़े होकर डिब्बे भरवाए और गोलियाँ चलवायीं? मैं लोक सभा का चुनाव हाथरस क्षेत्र से लड़ा था। मेरे कार्यकर्ता श्री दानवीर शर्मा को अतरौली क्षेत्र में गोली मारी गयी।

(शोर)

मैं आपके माध्यम से यह बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि अगर जिला अलीगढ़ में निष्पक्ष चुनाव होते तो विधान सभा के चुनाव में माननीय नेता विरोधी दल जीत कर न आते। वहाँ अबला नारी की सीट को जबरन हथियाया गया मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं, वह चले गए, उनके कार्यकाल में अलीगढ़ शहर में कितनी महिलाओं की कोख खाली हुई, कितने कत्ल हुए कितने दंगे हुए, इसका रिकार्ड मंगा कर देखा जा सकता है। इसमें जिम्मेदार राजेन्द्र सिंह हैं, इनकी पार्टी के लोगों का दंगा कराने वालों में हाथ था। हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि जनता पार्टी के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। मैं वहाँ रहता हूं, मुझे मालूम है। गाड़ियों को फूकने के लिये पेट्रोल दिया गया काँग्रेस को प्रचार करने में रुकावटें डाली गयीं, और प्रचार नहीं करने दिया गया मथुरा में जो फूंकी गयी जिसकी इंक्वारी तक नही हुई। इसलिए इस प्रकार के कामों को करने की इनकी आदत पड़ी हुई है और बूथ कैपचर कराने की भी इनकी आदत पड़ी है। इसलिए राज्यपाल महोदय ने कहा है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे क्योंकि इन लोगों ने पुलिस अधिकारियों को धमकाने और अधिकारियों को भयभीत कराने से लेकर बागपत जैसे तमाम काण्ड कराए हैं जिसके यह और इनकी पार्टी जिम्मेदार है। यह मेरा आरोप है और जब जुडीशियल इंक्वायरी हो रही है तो फिर आप क्यों ज्यादा भर-भर करते हैं ? जाँच से पानी का पानी और दूध का दूध सामने आ जायेगा और मान्यवर, आप यहाँ उसमें निर्णय लेंगे।

मान्यवर, अन्त्योदय योजना में सड़कें बनवाई गयीं इनके शासनकाल में तो सड़कों पर नाम मात्र की मिट्टी डाली गयी है। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीमेंट, जो पुलों और सड़कों में काम के लिए मिली उसको अपने-अपने घरों में रखा। इसलिए पूछना चाहता हूं कि इनके शासन काल में कितनी सड़कें बनी हैं उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।

मान्यवर, अन्त्योदय में भैंसें गरीब लोगों को दी गयीं, भैंसों को खरीदने के लिए जो रुपया शासन से दिया गया उसको जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब उड़ायी और गरीबों के मत्थे 2–2 हजार रुपया मढ़ दिया। इसलिए कितनी और किन-किन लोगों को भैंसें खरीदने के लिए रुपया दिया गया इसकी भी निष्पक्ष जाँच कराई जानी चाहिए।

मान्यवर, गरीबों और हरिजनों पर जो जुल्म हुए हैं उसकी निष्पक्ष जाँच कराई जानी चाहिए। अलीगढ़ जिले में कितने मर्डर कितने कत्ल, कितन बलात्कार और कितनी डकैतियाँ हुयी हैं, इनकी पार्टी के लोगों ने बिरादरी के लोगों को कहाँ-कहाँ रखा आदि चीजों की निष्पक्ष जाँच कराई जानी चाहिए। इसके अलावा यह पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को धमकाते हैं तथा गड़बड़ी पैदा करने की इन्होंने प्लानिंग बना रखी है उसको रोकने के लिए निष्पक्ष अधिकारियों से जाँच कराई जानी चाहिए जिससे पानी का पानी और दूध का दूध सामने आ जायगा और जो दोषी होगा उसको मान्यवर, कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और मान्यवर, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो समय दिया है उसके लिए आपको बधाई देता हूं।

श्री पुरुषोत्तम—

मान्यवर, आप रेशियो से बोलने के लिए पुकारें जिससे हमको भी बोलने का मौका मिल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जायं। शासक दल से माननीय लालसा और उनके बाद एक और सदस्य बोल चुके हैं। दो के बोलने के पश्चात् इधर से एक सदस्य बोलेंगे और उसके बाद दो शासक दल से. . . . .

श्री पुरुषोत्तम--

हम लोगों की संख्या को देखते हुए. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों को अवगत करा देना चाहता हूं कि मैंने इसके बारे में पहले ही निवेदन कर दिया है कि आपकी संख्या 305 है, उनकी संख्या 116 है। इसको देखते हुए और संसदीय परम्परा और सिद्धान्तों को मानते हुए कि विरोधी दल को उसकी संख्या से अधिक भी समय दिया जा सकता है मैंने इधर से दो और उधर से एक का अनुपात लिया है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर हम लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे ह तो उनके सम्मान को देखते हुए यहाँ पर मन्त्रि मण्डल के दो-चार सदस्य उपस्थित रहना चाहिए। यह अभी आए हैं एक सदस्य के प्रतीक रूप में बैठे हैं। इन्हें उपस्थित रहना चाहिए, अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए जो नोट करते हैं। ऐसी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष--

कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्री यहाँ उपस्थित थे और जहाँ तक गैलरी का सवाल है उधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर कौन बैठे हैं।

*श्री हर गोविन्द वर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, जब राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ उस समय हम लोगों ने बायकाट किया। उसके बाद उनका छपा हुए अभिभाषण हमको प्राप्त हुआ जिसे आदि से अन्त तक मैंने पढ़ा। पढ़ने से मुझे एहसास हुआ कि यह अभिभाषण किसी काँग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लिख कर काँग्रेस पार्टी का प्रचार किया है और जनता पार्टी और लोक दल की पार्टी न अपने कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम किए हैं या काम करने की जो योजना बनाई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए अपने को सम्बद्ध करते हुए अभिभाषण चला रही है। इसलिए मैं आपके बीच में एक बहुत साफ बात कह देना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ दस करोड़ की आबादी रहती है और जहाँ 80 फीसदी ऐसे लोग हैं जो गरीबी की सीमा से नीचे हैं। जिनको दो टाइम का भोजन नहीं मिलता।

हम अनुमान लगाते थे कि यह नई सरकार जो उत्तर प्रदेश में आई है जो बहुत से आश्वासन देकर, प्रलोभन देकर आई है, यह निश्चितरूप से एसा कुछ मार्ग दर्शन करेगी जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता को एक सहारा मिलेगा, आगे के लिए कुछ उम्मीद बनेगी। लेकिन हम जब 1948 से 80 तक का इतिहास काँग्रेस का देखते हैं जबसे हिन्दुस्तान में काँग्रेस की सरकार बनी थी तो 1947 के बाद नौकरशाही के घोड़े पर पंडित जवाहर लाल नेहरू पूंजीवादी चाबुक लेकर बैठ। दिमाग समाजवादी था और चाबुक पूंजीवादी और दिमाग समाजवादी होने के कारण उस समय कुछ तो काम हुआ लेकिन उनके जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गाँधी हिन्दुस्तान की गद्दी पर बैठीं, नौकर-शाही घोड़े पर पूंजीवादी चाबुक लेकर प्रतिक्रियावादी लगाम लगा कर बढ़ीं, जिससे देश में

तरह-तरह की तबाही आ गयी उससे देश की दयनीय दशा हुई। अब वह पुनः देश में आई उन लोगों को लेकर जो पूंजीवादी व्यवस्था में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। साथ ही साथ नौकरशाही या कहा जाय प्रतिक्रियावादी शक्तियों का सहयोग उनको है। इसके अलावा गुण्ड तथा डकैत लोग भी एकत्रित होकर इन्दिरा काँग्रेस के झण्डे के नीचे शासन में आ गये हैं। इससे साफ जाहिर है कि हिन्दुस्तान तथा उत्तर प्रदेश की जनता को कोई राहत मिलन वाली नहीं है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता यह उम्मीदकर रही है कि नया सदन कुछ काम करेगा। हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और सभी को अवगत है कि तीन चीजें हिन्दुस्तान की जनता को चाहिए—रोटी, कपड़ा और मकान। जो सरकार यह तीन चीजें नहीं दे सकतीं उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह समाजवादी सरकार है अथवा वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय द्वारा दिया गया है उससे जाहिर होता है कि यह सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ देने वाली नहीं है। यह पूंजीपतियों को देने के लिए, नौकरशाही को देने के लिए आई है और क्रिमिनल लोगों को रेप की इजाजत देने के लिए यह सरकार बनी है। उत्तर प्रदेशकी जनता के सामने यह बहुत हम सवाल उत्पन्न हो गया है क्योंकि यह सूखे से पीड़ित है और बाढ़ की विभीषिका आ सकती है उस स्थिति में खाद्य की क्या स्थित गरीब जनसों के सामन पेश आयगी, किसानों के लिए कौन सी चीजें उपलब्ध की जायगी क्या किसान द्वारा उत्पन्न चीजों के लिए दाम बाँधी नीति पर अमल किया जायगा और जो औद्योगिक सामान कारखानों से मिलता है चाहे ट्रक्टर हो, रस्सी हो, सीमेंट हो अथवा खाद जिसे काश्तकार इस्तेमाल करता है उस पर सबसिडी देकर सस्ते दाम पर यह सरकार किसानों को मुहइया करायगी? इसका कोई भी संकेत इस अभिभाषण में नहीं है।

कहा गया कि किसान का बेटा जब गद्दी पर बैठा तो देश में सूखा पड़ गया। मैं इतिहास के पन्ने उलटना चाहता हूं जिस समय देश में मथुरा में कन्स का राज्य था तो जीवादी व्यवस्था पहले से थी। मथुरा में राजतन्त्र था और क्रिमिनल्स का बोलबाला था। उस व्यवस्था का कृष्ण ने विरोध किया लेकिन इन्द्र भगवान तक ने भी कृष्ण का साथ नहीं दिया। खूब पानी बरसा और ऐसा मालूम होता था कि सारी बस्ती डूब जायगी। जब-जब इस देश में गरीब को उठाने की बात की गयी तो उसका विरोध किया गया है। जब जब इस देश में कृष्ण जैसे लोग अवतरित हुए हैं तो उनकी परीक्षा हुई है लेकिन निश्चित तौर पर उनको कामयाबी मिली है। कृष्ण की भी परीक्षा हुई। गोकुल में जब बारिश हुई तो उसको बचाने के लिए गोवर्द्धन पर्वत उन्होंने ऊंगली पर उठा कर गोकुल को बचा लिया। इसी तरह जब भी चौधरी साहब लखनऊ की गद्दी पर या दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो यहाँ के क्रिमिनल, व्यापारी और पूंजीपतियों ने उनका विरोध किया इन्द्रा काँग्रेस के झण्डे के नीचे आकर। जैसे कृष्ण का प्रकृति ने विरोध किया था, जैसे हरिश्चन्द्र के विरुद्ध प्रकृति ने किया वैसे ही चौधरी चरण सिंह के साथ भी प्रकृति ने साथ नहीं दिया। आज हर किसान जानता है कि उसको ऊंचा उठाने का काम चरण सिंह ने किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप को उत्तर प्रदेश की जनता रोक नहीं सकती है. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप समय का भी ध्यान रखें।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

आप में अगर हिम्मत है तो उसको फेस कीजिए। हल्ला मचाने और शोर करने से काम चलने वाला नहीं है। जनता को राहत पहुंचने के लिए ठोस काम कीजिए। नहीं तो

[श्री हर गोविन्द वर्मा]
आप जान लें कि तभी आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से तुम्हारे पक्ष में है. . . . .

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे और सुनाई नहीं दिया ।)

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

एक बात और कहना चाहता हूं शिक्षा के बारे में। मान्यवर, हम भी जानते हैं और सत्ता की तरफ जो लोग बैठे हैं वे भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता किसी गरीब है वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती है। उनके लिए किताब-कापियों का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठ जायं। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

शिक्षा के सत्र में कोई विकास का कार्यक्रम रखा गया है इस तरह राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है, कोई संकेत नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार को शिक्षा की व्यवस्था की तरफ ध्यान देना होगा। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, टाट-पट्टी नहीं। इसकी व्यवस्था आपको करनी होगी. . . .

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुनें। मान्यवर, यह सदन ऐसी व्यवस्था करे ताकि उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ जनता को राहत की दिशा मिले, कर्मचारियों को सही दिशा मिले, विद्यार्थियों को सही दिशा मिले, गरीब लोगों और किसानों को सही दिशा मिले और महिलाओं को जो कि आज आम चर्चा की बात है, उनको सही दिशा मिल सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जायं।

एक सदस्य--

यह कोई नुक्कड़ सभा नहीं है, विधान सभा है।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, वास्तव में वातावरण कुछ हीटेड हो गया है। इस अवसर पर मुझे एक शेर याद आता है--

बड़ा मुश्किल है दुनियाँ का संवरना,
कि तेरे बालों का चेंकन नहीं है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने बहुत सारे प्रोग्राम हमारे सामने रखे हैं। कोई भी नेशन, कोई भी कौम, कोई भी व्यक्ति एक उम्मीद पर चलता है। जब एक उम्मीद होती है तो उससे आत्म विश्वास पैदा होता है, स्वावलम्बी होता है और तभी देश और मुल्क तथा वहाँ का अवाम तरक्की करता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा मुल्क में एक उम्मीद बंधी है। मैं यकीन दिलाता हूं किसी ने कहा है--"वी पुट अप दि प्रोजेक्ट विथ दि होप आफ बेटर फ्यूचर"। जो गुजर गया है वह गुजर गया, पास्ट इज पास्ट, उस

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से हम कुछ सीख सकते हैं लेकिन उस पर बहस करने से कोई लाभ नहीं होगा। जीवन का हर क्षण बदल रहा है, हर मोमेन्ट में परिवर्तन हो रहा है, यह जीवन ऐसा है कि जिसको न एक व्यक्ति बाँध सकता है और न किताब बाँध सकती है और न स्कूल बाँध सकता है इसलिए चेन्ज्ह सरकमस्टाँसेज के मुताबिक हमको आपको हर चीज को देखना है।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने ला एण्ड आर्डर को प्रायारिटी दी है। शान्ति और व्यवस्था के बारे में यहाँ बहुत विचार हुआ है। मैं चन्द बातें उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। ला एण्ड आर्डर इमरजेंसी में बहुत अच्छी हालत में था आप मुझ से एग्री करें या न करें, लेकिन यह तथ्य है "फैक्ट इज आलवेज सुपीरियर टु रीजनिंग"। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ला एण्ड आर्डर की पोजीशन इमरजेंसी में बहुत अच्छी रही और उसकी सराहना हुई। उस समय हर व्यक्ति आराम से सोता था, लड़कियां निडर स्कूल पढ़ने जाती थीं, बच्चे ठीक ढंग से पढ़ने जाते थे, कहीं कोई स्ट्राइक नहीं थी। ला एण्ड आर्डर की पोजीशन को कुछ पोलिटिकल पार्टीज ने खराब किया और पुलिस वालों को और आर्म्ड फोर्सेज को रिबेलियन होने के लिए बढ़ावा दिया। विद्यार्थियों को बढ़ावा दिया और उनकी स्ट्राइक को बढ़ावा दिया। रेलवे वालों को बढ़ावा दिया। चारों तरफ अराजकता का वातावरण पैदा किया जिसको इमरजेंसी ने कन्ट्रोल किया।

ला-एण्ड-आर्डर के मामले में चन्द विषय हैं जिन पर चल कर और आप लोगों का कोआपरेशन हुआ तो इसमें जल्द सुधार हो जायगा। ला-एण्ड आर्डर में सुधार के लिए डिफेंस सोसायटी को इफेक्टिवली रिवाइव होना चाहिए। कुछ लोगों को जो हथियार दिए जाते हैं, बन्दूकें दी जाती हैं वह कभी-कभी ऐसे लोगों को दी जाती हैं जो उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते। डैकोयटी या राबरी होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलते। बहुत से लोग बन्दूकों को बाहर लैण्ड करते हैं। इस सबकी अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए और विलेज डिफेंस सोसायटीज को पूरी तरह से रिवाइज होना चाहिए, बिना उसके हम क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सकते हैं।

दूसरी चीज पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। कहा जाता है कि पुलिस के आदमी बहुत कम होते हैं। एक थाने में बहुत से गाँव होते हैं लेकिन उसमें 10, 15 सिपाही ही रहते हैं तो वह क्या कन्ट्रोल कर सकते हैं। पुलिस परसोनेल को बढ़ाने की आवश्यकता है, पुलिस मोबेलिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर कोई भी क्राइम कहीं हो जाय तो फौरन उसकी जाँच नहीं होगी, फौरन अधिकारी नहीं पहुंचेंगे तो फिर मामला खटाई में पड़ जायगा। तो पुलिस परसोनेल को बढ़ाना और कम्यूनिकेशन को बढ़ाना आवश्यक है।

ला-एण्ड-आर्डर सिर्फ प्रोफेशनल रोबर्स का नहीं है। ला-एण्ड-आर्डर विद्यार्थियों की तरफ से भी डिस्टर्ब्ड हुई, कभी-कभी यह समस्या एजुकेटेड क्लास की तरफ से भी पैदा होती है। और भी बहुत से क्राइम माडेल सोसायटी में पैदा हो गए हैं, उनको भी कन्ट्रोल करने की जरूरत है। क्राइम्स का एल और तरीका है और इस वक्त इम्बेजेलमेन्ट बहुत ज्यादा होता जा रहा है, चाहे कोआपरेटिव सोसायटीज में हो या पोस्ट आफिसेज में हो। एक बात बड़े अफसोस की यह है कि आज जितने मुकदमें अदालतों में जाते हैं, वे सबके सब छूट जाते हैं। इसलिए आपको प्रासीक्यूशन मशीनरी को मजबूत करना आवश्यक है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौंसिल्स जो रखे जायं, वह पढ़े लिखे, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति ही रखे जाएं। हर जिले में आज 90 प्रतिशत केसेज बिलकुल छूट जाते हैं, डकेत और मर्डरर छूट जाते है और फिर वह पुलिस के हाथ नहीं लग पाते हैं और डकैतियाँ आदि की तादाद बराबर बढ़ती जाती है, तरह-तरह के अपराध बढ़ते जाते हैं।

महामहिम राज्यपाल ने लैण्ड डिस्ट्रीब्यूशन करके हरिजनों को जमीन देने के बारे में बात कही है। उस बाढ़ में मुझे यह कहना है कि हमारा जो पहले का सीलिंग ऐक्ट है वह बहुत

[श्री लाल प्रताप सिंह]
डिफेक्टिव रहा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सीलिंग ऐक्ट को केरल रियासत के पैटर्न पर यह बनाया जाय और साथ ही एक रिव्यु कमेटी भी कार्य करे और वह यह देखे कि जितने ट्रांजिक्शन बेनामी हुए हैं, उनकी क्या पोजीशन है और जो जेन्यून हैं उनकी क्या पोजीशन है। पेश्तर बहुत सारे फर्जी ट्रांजिक्शन हुए हैं और उसके कारण से सीलिंग ऐक्ट के माध्यम से हमें बहुत सारी लैण्ड नहीं मिली है। इसलिए सीलिंग ऐक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता है और जमीनों को निकालकर उसके वितरण करने की जरूरत है और इस दिशा में कोई रिवल्यूशनरी कार्य किये जाने की बड़ी आवश्यकता है, तभी यह कार्य पूरा होगा, क्योंकि यह कार्य बहुत महत्व का है।

इमरजेंसी के समय में हरिजनों को जमीनें दी गयीं और इसमें उन्हें कुछ लाभ हुए लेकिन उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी और उनके पट्टे कैंसिल हो गये, उससे उनको लाभ नहीं हो सका। इस बात को भी देखने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का पूरा और मुकम्मिल समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब यह चर्चा आज स्थगित की जाती है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980†

*कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, यह कोई लम्बा चौड़ा संशोधन नहीं है, बहुत ही मामूली सा यह संशोधन है। सन् 1971 में प्रथम बार अध्यादेश के जरिये से जिलाधिकारियों को मंडी समितियों के प्रबन्ध के अधिकार दिये गये थे। तत्पश्चात् लगातार प्रति वर्ष जिलाधिकारियों के अधिकार बढ़ाये जाते रहे। सन् 77 में प्रथम बार जनता पार्टी की हुकूमत में मंडी समितियों में नाम निर्देशित सदस्य किये गये हैं, और उनको यह अधिकार दे दिये गये थे। अब पुनः इस संशोधन विधेयक के द्वारा जिलाधिकारियों को इनके अधिकार दिये जा रहे हैं। यही इसकी मंशा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े ही हल्के शब्दों में कहा कि यह एक छोटा सा संशोधन है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह इतना बड़ा संशोधन है जितना

---

†दिनाँक 9 जुलाई, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा कि यह प्रदेश है और बड़ा ही बदकिस्मत बिल है। जब से यह ऐक्ट लागू हुआ है तब से इसका चुनाव हुआ ही नहीं है और एक बार तो यहाँ तक तफरी आयी कि लोगों ने नामिनेशन दाखिल कर दिए और सिक्योरिटी मनी भी दे दी और फिर न मालूम कि लखनऊ में काउन्सिल हाउस में क्या हुआ कि सारे जिलों में वायरलेस हो गये कि चुनाव स्थगित हो गये और कई साल के बाद उम्मीदवारों को सिक्योरिटी मनी मिल पाया? श्रीमन् मैं आपके द्वारा इस पूरे बिल में क्या है, इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया समय का भी ध्यान रखें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं इसे तीसरी बार इसको इस सदन में रख रहा हूं। इसलिये मैं 10 मिनट का समय जरूर लूंगा और अगर पहले समाप्त हो गया तो मैं पहले ही समाप्त कर दूंगा। तो मान्यवर, इसे 2 साल के लिए 71 में डी0 एम0 को पावर दी गयी और 29 दिसम्बर, 1977 को इसका एक्सटेन्शन किया गया। 1978 में एक नामिनेटेड कमेटी बनी और 1979 को उस कमेटी को एक्सटेन्ड किया गया 20 दिसम्बर, 1979 तक। और फिर उसको 28 दिसम्बर, 1980 तक बाई आर्डीनेन्स द्वारा उसका एक्सटेन्शन किया गया। 5-3-80 को वह आर्डीनेन्स लैप्स हो गया और कमेटी का फंक्शन समाप्त हो गया। 6-3-1980 को फिर डी0 एम0 के हाथ में पावर आ गयी। यह है इसका मकसद। इसका असर 100 प्रतिशत आबादी पर गया। कुछ पर उपभोक्ता के रूप में होगा और किसानों पर उत्पादक के रूप में होगा।

मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐक्ट है। जहाँ पर मंडिया बन रही हैं। अगर आप सुल्तानपुर गये होंगे तो आप देखे होंगे कि एक मंडी कितने-कितने एकड़ के क्षेत्रफल में बन रही है। 1964 में यह ऐक्ट पास हुआ और तब से लेकर 1980 हो गया है। 16 साल गुजर गये हैं, एक जेनरेशन गुजर गयी उसके बावजूद भी चुनाव नहीं कर सके। मैंने इसमें संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव इसलिए किया है कि मंडी समिति में एलेक्टोरल कालेज है, उसमें सबसे बड़ी संख्या प्रधानों की है, जो वोटर होंगे। प्रधानों का प्रतिनिधित्व काउन्सिल के अन्दर होता है। विधान सभा के अन्दर बराहरास्त प्रधानों का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त प्रवर समिति को एक महीने का टाइम दिया है। वह इसलिए दिया है कि 16-17 चीज को चलते हो गये, कभी नामिनेटेड कमेटी के जरिये, कभी डी0 एम0 के जरिये, कभी सेक्रेटरी जो डेपुटेशन पर जाते हैं वह तीन चार जिलों की मंडियों को देखते हैं लेकिन अभी तक कोई परमानेंट इंतजाम नहीं हो सका है। 16-17 साल में जो प्रैक्टिकल कठिनाइयाँ आयी हैं उनको सामने रखकर एक बार पूरे तरीके से, गम्भीरता से विचार हो जाय, और इस ऐक्ट के अन्दर जो 1969 में बना था और 1980 तक लागू नहीं हो सका, 16-17 साल के अन्दर जो हमारे सामने प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज आयीं उनको कैसे दूर करें, इस पर बैठ कर विस्तार से विचार हो और अगर जरूरत पड़े तो संयुक्त प्रवर समिति में ओरिजिनल ऐक्ट में भी अमेंडमेंट करने का अवसर मिले। इसलिए संयुक्त प्रवर समिति की बात कही है।

यह मंडी समितियाँ एक बराहरास्त माध्यम हो गयी हैं, जो वहाँ आपके सचिव हैं स्टाफ हैं वह मंडी समितियों के द्वारा, नीचे से लेकर जो सबसे बड़ा अफसर है, जो हाकिम परगना होता है, उस हाकिम परगना तक सारा बंटवारा कैसे हो सके, यह काम मंडी समितियों के द्वारा होता है। जहाँ तक वसूलयाबी का सवाल है कोई भी कृषि उत्पादन होता है वह आपके टैक्स से बचता ही नहीं है। चाहे वह तरकारी हो या गल्ला हो, गुड़ हो या शकर हो, वह हर शहर के अन्दर एक डंडा लगा पड़ा है, उत्पादन शुल्क दीजिये। चाहे गवर्नमेंट की परचेज हो या किसान की परचेज हो, सब पर

[श्री रियासत हुसैन]

लगा है। आज लाखों नहीं करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है । उसमें कितना खर्च मंडी के विकास में हुआ है ? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस सदन को अवगत कराएं कि मंडी क्षेत्र में कितनी आमदनी हुई और मंडी क्षेत्र के विकास में कितना-कितना रुपया किस मद में खर्चा किया गया। मैंने बैलेंसशीट देखे इस मंडी समिति में पचास लाख, उस मंडी समिति में 50 लाख रुपया है। लेकिन वह रुपया खर्च कैसे होगा, जो अधिकारी साहब हैं, जो सचिव साहब हैं, ईमानदारी की बात है, उन मंडी समितियों में इतना रुपया है कि वह खाते-खाते मजबूर हैं। उसको हज्म नहीं कर पाये। अगर उनका हाज्मा मजबूत होता तो शायद सारा हज्म कर जाते। लेकिन आमदनी इस कदर है कि खाते-खाते भी तमाम पैसा बच रहा है। मैं एक मिसाल मुरादाबाद मंडी की दे रहा हूं। वह दिल्ली रोड पर नेशनल हाइवे पर है और वहाँ किसान को पहुंचने में 8–10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है शहर से होकर। उस रोड पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाये और किसान की बैलगाड़ी अलग गिरे और बैल मर कर अलग गिरें। अतः इसे शहर के बाहर ऐसी जगह बनना चाहिये जिससे किसान को शहर न पार करना पड़े।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री रियासत हुसैन—

मैं समाप्त कर रहा हूं। 2 साल का समय तो माननीय शिवमंगल सिंह लेकर चले गये, अब आपने टाइम माँगा है, आप भी इलैक्शन नहीं करवा पायेंगे क्योंकि अशोक मेहता कमेटी के अनुसार पहले ग्राम सभाओं का चुनाव होना है, उसके बाद ही मंडी समितियों का चुनाव होगा। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। वह फिर होगा—अन्धा बाँटे रेवड़ी फिर-फिर अपने को दे। जो नामिनेटेड बाडी होगी उसका भी हिस्सा बंटने लगेगा। इस प्रकार मंडी समिति की हालत और बदतर हो जायेगी। इसलिये मैंने यह अपना संशोधन प्रस्ताव रखा है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया मंत्री जी को बोलने दें।

श्री रियासत हुसैन—

इस पर भाषण तो होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप मुझे तो बोलने दें। आपने क्योंकि उस समय श्री रियासत हुसैन का नाम पुकार लिया, मैं बैठ गया।

श्री ऊदल—

इस पर तो हम भी बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

श्री रियासत हुसैन साहब बोल लिये, अब आप उसके बाद नहीं बोल सकते। उस समय माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने अपना संशोधन रखा, हो सकता है वे बोलना चाहते रहे हों, लकिन मैंने श्री रियासत हुसैन साहब का नाम पुकार लिया, जल्दी में यह हो सकता है, पर चूंकि अब वे बोल चुके हैं इसलिये अब आपको समय नहीं मिल सकता। दूसरे माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा प्रस्ताव मान्यवर, टेबिल हो गया। मुझे उस पर बोलने के लिये समय मिलना चाहिये। आपने अगर गलती की और श्री रियासत हुसैन को बुला लिया, तो मेरा तो कोई अपराध नहीं है। आपने उनको बुलाया, इसलिये मैं बैठ गया। वरना मैं क्यों बैठता?

श्री ऊदल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को आपने पुकारा उन्होंने अपना संशोधन पेश किया। आपने जैसा अभी कहा कि हो सकता है कि मैंने जल्दी में माननीय रियासत हुसैन को पुकार लिया हो और उन्होंने अपना संशोधन पेश किया और भाषण भी दिया। अब संशोधन पर जिसको माननीय रियासत हुसैन ने पेश किया है उस पर माननीय गुप्ता जी भी बोल सकते हैं और भी सदस्य बोल सकते हैं। अब इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने संशोधन पेश किया और उस समय मैंने उसके बाद ही माननीय रियासत हुसैन को बुला लिया। जब उन्होंने संशोधन पेश किया तो उस पर माननीय रियासत हुसैन बोले थे वह भी बोल सकते थे लेकिन उनके संशोधन पेश करने के बाद मैंने जब माननीय रियासत हुसैन को बुला लिया तो बीच में शायद उनको अवसर नहीं मिला और मैंने जैसा आपने कहा उसको स्वीकार करता हूं कि जल्दी ही माननीय रियासत हुसैन को बुला लिया होगा। अब मै इस निश्चित मत का हूं कि जब मैंने अब माननीय रियासत हुसैन को बुला लिया तो अब दूसरे सदस्य भी उस संशोधन पर बोल सकते हैं। लेकिन अब उसी बात पर माननीय गुप्ता जी नहीं बोल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अब आप बैठें तो मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने पेश किया, न उस पर वोट हुआ न मुझसे वापस लेने की बात हुई, तो उसका हुआ क्या?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव पेश हो गया। सदन के समक्ष पेश हुआ, न वह समाप्त हुआ और न वोट होकर खत्म ही हुआ है। आपका प्रस्ताव है और माननीय रियासत हुसैन का प्रस्ताव है। आपसे एक बार के बजाय दो बार निवेदन किया। आपके बोलने के पश्चात् ही उनको बुला लिया। अब भी आपका प्रस्ताव ज्यों का त्यों मौजूद है। एक प्रस्ताव माननीय रियासत हुसैन भी जब पेश कर चुके हैं, तो अब भी दोनों पर जिस माननीय सदस्य को बोलना होगा, वह बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इससे पहले ऐसा होता रहा है कि एक साथ ही प्रस्ताव पेश हो जाते थे और बाद में लोग बोल लेते थे।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं बिलकुल नहीं बैठूंगा। जब कभी ऐसा प्रस्ताव आता है, यह परम्परा रही है कि दोनों साथ-साथ मूव कर दिये जाते हैं। दोनों पर साथ-साथ चर्चा हो जाती है।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मैं इतना तो ईल्ड कर सकता हूं कि अपने प्रस्ताव पर नहीं, इनके प्रस्ताव पर बोल सकता हूं। मान्यवर, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं आपकी तरफ देख रहा था। आपने रियासत हुसैन साहब का नाम पुकार लिया। मुझे क्या पता कि वह अपना प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़े हो रहे हैं ? मैं समझा कि हो सकता है कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे होंगे। मान्यवर, इसमें मेरी क्या गलती है ?

श्री अध्यक्ष—

यही जो प्रश्न आपने एक बार, दो बार उठाया है, इसी पर मैं निरंतर उत्तर देता चला जा रहा हूं। यह बात अलग है कि आप उससे सन्तुष्ट न हों और मेरे इस कहने के बाद भी मैं कहता हूं कि हो सकता है कि मैंने जल्दी में यह जानकर कि आप उस प्रस्ताव पर कुछ कहना नहीं चाहते हों, मैंने माननीय रियासत हुसैन को बुला लिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, कैसे आपने समझ लिया ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव प्रस्तुत है। उनका भी प्रस्ताव प्रस्तुत है। अगर और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हों, तो वह बोल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या मैं नहीं बोल सकता हूं ? कैसे नहीं बोल सकता हूं ?

मैं नहीं बोला हूं आपने मुझे सदस्यता से वंचित कर दिया है आपने मेरा निष्कासन कर दिया है। मैं क्यों नहीं बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठें। आपको अपने प्रस्ताव पर बोलने का जब अवसर था उसके बाद फिर रियासत हुसैन साहब का प्रस्ताव पेश हुआ है। वही प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पर अन्य सदस्यों के साथ आप भी बोल सकते हैं। अपने प्रस्ताव पर बोलने का समय आपको मिल चुका है और वह प्रस्ताव भी है। माननीय रियासत साहब के प्रस्ताव पर बोलना चाहें तो समय मिलेगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जो कृषि उत्पादन मण्डी समिति के बारे में जिक्र अभी माननीय कृषि मंत्री ने किया कि बहुत छोटा सा संशोधन है। किन्तु जैसा माननीय रियासत साहब ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है और उसका परिणाम कोई बहुत अच्छा आज तक नहीं निकला। अगर आप आश्वास्त इस सदन को करें और परिणाम निकाल दें तो आप जितना कहें मैं आपको धन्यवाद दूं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है सन् 64 से लेकर आज तक मंडी समितियों का चुनाव न हो सका। इसलिये श्रीमन्, आप यह दोषारोपण किसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। इसके बारे में आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। 3 साल को छोड़कर सन् 64 से लगातार 13 साल तक आप शासन में विराजमान थे, आपकी सरकार थी। 3 साल के लिये लोकदल और जनता पार्टी को दोष दे सकते हैं। श्रीमन्, यह बात वैसी हो गई जैसे हमारे गाँव में कहावत है—"तीन देई तेरह गोहराव, तब कलजुग में लेखा पावें।" 13 साल तक किसका दोष था ? ब्रह्मदत्त जी जब लेक्चर देते हैं इनके भाषण खूब अखबारों में छपते हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि दिसम्बर तक चुनाव करा देंगे, स्वायत्तशासी संस्थाओं का। अभी कल श्री अम्मार रिजवी जी जवाब दे रहे थे कि वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। श्रीमन्, एक साल के अन्दर भी आप चुनाव नहीं करा पायेंगे। श्रीमन्, बड़ा भ्रष्टाचार है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं आज भी इस राय का हूं कि चुने हुये लोग चाहे कितने ही भ्रष्ट होंगे किन्तु वह इन ब्यूरोक्रेटस, इन अधिकारियों से अच्छे होंगे। इसलिये जनतंत्र

में और प्रजातंत्र में मेरा विश्वास है। आज यह जो कृषि उत्पादन मण्डी समिति के बारे में संशोधन रखा है, वह पास हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय ब्रह्मदत्त जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो समय बढ़ा रहे ह, यह अन्तिम होना चाहिये। यह केवल नामिनेटेड लोगों की रोजी रोटी देने के लिये नहीं तैयार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

एक सदस्य——

जो संशोधन श्री गुप्त ने रखा है जब तक उस संशोधन को वापस नहीं लेते तब तक दूसरे संशोधन पर कैसे बहस करेंगे ?

श्री अध्यक्ष——

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आप कम से कम समय में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

मान्यवर, यह जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है यह बहुत ही खतरनाक विधेयक है। यहाँ जो पुराने सदस्य बैठे हैं उनको स्मरण होगा कि उस समय भी मैंने सिद्धान्त: विरोध किया था और मुझे याद है कि उस समय जब काँग्रेस वाले इधर बैठते थ तो उन्होंने इस पर सिद्धान्त: विरोध नहीं किया था। हाँ, विरोध पक्ष के लोगों के नामों पर विरोध किया था। बदले की भावना से समितियाँ भंग कर दी गयी। जैसाकि रियासत साहेब ने अपने भाषण में आशंका व्यक्त की वह मुझे भी सही प्रतीत होती है। इसलिय मान्यवर, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जैसाकि रियासत साहब ने कहा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाना बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, इस समय मण्डी समितियों की जो हालत है, वह बड़ी ही विचारणीय है। इन समितियों में सामान्यत: जो बाबू काम करते हैं या डेपुटेशन पर आये हुये होत हैं। जो ठीक से अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं। और इन पर जो अधिकारी, उनका उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ मान्यवर, क्लास वन अधिकारी होना चाहिये। वह इनका संचालन ठीक ढंग से करें और वहाँ जो पैसा आता है उसका सही ढंग से उपयोग किया जाये। वहाँ के पैसे का सदुपयोग नहीं होता है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह देखे कि इस पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। मैं इस प्रदेश के सीतापुर जिले से चुनकर आया हूं। वहाँ की मण्डी के जो शेड बने हैं जब पानी बरसता है तो किसानों को बड़ी तकलीफ होती है। वहाँ मूंगफली बहुत आती है। वहाँ मूंगफली के बड़े-बड़े ढेर लगाये जाते हैं परन्तु वहाँ ढेरी सुचारु रुप से नहीं लग पाती है क्योंकि वहाँ जगह बहुत अपर्याप्त है इतने ऊंचे और इतन छोटे शेड हैं कि मान्यवर, वहाँ के काश्तकारों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मान्यवर, मेरी माँग है कि उन शेड्स को नीचा किया जाये और जगह की कमी को दूर किया जाये जिसके काश्तकारों को सुविधा हो सके। और मान्यवर, वहाँ एक पुलिस चौकी बनायी जाये। अधिकाँश देखा गया है कि हर जगह अगर माननीय मंत्री जी अपनी पत्रावलियाँ को देखें तो पता लगेगा कि शहर से कितनी-कितनी दूर मण्डियाँ बना दी गयी हैं, जिससे किसानों को आने जाने में और वहाँ समय से पहुंचने में काफी असुविधा होती है। मैंने बराबर इस ओर भी प्रयास किया लेकिन मान्यवर, कोई भी कार्यवाही नहीं अब तक की गयी।

इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए साथ ही यह भी निर्णय लिया जाये कि शहर के नजदीक भी कुछ मण्डियों की स्थापना कर दी जाय, इससे

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]
जो बिचौलियों को लाभ हो जाता है, उसमें बच जायेंगे किसान। और जैसा कि रियासत साहब ने कहा कि मण्डियाँ शहर से दूर होने पर रास्ते में काश्तकारों को बीच में कई जगह रोका जाता है और चेक किया जाता है कि कहाँ यह माल लिए जा रहे हो। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जिस तरह से आटे और तेल पर टक्स न लेने की छूट दी है, सुविधा दी है, उसी तरह मान्यवर, हमारे सीतापुर क्षेत्र में चावल बहुत पैदा होता है, इसलिए वहाँ चावल का काम ज्यादा होता है, और इधर से उधर जब सप्लाई के लिये जाता है तो बीच में कई जगह एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से आगे तक उस पर टैक्स लगता रहता है, इसपर भी छूट दी जानी चाहिये। यह सब गरीब लोगों का खाना है। इस पर जगह-जगह टैक्स पड़ने से गरीब लोगों पर असर पड़ता है, उनको परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए इस संबंध मे मेरा आपसे निवेदन है कि टैक्स चावल पर भी माफ हो और शहर के आस पास कई स्थानों पर छोटी छोटी मण्डियाँ बना दी जायें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए, जिससे यह विधेयक सामान्य कृषकों के लिए उपयोगी बन सके। चुनाव जल्द करायें जाय। मैं उसके विस्तार में नहीं जाता लेकिन यह आश्वासन चाहता हूं कि निर्धारित सीमा के अन्दर चुनाव करायें जायेंगे और जब तक चुनाव न कराये जायें उस समय तक जैसा पहले हुआ था वैसा ही नामांकन न किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य केवल कुछ मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सत्य पाल सिंह—

हमारे इस विधेयक द्वारा माननीय मंत्री जी ने अधिकार डेलीगेट किये हैं जिलाधिकारियों, को और जिलाधिकारी डेलीगेट करते है परगनाधिकारियों को। यह उनकी आमदनी का जरिया होता है। इसलिए वहाँ के रहने वालों का भला नहीं कर पाते हैं। हमारा अनुरोध है कि जैसा कि राजेन्द्र जी ने कहा है इसमें नामांकन नहीं होने चाहिए। जैसा आपने कहा कि 31 मार्च तक चुनाव करा देंगे इसके अनुसार आप चुनाव करा सकेंगे साथ ही साथ जो पैसा आता है उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। जैसा कि जनता सरकार में हुआ है सड़कें बनी, खड़ंजे लगे, मैं चाहता हूं कि एक विशेष अधिकारी नियुक्त करें। क्योंकि जिलाधिकारी और परगनाधिकारी को इतना काम होता है कि वह काम नहीं करता है।

हमारे जिले शाहजहाँपुर में मण्डी समिति है लेकिन वहाँ कोई भी भवन नहीं है। ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृषि मंत्री जी, शायद उत्तर देना चाहें।

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इतनी लम्बी चौड़ी बहस की आवश्यकता इसमें नहीं थी किन्तु माननीय सदस्यों को इस विषय पर बोलने की इच्छा थी, उन्होंने बोला, जो सुझाव रखे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जो सुझाव हैं उनकी गाइड लाइन बनाकर पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। दूसरे जो कमियाँ हैं उनकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया गया है मैं उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, यह बात सही है कि 1977 से पहले भी नहीं कराये जा सके और जब जनता पार्टी की हुकूमत बनी इस देश में, लोक दल की हुकमत थी, तो ये दोनों हुकमतें भी चुनाव नहीं कर सकीं।

इस समय जो अध्यादेश लाया गया है, चूंकि जो पुरानी समितियाँ थी उनको समाप्त कर दिया गया है और उसकी व्यवस्था की आवश्यकता है, जिलाधिकारियों को अधिकार देना है इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है ताकि सदन की अनुमति प्राप्त हो सके। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, सरकार विचार कर रही है और प्रयास यह होगा कि जल्द ही चुनाव कराने की घोषणा की जाये। इन शब्दों के साथ जो प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री रियासत हुसैन--

एक स्पष्टीकरण दे दें तो मैं वापस लेने की बात करूंगा। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्ट रुप से आश्वासन देंगे कि अशोक मेहता समिति की रिकन्मेंन्डेशन के आधार पर ग्राम सभाओं के चुनाव हुए या नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो यह जो समय आप देंगे इस समय के अन्दर मौजूदा ग्राम सभाओं के प्रधान द्वारा इसके चुनाव करायेंगे।

श्री बलराम सिंह यादव--

अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं मैं तो नहीं कर रहा। मैं तो इतना कह रहा हूं कि सरकार तो पहले ही चुनाव कराने पर विचार कर रही है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं अपना प्रस्ताव प्रेस करता हूं। जिस तरीके से मैंने स्पष्टीकरण माँगा था उस तरह से नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे या पेश करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इनका प्रस्ताव हो जाये मेरा बाद में होगा।

श्री अध्यक्ष--

दोनों साथ ही रखे जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

रियासत हुसेन जी ने जो आश्वासन माँगा था, नहीं दिया। मैं भी अपना प्रस्ताव प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 को दोनों सदनो की एक संयुक्त प्रवर समिति क सुपुर्द कर दिया जाये जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह 6 मार्च, 1980 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

मंडी समितियों के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबंध

"2—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के दिनाँक से (जिसे आगे उक्त दिनाँक कहा गया है) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मंडी समिति स्थापित न हो, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक मंडी क्षेत्र के संबंध में जो उक्त दिनाँक को विद्यमान था या उक्त अवधि में घोषित किया जाय निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के (जैसा कि वह उक्त दिनाँक के ठीक पूर्व था) अधीन गठित प्रत्येक तदर्थ समिति विघटित हो जायेगी और ऐसी समिति के सभापति और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे ;

(ख) समिति, उसके सभापति तथा उपसभापति के सभी अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य उस जिले के जिला मेजिस्ट्रेट में निहित होंगे जिसमें प्रधान मंडी स्थल स्थित हो और उक्त जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा ही उनका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायगा और उक्त जिला मेजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में समिति या उसका सभापति या उप सभापति समझा जायगा;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसा जिला मैजिस्ट्रेट खंड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों को, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा एतदर्थ विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है;

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर बजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध जिनके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक

रूप से निलंबित करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती अथवा सम्बद्ध किन्ही भी प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब भी उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रक्खी जायगी, और जब तक कि कोई बाद का दिनाँक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होगी, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबंधित अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, सन् 1980

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 द्वारा या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधि मान्य रहेगी और सदा से विधिमान्य रही समझी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज मेरे समक्ष नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उनमें से एक सूचना जो माननीय श्री नन्द किशोर सिंह, श्री हरिवंश सहाय, श्री कुबेर द्वारा प्राप्त हुयी है, देवरिया जिले में बाढ़ के कारण हुयी क्षति के संबंध में, वह स्वीकृत की गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसपर जब वक्तव्य देना चाहें, उसको बता दें ।

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, इसके लिये 2–3 दिन का टाइम चाहिये। 11 तक का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, 11 जुलाई को वक्तव्य देना चाहेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हाँ।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है। अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 46 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
9 जुलाई, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा